दलित, आवास एवं आजीविका मुद्दों पर दलित दरबार

दलित दरबार रिपोर्ट

दलित अधिकार केन्द्र
सी-56, सिवाड़ एरिया, बापू नगर, जयपुर-15
टेलीफैक्स - 0141-2703736, 2703923
Email : cdrjaipur@gmail.com Website : www.cdrjaipur.org

राजस्थान दलित अधिकार नेटवर्क

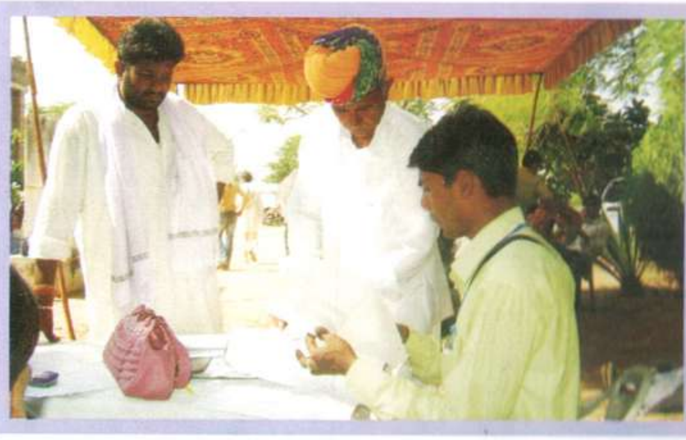

भूमि, आवास और आजीविका मुद्दों पर चर्चा करने हेतु आयोजित
दलित दरबार
(जन-संवाद)

दलित दरबार

दलित, आवास एवं आजीविका मुद्दों पर दलित दरबार

दलित दरबार रिपोर्ट

दिनांक : अक्टूबर 25, 2009

स्थान : समग्र सेवा संघ, दुर्गापुरा, जयपुर

दलित अधिकार केन्द्र जयपुर

सी–56, सिवाड़ एरिया बापू नगर जयपुर–302015

टेलीफैक्स– 0141–2703923, 2703736

Email- www.cdrjaipur@gmail,com

Website- www.cdrjaipur.org

अनुक्रमणिका

❖ आमुखीकरण 3

❖ माननीय जूरी एवं अधिवक्तागण 4

❖ केस प्रस्तुतिकरण 5

❖ सिफारिशें 48

आमुखीकरण

(पी.एल. मीमरौठ)
मुख्य सरक्षक

(आर.के. आंकोदिया)
अध्यक्ष

(सतीश कुमार) एडवोकेट
निदेशक

राजस्थान प्रदेश में महाराजाओं, सामंतो, जागीदारों, का प्रभुत्व होनें के कारण से इस प्रदेश के दलित अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा शोषण व अत्याचार के शिकार हो रहे है। जिसकी वजह से दलितों व महिलाऐं विकास की मुख्यधारा से वंचित हो गये। राजस्थान में आज भी दलित गरिमापूर्वक अपने अधिकारों का उपयोग नही कर सकते। इसका मुख्य कारण है कि आज भी समाज में प्रभावशाली वर्ग के लोगों का दबदबा है। दलित वर्ग के लिए दलितों को सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता व समानता दिलाने तथा दलित गरिमा पूर्वक जीवन यापन कर सकें इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारों ने बहुत प्रगतिशील कानून बनाये है लेकिन सरकारों की निश्क्रियता व पुलिस प्रशासन की उदासिनता व अक्रमणयता के चलते उन कानूनों की पालना नहीं हो रही है जिसकी वजह से राजस्थान के दलित आज भी सम्ममान का जीवन यापन करने से वंचित है। दलित अधिकार केन्द्र ने अनुभव किया है कि दलित अत्याचारों के पीछे भूमि तथा जीविकापार्जन के स्रोत मुख्य कारण रहे है।

दलित अधिकार केन्द्र के माध्यम से हम पिछले कई वर्षो से दलितों को स्वाभिमान पैदा करने उनमें जागरूक करने, पुलिस प्रशासन को संवेदनशील करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करते रहते है। इसी कडी में हमने भूमि आजीविका, सार्वजनिक स्थानों पर जातिगत भेदभाव, आदि प्रकार के प्रकरणों को दलित दरबार (जन सुनवाई) में रखा गया, इस दरबार का उद्देश्य दलित भूमि तथा आजीविका के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना तथा उपलब्ध कानूनों का कडाई से पालन करवाना है। इस जिस जनसुनवाई में प्रदेश के कई जिलों से दलित अत्याचार के पीडितों ने माननीय जूरी के सामने अपनी समस्याओं की केस स्टेडी, दलित अधिकार केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही व पुलिस प्रशासन व विभिन्न आयोगों की भूमिका पर विद्ववान जूरी के सुझावों आदि का दस्तावेजीकरण करने का एक छोटा सा प्रयास किया है।

इस दस्तावेज को दलित अधिकार केन्द्र के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार सभी आयोगों व सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा व विभिन्न एजेन्सियों में पैरवी की जायेगी। इन दलित उत्पीडन के प्रकरणों व जूरी के सुझावों को हमने एक संदर्भ सामग्री के रूप में तैयार क़िया है विश्वास है यह पुस्तक विभिन्न एजेन्सियों, मानवाधिकार, सामाजिक कार्यकताओं, संस्थाओं, शोध छात्रों व लेखकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी ।

इस कार्यक्रम व दस्तावेज को सफल बनाने में श्री गोपाल राम वर्मा, सुश्री तोषिता वर्मा, श्री चन्दा लाल बैरवा, श्री बाबूलाल किरोड़ीवाल, श्री ताराचन्द वर्मा व केन्द्र के सभी टीम सदस्य, एडवोकेट, सहयोगी संगठनों ने सहयोग दिया वे सभी धन्यवाद के पात्र है।

◆◆◆

माननीय जूरी सदस्यगण

1. **न्यायमूर्ति श्री के. रामास्वामी**
   पूर्व न्यायाधीश,
   उच्चतम न्यायालय,
   नई दिल्ली
2. **श्री आर.के. सक्सेना**
   पूर्व आई.जी. (जेल),
   राजस्थान
3. **श्री के.बी. सक्सैना**
   पूर्व मुख्य सचिव बिहार,
4. **श्री निखील डे**
   सामाजिक कार्यकर्ता,
   मजदूर किसान शक्ति संगठन, राजसमन्द
5. **श्री शरद जोशी**
   सचिव, सीकोईडीकोन, जयपुर

माननीय जूरी के समक्ष पीड़ितों के प्रकरण में मदद् करने वाले अधिवक्तागण

1. **सुश्री तोषिता वर्मा** एडवोकेट, जयपुर
2. **श्री पोखरमल परिहार** एडवोकेट, पाली
3. **श्री धीरज संगत** एडवोकेट, टोंक
4. **श्री मनोज जाजोरिया** एडवोकेट, अजमेर
5. **सुश्री अजय भारती सिंह** एडवोकेट, धौलपुर
6. **श्रीमती गायत्री वालिया** एडवोकेट, अजमेर
7. **श्री विजय सिंह** एडवोकेट, भरतपुर
8. **श्री प्रकाश सागर** एडवोकेट, अलवर
9. **श्री नरेन्द्र जैन्थ** एडवोकेट, वैर भरतपुर
10. **श्री हरिलाल बैरवा** एडवोकेट, सवाई माधोपुर
11. **श्री केशव सिंह जेरिया** एडवोकेट, करौली
12. **श्री निम्बा राम डांगी** एडवोकेट, जालौर
13. **श्री रामप्रसाद सिंघाड़िया** एडवोकेट, भीनमाल जालौर
14. **श्री चन्द्रगुप्त चौहान** एडवोकेट, पाली
15. **श्री गिरधारी लाल बैरवा** एडवोकेट, कुम्हेर भरतपुर
16. **श्री इन्द्रजीत कुण्डारा** एडवोकेट, बाँदीकुई, दौसा
17. **श्री वीरेन्द्र चौहान** एडवोकेट, सिरोही
18. **श्री जगजीवन राम** एडवोकेट, दौसा
19. **श्री गिरधारी लाल** एडवोकेट, पाली
20. **श्री रतिराम** एडवोकेट, धौलपुर
21. **श्री मुकेश खन्ना** एडवोकेट, धौलपुर
22. **श्री सुरेश** एडवोकेट, धौलपुर
23. **श्री मिश्री लाल बैरवा** एडवोकेट, दौसा
24. **श्री कमलेश कुमार वर्मा** एडवोकेट, सवाई माधोपुर
25. **श्री विश्राम जाटव** एडवोकेट, अलवर
26. **सुश्री पूनम रानी जाटव** एडवोकेट, अलवर
27. **श्री प्रतिपाल** एडवोकेट, अजमेर
28. **श्री लखन लाल** एडवोकेट, सिकराय, दौसा
29. **श्री ओमप्रकाश कुण्डारा** एडवोकेट, महुवा दौसा
30. **सुश्री मोतीमणि** एडवोकेट, अजमेर
31. **श्री नन्दराम बैरवा** एडवोकेट, टोडाभीम, करौली
32. **श्रीमती विमल कुमारी** एडवोकेट, जयपुर

◆◆◆

प्रकरण संख्या 1

ग्राम सुन्दरपुर, थाना मनिया, जिला धौलपुर, राजस्थान में दलितों की जमीन पर सांसद दुष्यन्त सिंह द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने सम्बन्धी प्रकरण

पीड़ित–
1. मवासी पुत्र श्री धनीराम जाति कोली
2. वीरी सिंह पुत्र श्री धनीराम जाति कोली
3. करन सिंह पुत्र श्री धनीराम जाति कोली
4. महावीर पुत्र श्री धनीराम जाति कोली
5. रामेश्वर पुत्र श्री धनीराम जाति कोली
6. पीतम सिंह पुत्र श्री धनीराम जाति कोली

निवासी ग्राम सुन्दरपुर, थाना मनिया, जिला धौलपुर, राजस्थान

बनाम

अत्याचारी–
1. दुष्यन्त सिंह पुत्र श्री हेमन्त सिंह एवं श्रीमती वसुन्धरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जाति जाट निवासी धौलपुर
2. धीरेन्द्र कमठान ओएसडी पूर्व मुख्यमंत्री जाति पुत्र राजपूत निवासी धौलपुर

पीड़ित के गांव का विवरण–

ग्राम सुन्दरपुर राजस्थान के उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे धौलपुर जिलें की मनिया उप तहसील का छोटा सा ग्राम है जो कि विनतीपुरा ग्राम पंचायत तथा पुलिस थाना मनिया के अन्तर्गत आता है। यह गांव धौलपुर राजाखेड़ा राजमार्ग पर मरैना से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहा ब्राह्मण, बधेल व कोली जाति के लोग निवास करते है। ब्राह्मणों के मकान पक्के बने हुए है, जबकि कोली(अनु. जाति) के पास रहनें को झौपड़ी है या कच्चे मकान है, दलित परिवार कृषि मजदूरी करके गुजारा करते है केवल एक दलित परिवार ही कस्बे मरैना में छोटी सी परचून की दुकान करता है इसी ने हिम्मत करके इस मामले को उठाया। राजनीतिक पहुंच से दूर इस गांव से कभी कोई सरपंच या विधायक नहीं चुना गया है।

प्रकरण–

विवादित भूमि 29 अप्रेल, 1991 में 13 व्यक्तियों ने मिलकर हेमन्त सिंह से खरीदी थी। हेमन्त सिंह स्वर्गीय महाराज धौलपुर, राजा उदयभान सिंह के पुत्र है जो 6 पंचशील मार्ग नई दिल्ली में रहते है। मूलरूप से जमींन के मालिक खुशवन्त सिंह थे जो कि दिल्ली में रहते है, एक मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटोर्नी) के जरिये यह जमींन रकबा 25 बीघा हेमन्त सिंह के नाम कर दी, यह मुख्तारनामा दिनांक 24 अगस्त, 1974 को पंजीकृत है जिसमें खुशवंत सिंह ने खसरा नम्बर 26/2 क्षेत्रफल 25 बीघा कृषि भूमि का खातेदारी अधिकार हेमन्त सिंह को दे दिया गया।

इस जमींन को पीड़ितों ने मिलकर एक लाख 98 हजार रूपयों में रजिस्ट्री करवाकर खरीद लिया। परन्तु वास्तव में इस जमींन के पीड़ितों ने 3 लाख रूपये चुकाये। रजिस्ट्री करवानें का फायदा होने के कारण कम रकम लिखवाई। इस जमीन की रजिस्ट्री मवासी, रामेश्वर, वीरीसिंह, करन सिंह, महावीर पुत्रान धनीराम जाति कोली निवासी ग्राम सुन्दरपुर, थाना मनिया, जिला धौलपुर, बैनीराम पुत्र धनरूप जाति कोली निवासी सुन्दरपुर, पीतमसिंह, मुन्ना लाल, रामवतार पुत्रान भरतसिंह जाति गडरिया (बघोल) निवासी चौधरी का पुरा, प्रेमा (विधवा) पत्नी डालचन्द जाति बघेला निवासी चौधरी का पुरा, बीघाराम व निर्मल ठाकुर निवासी पुरैनी के नाम हो गई। पीड़ित पांचो भाईयों का 6/25 हिस्सा था, बेनीराम कोली का 4/25, प्रीतमसिंह, मुन्नालाल व रामवतार व प्रेमा का 5/25 बीघाराम व निर्भय का 5/25 तथा रामप्रकाश का 5/25 हिस्सा था। इस रजिस्ट्री में स्पष्ट रूप से हेमन्त सिंह ने माना कि जमींन बेचान के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों व दाय भागियों का कोई सम्बन्ध विक्रित खेत से नहीं रहेगा।

इस जमीन पर 12 वर्ष तक पीड़ित लगातार फसल बोते रहे। जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में भी पीड़ितों का नाम दर्ज हो गया। राजस्व रिकॉर्ड में भी पीड़ित ही काबिज रहे। 1996 में धीरेन्द्र कमठान, नत्थी सिंह, साहब सिंह व गम्भीर सिंह (गम्भीर सिंह अपने आप को यह बताता है कि मैं महारानी के दहेज में आया हूँ और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र नौकर हूँ) आये और पीड़ितों की सरसों व गेंहू की खड़ी फसल को काटकर ट्रेक्ट्रर ट्रोलियों में भरकर ले गये, जिसकी सूचना पीड़ितों ने पुलिस को दी परन्तु इन लोगो ने उल्टा पीड़ितों के ऊपर चोरी का मुकदमा थाना मनिया में दर्ज करवाया जिसमें चालान हुआ परन्तु कोर्ट से पीड़ितों को बाइज्जत बरी कर दिया और फसल सुपुर्दगी का आदेश भी जारी कर दिया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट ने अपील की गई वहां भी फैसला पीड़ितों के पक्ष में हुआ और तब जाकर 12 बोरी सरसों हाई कोर्ट द्वारा पीड़ितों को सुपुर्द करवाई गई।

इस प्रकार कोर्ट ने भी पीड़ितों के पक्ष में फैसला दिया। परन्तु वसुन्धरा राजे के मुख्यमंत्री बनते ही दुष्यन्त सिंह सांसद ने अपने राजनैतिक प्रभाव के चलते खुद को हेमन्त सिंह का पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर बताते हुए राजस्व अदालत में दावा किया कि हेमन्त सिंह को यह जमीन बेचने का हक नही है क्योकि उनका मुख्यतारनामा खुशवन्त सिंह ने खारिज कर दिया। इस प्रकार राजस्व न्यायालय ने सांसद दुष्यन्त सिंह के पक्ष में यह मामला डिक्री कर दिया जबकि मुखत्यारनामा खारिज करने का कोई दस्तावेज दुष्यन्त सिंह कोर्ट में नहीं दे सका और ना ही खुशवंत सिंह ने कभी कोर्ट में आकर यह कहा कि हेमन्त सिंह से किया मुख्तारनामा खारिज किया गया है। इसके बावजूद राजनीतिक रसूकों का दुरूपयोग करते हुए यह सब घोटाला हुआ।

2003 में जब वसुन्धरा राजे मुख्यमंत्री बनी तो दुष्यन्त सिंह सांसद, धीरेन्द्र कमठान (ओ.एस.डी. पुर्व मुख्यमंत्री) भगवान सिंह नारनोलिया एडवोकेट, गम्भीर सिंह (महारानी का नौकर) पुलिस थाना मनिया, दिहोली, राजाखेड़ा को लेकर दलितों द्वारा बाजरे की फसल बोये हुये खेतों पर ट्रेक्टर लेकर आये और बोई हुई फसल को पलट दिया। पीड़ितों ने इसका विरोध किया और ट्रेक्टर के सामने लेट गये लेकिन उन्हें हाथ पकड़कर दूर फेंक दिया। मनिया पुलिस थाने के थानेदार ने पीड़ितों को गाली देते हुए कहा कि "कोली कलूटे कहां लगते हो रानी के सामने, हिम्मत कैसे करते हो, घर बैठो।" 2003 से पीड़ित न्यायालय के निर्णय के इन्तजार में है।

इस घटना के बाद पीड़ितों को दुष्यन्त सिंह (सांसद) ने (रानी साहिबा के महल में) बुलाया। वहां गम्भीर सिंह व दुष्यन्त सिंह सांसद थे पीड़ितों को एक हॉल में बैठाया और अन्दर के किवाड़ बन्द कर दिये तथा उनसे कहा कि "तुम्हारे बारे में सोचेंगे, हम प्रत्येक परिवार के एक–एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे।" विधवा श्रीमती प्रेमा पत्नी डालचन्द जाति बघेला से कहा कि "तेरी बच्ची की शादी करवायेंगे क्योंकि तू विधवा है और गरीब है। तुम हमारे खिलाफ कोई अपील मत करो क्योकि कोर्ट में केस करोगे तो रजिस्ट्री के जो पैसे दिये है वे भी तुम्हे वापिस नहीं करूगां।"

इस प्रकार पीड़ितों को कई बार लालच दिया गया तथा धमकाया भी गया परन्तु पीड़ित अपनी जमीन लेना चाहते हैं इनकी अपील आर.ए.ए. के यहाँ चल रही है।

पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस व प्रशासन ने खुलकर सांसद दुष्यन्त सिंह का पक्ष लिया और उन्हें सहयोग करने में केई कसर नहीं छोड़ी। 2003 में दुष्यन्त सिंह को तीनों पुलिस थाने (मनिया, दिहौली व राजाखेड़ा) की पुलिस ने सहयोग दिया और दलितों की जमीन पर कब्जा करवा दिया। दलित रोते रहे ओर अपनी जमीन होने की गुहार करते रहे परन्तु किसी ने उनकी आवाज नही सुनी।

न्यायालय की कार्यवाही–

उपखण्ड अधिकारी न्यायलय ने दुष्यन्त सिंह के तत्कालीन अधिवक्त और बाद में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के ओ.एस.डी. (विशेषाधिकारी) धीरेन्द्र कमठान द्वारा दायर मुकदमें में दलितों को राहत दी परन्तु अत्याचारियों ने उच्च न्यायालय जयपुर में अपील की जहाँ विद्वान न्यायधीशों ने दलितों के पक्ष में फैसला देते हुए दुष्यन्त द्वारा काटी गई फसल वापिस करवाई और माना कि दलितों द्वारा क्रय की गई जमीन के सही हकदार दलित ही हैं।

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- दलित अधिकार केन्द्र को जैसे ही घटना की सूचना प्राप्त हुई वैसे ही केन्द्र की वरिष्ठ सदस्यों की टीम ने दिनांक 20.12.2007 को घटना स्थल का दौरा किया और फैक्ट फाइंडिंग की। अपनी अन्तरिम रिपोर्ट जिला कलेक्टर श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर तथा जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार को प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में पीड़ित परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाकर पीड़ितों को राहत दिलवाने का आग्रह किया गया।
- दिनांक 18.1.2008 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) व पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर शीघ्र कारगर कार्यवाही करने का आग्रह किया गया।
- दिनांक 16.6.2009 को सचिव, मामनीय एन.एन. माथुर आयोग को पत्र भेजकर दलितों को न्याय दिलवाने हेतु उक्त प्रकरण की वास्तविक जांच करने का आग्रह किया गया।

वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में उक्त प्रकरण आर.ए.ए. न्यायालय में विचाराधीन है तथा दलितों की क्रय की गई भूमि पर सांसद दुष्यन्त सिंह का ही कब्जा है और वह दलितों को भयभीत बनाये हुए है। दलितों में भय व्याप्त है कि अपनी राजनीतिक पहुंच के द्वारा अत्याचारी कोई भी कदम पीड़ितों के खिलाफ उठा सकता है जिसका खामियाजा दलितों को भुगतना पड़ सकता है।

विचारणीय तथ्य–

- ◆ उक्त प्रकरण में स्पष्ट है कि सांसद दुष्यन्त सिंह की माँ श्रीमती वसुन्धरा राजे के मुख्यमंत्री बनते ही पुलिस प्रशासन उनके इशारों पर नाचने लगा और उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए सामन्ती ताकतों का पक्ष लेकर दलितों की जमीन पर सांसद का कब्जा करवा दिया। जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधि जनता का किस प्रकार शोषण करते हैं यह प्रकरण इसका सटीक उदाहरण है।
- ◆ जो अधिकारी सही दिशा में प्रकरण की सुनवाई कर रहा था उसे भी एक साजिस के तहत छापा डलवाकर भयभीत कर दिया ऐसे में कोई भी अधिकारी स्वतन्त्र होकर काम करता है तो भी उसे राजनीतिक ताकतों का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है।
- ◆ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

◆

प्रकरण संख्या 2

दलित छात्र द्वारा पोषाहार परोसने पर ग्रामीणों ने किया विरोध

ग्राम–खोलाड़ा, ग्रामपंचायत–सुवालिया, पुलिस थाना नैनवा जिला बूदी (राज.)

पीड़ित : कैलाश चन्द बैरवा पुत्र श्री मंगला राम बैरवा
ग्राम– खोलाड़ा, थाना– नैनवा
जिला बूंदी

बनाम

आरोपी : 1. राधा किशन मीणा पुत्र हरचन्द मीणा
2 लादूराम मीणा पुत्र रामनाथ मीणा व अन्य प्रभावशाली जाति के लोग निवासी– खोलाड़ा पुलिस थाना नैनवा जिला–बूंदी

बूंदी जिलें में दलितों की स्थिति–

राजस्थान का बूंदी जिला पिछड़ा हुआ जिला है यहां पर मीणा व गुर्जरों की बहुतायता है जहां जिस भी जाति की बहुलता होती है वहां बस दलितों को इन जातियों को कोप का शिकार होना पड़ता है बूंदी जिला भी एक पिछड़ा जिला होने के साथ–साथ यहां अंधविश्वास भी समाज में दीमक की तरह लगा हुआ है। इस जिलें में मीणा भी बहुतायत में हैं एवं अपनी दादागिरी पुलिस व प्रशासन के सामने चलाते हैं पुलिस एवं प्रशासन भी इन लोगों की मिरारदारी करता रहता है स्थानीय राजनीति में भी मीणा जाति ही वर्चस्व रखती हैं अगर यहां दलितों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट जाती है तो दलित पीड़िता को न्याय से वंचित कर स्थानीय स्तर पर ही दबा दिया जाता है। यहां खास तौर से बैरवा जाति के लोग अपने आपको दीन, हीन, अस्वतन्त्र व असुरक्षित महसूस करते हैं दलित इस क्षेत्र. में हाशिये पर हैं तथा अपनी आजीविका चलाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, इस क्षेत्र में खासतौर से बैरवाओं की स्थिति कमजोर है उनके पास आमदनी का कोई भी साधन नही है, और मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं।

घटना का विवरण–

स्वतन्त्रता के 62 वर्ष बाद भी खोलाड़ा गांव में आज भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुःख की बात यह है कि अनुसूचित जनजाति (मीणा) के लोगों ने छुआछूत को हवा दी वह भी राजकीय विद्यालय में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पोषाहार योजना में।

दलित पीड़ित कैलाश चन्द बैरवा पुत्र श्री मंगाराम बैरवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलाड़ा के कक्षा 8 का छात्र है इस कक्षा में उसके साथ मीणा, बंजारा, रावत, राजपूत जाति के छात्र–छात्रायें पढती हैं। बच्चे भी अपने माता–पिता से सीखते हैं परन्तु कभी–कभी नकारात्मक सीख ग्रहण कर लेते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप दिनांक 27.08.2009 को विद्यालय में दलित छात्र द्वारा पोषाहार परोसने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया।

दिनांक 27 अगस्त 2009 को राजकीय उच्च प्रा. विद्यालय ग्राम खोलाड़ा, पुलिस थाना नैनवा जिला बून्दी की कक्षा 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र कैलाश चन्द बैरवा पुत्र मंगलाराम बैरवा निवासी ग्राम खोलाड़ा ने प्रधानाध्यापक के आदेशानुसार विद्यालय के छात्र–छात्राओं को दोपहर भोजन के दौरान पोषाहार परोस दिया तो गैर अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं ने छुआछूत की भावना से प्रेरित होकर कैलाश के पोषाहार परोसने का विरोध किया, खाना नही खाया एवं परोसे गये भोजन को फैंक दिया। स्कूल में घटित घटना की जानकारी अपने घर जाकर अपने–अपने परिजनों को दी तथा इस घटना को लेकर ग्रामीणों की आपस में चर्चा भी हुई।

दिनांक 28 अगस्त 2009 को सुबह प्रधानाध्यापक सूरजभान जाट व अध्यापक घासीलाल बैरवा जब प्रतिदिन की भांति विद्यालय में आ रहे थे तो गांव के कुछ असामाजिक तत्व/दलित विरोधी मानसिकता के लोगों ने सुनियोजित षड़यन्त्र से दोनों को रास्ते में रोक दिया और गाली गलौंच कर अभद्र व्यवहार करने लगे। उस समय तो अध्यापक बीच बचाव करके विद्यालय में आ गये एवं विद्यालय भवन के सभी ताले खोलकर प्रार्थना शुरू करवाई उसी समय ग्रामीणों का एक झुण्ड आरोपी लादूराम पुत्र रामनाथ मीणा, राधा किशन पुत्र हरचन्द मीणा के नेतृत्व में स्कूल में आया और प्रधानाध्यापक द्वारा दलित छात्र से खाना परोसवाने की बात का विरोध करते हुए स्कूल भवन के ताले लगा दिये तथा गाली गलौच करते हुए कहने लगे कि "तू सारे गांव को चमार बनायेगा क्या?" यह कहते हुए विद्यालय के कमरों के ताले लगा दिये। उनके हाथों में लाठिया थी तथा किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने को तैयार थे। अध्यापको ने अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना के बारे में सूचित किया, सूचना पर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री सत्यनारायण कारपेंटर गांव में आये ओर गांव वालो को समझाकर ताला खुलवाने का प्रयास किया लेकिन गांव वाले नहीं समझे तथा प्रधानाध्यापक श्री सूरजभान जाट ने लिखित में भी दिया। उस दिन छात्रों को बरामदे में बिठाकर अध्यापन कार्य करवाया लेकिन माहौल बिगडने की वजह से कई बच्चे घर चले गये। दिनांक 29 अगस्त 2009 को नायब तहसीलदार हजारी लाल मीणा, विकास अधिकारी अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण कारपेन्टर ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर विद्यालय भवन के ताले खुलवाये।

गांव वाले खाना परोसने में हुई छुआछूत की वास्तविक घटना से मुकर गये तथा विद्यालय भवन पर ताला लगाना अच्छी पढाई न होना व समय पर विद्यालय न खुलना बता रहे हैं जो पूरी तरह गलत है। यह सब नाटक अस्पृश्यता की घटना को छिपाने के लिए रचा गया था।

प्रकरण का आपराधिक विवरण–

- एफआईआर नं. 260/09 दिनांक 28.8.2009 अन्तर्गत धारा 143, 353, 341 आईपीसी पुलिस थाना नैनवा जिला बूंदी *(प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरज भान जाट प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलाड़ा द्वारा दर्ज करवाई गई)*
- जांच अधिकारी श्री कृष्ण कुमार शर्मा एस.आई. पुलिस थाना नैनवा, जिला बूंदी
- गिरफ्तारी दिनांक 15.9.2009 अन्तर्गत धारा 147, 143, 341, 451, 353 आई.पी.सी.

विद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही–

- दिनांक 27 अगस्त 2009 को ग्रामीण लादूराम मीणा, राधाकिशन मीणा व अन्य लोगों द्वारा विद्यालय भवन पर ताला लगाने की घटना को उच्च अधिकारियों (ए.बी.ई.ओ.) व बी.ई.ओ. को फोन द्वारा सूचित किया।

- दिनांक 27 अगस्त 2009 को ए.बी.ई.ओ. सत्यनाराण कारपेंटर विद्यालय भवन पहुंचे एवं विद्यालय भवन खोलने के लिए ग्रामीणों को समझाया।
- दिनांक 28.08.2009 को नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी हजारी लाल मीणा व सत्यानारायण कारपेंटर ने ग्रामीणों को समझाया।
- दिंनाक 29.08.09 को ग्रामीणों ने ताला खोला पर चेतावनी दी की भविष्य में इस तरह (दलितों से पोषाहार का खाना) की पुनर्रावृत्ति नहीं हो।
- प्रधानाध्यापक की ए.बी.ई.ओं. को दी गई सूचना के आधार पर पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज की गई जिसमें 17 लोगों को आरोपी होना साबित हुआ।

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- दिनांक 31.08.2009 को दलित अधिकार केन्द्र की उच्च स्तरीय फैक्ट फाईडिंग टीम ने गांव का दौरा किया एवं घटना से सम्बन्धित आकड़े जुटाकर टीम पुलिस थाना नैनवा, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा एवं मांग की गई कि अस्पृश्यता बरतने पर एफ.आई.आर. में पी.सी.आर. एक्ट भी जोड़ा जाये तथा पीड़ित परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाये।
- दिनांक 2.9.2009 को घटना की रिपोर्ट व शिकायत उच्च अधिकारियों को की गई जिनमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि को भेजा गया।
- पीड़ित छात्र के परिवार व छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रधानाध्यापक को सुरक्षा प्रदान हेतु भी उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे गये।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

दलित अधिकार केन्द्र द्वारा फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट संलग्न कर भेजे गये पत्रों के पश्चात सहायक शासन सचिव गृह (ग्रुप–13) विभाग, राजस्थान द्वारा पत्रांक प1(4) गृह–13/09 दिनांक 11.9.2009 के उत्तर में पुलिस अधीक्षक जिला बूंदी ने दिनांक 25.9.2009 को पत्रांक 6880–81 के द्वारा केन्द्र को भी सूचित किय गया कि अनुसंधान में प्रकरण प्रमाणित पाया जाने पर मुल्जिमान (1) भंवर लाल पुत्र लादू (2) लादू पुत्र रामनाथ (3) शाबूलाल पुत्रा लादू (4) राधाकिशन पुत्रा हरचन्दा (5) रामराय पुत्र छोटू (6) सूरजमल पुत्र राम राय (7) रामराम पुत्र देवालाल (8) हंसराज पुत्र गोपाल (9) सुखदेव पुत्र बरधा (10) गोपाल पुत्र लालू (11) कान्हा पुत्र बरधा (12) मिश्री लाल पुत्र सुखदेव (13) नारायण पत्र छोटू (14) गिर्राज पुत्र गंगाराम (15) लाला पुत्र रामनाथ (16) शोपाल पुत्र रामराय तथा (17) धनपाल पुत्र मोडू सभी जाति मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। परन्तु चालान अभी पेश नही किया गया है। उक्त प्रकरण में वृताधिकारी द्वारा पी.सी.आर. एक्ट (नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम) 1955 के तहत कार्यवाही नहीं की गई है जबकि स्पष्ट छुआछूत दिखाई दी है।

विचारणीय तथ्य–

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का समाप्त कर दिया है परन्तु आज भी सार्वजनिक स्थल पर दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है।
- पुलिस उपाधीक्षक ननैवा के द्वारा यह कहना कि पी.सी.आर. एक्ट खत्म हो चुका है पुलिस की कानून के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है अभी दलितों के प्रति पुलिस की सौच में कोई बदलाव नहीं है और उन्हे सम्बन्धित कानून का ज्ञान भी प्रतीत नहीं होता।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499) ◆

प्रकरण संख्या 3

मंदिर बनाकर हडपी कोटा महापौर की भाभी की रजिस्ट्रीशुदा भूमि

लाडपुरा, पुलिस थाना दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान

पीडित–

1. श्रीमती बादाम बाई पत्नी स्व. श्री भंवर लाल महावर
2. लेखराज पुत्र श्री भंवर लाल महावर
3. चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भंवर लाल महावर
4. भगवानदास पुत्र श्री भंवर लाल महावर
5. मोहन लाल पुत्र श्री खेमचन्द महावर, महापौर नगर निगम, कोटा
   निवासी लाडपुरा, कोलीपाडा, कोटा, राजस्थान

बनाम

आरोपीः–

1. भुवनेश शर्मा (चच्चु) निवासी म.नं. 41, गुरूद्वारे के पीछे दादाबाडी, कोटा

2. रामनारायण पालीवाल आत्मज रामकरण , निवासी 2 भ, 19, दादाबाडी,
3. श्रीमती शकुन्तला पत्नि ओमप्रकाश निवासी जे–9, जवाहर नगर,
4. गणेश लाल मेवाडा आत्मज देवलाल, निवासी 151, प्रताप नगर, दादाबाडी,
5. कृष्ण गोपाल माहेश्वरी आत्मज राधावल्लभ , निवासी 390, दादाबाडी
6. श्याम लाल सोनी पुत्र देवीलाल सोनी, निवासी 762, दादाबाडी विस्तार,
7. श्रीमती मीना खण्डेलवाल पत्नी एस.एन. खण्डेलवाल, जे–7, जवाहर नगर,
8. हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र मोहन लाल, निवासी 29 / 305, कोटरी गोरधनपुरा,
9, प्रकाश चन्द भार्गव पुत्र बाबूलाल, निवासी 790, दादाबाडी कोटा
10. प्रदीप शर्मा पुत्र आर.एस.खंडिल्या, निवासी 5–के–18,, महावीर नगर , तृतीय
11. जसवंन्त सिंह पुत्र रतन सिंह, निवासी 276, शास्त्री नगर
12. बिठ्ल सिंह पुत्र भजन सिंह, निवासी 4 बी2, दादाबाडी, विस्तार योजना,
13. पी.के.शर्मा पुत्र जी.डी.शर्मा, निवासी 328, शास्त्री नगर,
14. प्रकाश राजोरा पुत्र एस.आर.राजोरा, निवासी 1043, श्रीनाथपुरम,
15. जगदीश श्रृंगी पुत्र दुर्गालाल, निवासी 315, शास्त्री नगर
16. सी.एल.अरोड़ा पुत्र गिरधारी लाल, निवासी 425, शास्त्री नगर,
17. श्रीमती बीना पत्नी हीरा लाल, निवासी 425, शास्त्री नगर,
18. सुनील कुमार पुत्र बलदेव राज , निवासी 1–सी–38, महावीर नगर,
19. श्रीमती शांति गंभीर पत्नी राजेन्द्र, निवासी 421, दादाबाडी,
20. ओम पुत्र बंशी लाल राठौर, निवासी 58, महावीर नगर, प्रथम
21. लक्ष्मी चन्द शर्मा पुत्र मंगल सेन, निवासी 404, दादाबाडी
22. बिहारी लाल पुत्र बंशी लाल 57–ए, महावीर नगर, प्रथम
23. रामेश्वर पोखरा पुत्र घनश्याम, निवासी 344, शास्त्री नगर
24. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी अरूण, निवासी डी–10–ए महावीर नगर, प्रथम
25. शिवकुमार सोनी पुत्र दुर्गाप्रसाद, निवासी पी.एन.बी. कॉलोनी, दादाबाडी
26. देवेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र दुर्गाप्रशाद, निवासी धोकडे वाले वीर हनुमान मन्दिर
27. पवन सिंह पुत्र एन.बी.सिंह, निवासी 273 शास्त्री नगर, कोटा
28. पवन सोनी पुत्र श्याम लाल, निवासी 762 दादाबाडी, कोटा
29. योगेन्द्र चतुर्वेदी निवासी दादाबाडी, कोटा
30. विनोद कुमार पुत्र रमेश चन्द, निवासी 255, शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा
31. कमल जैन, निवासी भारत विकास परिषद के सामने दादाबाडी, कोटा
32. सन्नी पुत्र चन्द्र प्रकाश जोशी , निवासी शास्त्री नगर, कोटा
33. हेमन्त मालव पुत्र बृज मोहन, निवासी 5–आई, जवाहर नगर,
34. राकेश शर्मा, निवासी गुरूद्वारे के पीछे दादाबाडी, कोटा

प्रकरणः–

कोटा नगर निगम के महापौर श्री मोहन लाल महावर के भाई स्व. श्री भंवर लाल महावर ने 2 भू खण्ड 60 x 80 एवं 60 x 80 के 18 फरवरी 1985 में श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा एडवोकेट, दिनेश कुमार शर्मा मुरलिया शर्मा, उषा शर्मा एवं दीप्ती शर्मा पुत्रान रामेश्वर प्रसाद शर्मा निवासी टीपूडा, कोटा से 46,000 (छियालीस हजार) रूपये मे क्रय कर सब रजिस्टार कोटा से रजिस्टर्ड कराई। यह भूमि पूर्व में रामेश्वर शर्मा एडवोकेट ने दिनांक 15 जून 1966 को दौलतराम पुत्र नन्द किशोर जाति सुनार निवासी टीपटा कोटा से 1000 एक हजार रूपये मे क्रय की थी ।

दोनो प्लाट एक साथ होने के कारण यह भूमि 80 x 120 हो गइ जो कि राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 57 व 58 (नया खसरा नं. 78, 79) दर्ज है। सन् 1987–88 में भू खण्ड के पास स्थित नाले को यू.टी.आई. कोटा द्वारा चौडा किया गया तो इन भू–खण्डों में से 40 x 80 = 320 वर्ग फुट भूमि यू.टी. आई. कोटा द्वारा अधिग्रहण कर ली गई और इसके बदले में 425 वर्ग फुट का भू खण्ड दे दिया । शेष 80 x 80 वर्ग फुट जमीन पर पीडितों ने चारदीवारी बना कर चैनल गेट लगवा दिया।

इस भूखण्ड पर धोकडे वाले हनुमान मंदिर के नाम से एक समिति 14–8–2006 को रजिस्टर्ड करवाकर धर्म की आड में कुछ बाहुबलियों दलितों की भूमि हडपने के लिए योजनाबद्व तरीके से रात को शिव मन्दिर का निर्माण शुरू कर दिया और दलित पीडित की क्रय शुदा भूमि पर बनी चार दीवारी को तोड दिया और उनकी भूमि को मन्दिर की चारदीवारी के अन्दर ले लिया और पूजा अर्चना करने लग गये।

आरोपी श्री धोकडे वाले वीर हनुमान मंदिर सेवा समिति के 18 सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 6–12–2007 को पीडितों को पता चला कि उनकी क्रय शुदा भूमि में बनी चारदीवारी तोड़ दी गई है और जब पीडित वहां गया तो देखा कि उनकी चारदीवारी मे मंदिर का दरवाजा लगा दिया है और उनका रास्ता रोक दिया है इस प्रकार उनकी चारदीवारी को भी मंदिर की चारदीवारी बना दिया गया है। जब पीडितों ने आरोपियों से बात करनी चाही तो उनके साथ मारपीट की गई तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने वालों ने समझौता कराया परन्तु बाहर निकल कर मंदिर समिति वालों ने समझौता मानने से इन्कार कर दिया और धार्मिक भावना भडका कर लोगों को पीडितों के खिलाफ कर दिया, मजबूर होकर 9 जनवरी 2008 को पीडिता श्रीमती बदाम बाई के पुत्र चन्द्र प्रकाश पुत्र भंवर लाल कोली ने न्यायालय के माध्यम से दर्ज करवाई जो कि पुलिस

थाना दादाबाडी कोटा में एफ.आई.आर.नं. 48/08 अन्तर्गत धारा 341, 323, 427, 120(बी) आई.पी.सी. एवं धारा 3(1)(V) व (X) अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मे दर्ज हुई। जिसकी जांच तत्कालीन वृताधिकारी श्री ओमप्रकाश आर.पी.एस. द्वारा की गई परन्तु इसे झूंठा मानकर एफ. आर. नं. 486/08 दिनांक 29–12–08 लगा दी गई। तब से अब तक पीडित हर जगह अपनी फरियाद लेकर चक्कर लगा रहे है परन्तु कही भी राहत नही मिल पा रही है।

पीडितों द्वारा की गई कार्यवाही–

1. पीडित पक्ष ने न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रमांक–1 कोटा में वाद प्रस्तुत कर आरोपियो द्वारा उनके भू खण्ड पर नव निमार्ण को रूकवाने का निवेदन किया जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 8 अप्रेल 1996 में अपने आदेश में लिखा कि *"सभी पत्रावलियों का निरीक्षण कर तथा अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात विवादित भू खण्ड में निर्मित मंदिर समाज को दे दिया गया है तथा शेष भू–खण्ड वादी का है जिसमें अन्य किसी को कोई निर्माण करने का अधिकार नहीं है यदि कोई ऐसा करेग तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा।"* परन्तु इस आदेश का भी पुलिस प्रशासन व आरापियों पर कोई असर नहीं हुआ।
2. पीडितों के निवेदन पर दिनांक 3–7–96 को न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क,ख) क्रम–1 कोटा द्वारा आदेश क्रमांक 395 क द्वारा थानाधिकारी दादाबाडी कोटा का आदेशित किया गया कि पूर्व आदेश की अवेहलना हो रही है। दलित को उनकी भूमि पर कब्जा लिवाने की शीघ्र कार्यवाही की जाये।
3. दिनांक 18–7–1994 को जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती बाहुबलियों द्वारा कब्जा कर लिया है जिसे हटवाया जाये। इस पर जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक कोटा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा।
4. दिनांक 8–5–03 को जिला कलेक्टर कोटा को निवेदन किया कि अवैध रूप से मंदिर बना कर दलितों की भूमि पर कब्जा करने वालों को बेदखल किया जाये। इस पर ए.सी.एम.नगर को मौका देखकर प्रार्थिया को राहत देने की कार्यवाही करने हेतु लिखा।
5. दिनांक 25–1–07 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे की जनसुनवाई मे आई.एम.आई.आई. हॉल कोटा में पीडितों द्वारा ज्ञापन देकर उनकी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटवाने का निवेदन किया गया।
6. दिनांक 25–1–08 को कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा में श्री ओम बिडला, प्रभारी जन अभाव व अभियोग प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान को ज्ञापन प्रस्तुत कर उनकी जमीन पर हुए कब्जे को बेदखल करने का आग्रह किया गया।
7. दिनांक 8–2–08 को कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटा ने क्रमांक /न्याय/08/810 के द्वारा विवादित भूमि में प्रस्तुत वाद श्री भंवर लाल बनाम महेन्द्र सोलंकी एवं त्रिलोक को 28–2–08 को सुनवाई हेतु नोटिस दिया।
8. दिनांक 8–4–08 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर कोटा ने सचिव नगर विकास न्यास को पत्र भेजकर विवादित भूमि के बारे में यू.आई. टी. द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना चाही ।
9. दिनांक 2–4–09 को थानाधिकारी दादाबाडी कोटा को शिकायत पत्र भेजा गया कि आरोपियों द्वारा कोर्ट के स्टे आदेश की पालना नहीं की जा रही है अतः आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

केन्द्र द्वारा दिनांक 12.10.2009 को जिला कलेक्टर कोटा श्री नीरज के. पवन, संभागीय आयुक्त कोटा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, गृहमत्री श्री शान्ति धारीवाल, श्री कुशल सिंह मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, पुलिस अधीक्षक कोटा एवं श्री हरीशचन्द मीणा पुलिस महानिदेशक राजस्थान को पत्र भेजकर दलित पीड़ित की क्रयशुदा भूमि से अतिक्रमण हटवाकर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखे।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में श्री धोकडे वाले वीर हनुमान मंदिर सेवा समिति के सदस्यों ने दलित के भूखण्ड पर कब्जा जमा रखा है और पीड़ित जब भी अपने भूखण्ड की तरफ जाता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। आरोपियों ने मन्दिर की आड़ में पीड़ित द्वारा निर्मित चारदीवारी को भी मन्दिर की मानकर मन्दिर को बीच में ले लिया हैं और उसके दरवाजा लगाकर धर्म के नाम पर धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। महापौर होते हुए भी पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। न्यायालय के आदेशों की पालना भी नहीं हो पा रही है।

विचारणीय तथ्य–

- जनप्रतिनिधि चुने जाने पर भी दलितों के साथ जातिगत भेदभाव कम नहीं होता तभी तो कोटा नगर निगम के महापौर श्री मोहन लाल महावर के साथ भी ऐसा ही हुआ। महापौर बनते ही इनको भेदभाव का शिकार होना पड़ा कई बार राजनीतिक मंच पर अपमान का घूंट पीना पड़ा तो कई बार हाथपाई की नौबत आ गई और इनकी भाभी की क्रयशुदा जमीन पर भी धर्म की आड़ में कब्जा कर लिया गया। न्यायालय के आदेशों को लेकर पीड़ित पुलिस व प्रशासन के दरवाजे खटकाते फिर रहे हैं। परन्तु इन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। न्याय का गला घुटता नजर आ रहा है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

◆

प्रकरण संख्या 4

दलितों को आवंटित पट्टो पर मालिकाना हक नही मिलने सम्बंधी प्रकरण

ग्राम राजपुरा पातलवास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर

पीड़ित– कजोड़ मल महावर एवं, अन्य 22 दलित परिवार जाति कोली
निवासी ग्राम राजपुरा पातलवास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर

बनाम

आरोपी–
1. हनुमान पुत्र राजकुमार ब्राह्मण
2. राधेश्याम पुत्र रामकुमार ब्राह्मण
3. बनवारी पुत्र मूलचन्द
4. रामविलास पत्रकार
5. मदनलाल पूर्व सरपंच
6. चिरजीलाल पुत्र गंगासहाय
7. महादेव पुत्र मनसाराम
8. मोहनलाल पुत्र गंगासहाय
9. हरिनारायण पुत्र गंगासहाय
10. रमेश पुत्र सूरजमल
11. रामकुमार पुत्र गोविन्द
12. भोमाराम पुत्र सूरजमल

सभी जाति ब्राह्मण
एवं अन्य प्रभावशाली जाति के लोग निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा, ग्रा.पं. राजपुरा पातलवास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर

घटना स्थल का विवरण–

ग्राम राजपुरा पातलवास पुलिस थाना व तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान की राजधानी व जिला मुख्यालय जयपुर से 48 कि.मी. तथा पुलिस थाना बस्सी से पूर्व दिशा मे 18 कि.मी. की दूरी पर तथा जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 पर बांसखो फाटक से 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह गांव सड़के के किनारे बसा करीब 11 सौ की आबादी वाला बड़ा गांव है। ग्राम राजपुरा पातलवास में सभी धर्मो व वर्गों के लोग निवास करते हैं। ग्राम में हरियाणा ब्राह्मण जाति का बाहुल्य है यहां हरियाणा ब्राह्मण जाति के 80 परिवार, लुहार जाति के 3 परिवार, पिन्दारा जाति के 2 परिवार, मीणा जाति के 5 परिवार, वैश्य जाति के 2 परिवार, नाई जाति के 7 परिवार, कोली जाति के 40 परिवार गांव मे निवास करते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत राजपुरा के अन्तर्गत आने वाले 8 गांवो मे से 5 गांव मे हरियाणा ब्राह्मणो का बाहुल्य है।

ग्राम में हरियाणा ब्राह्मणो की आय का प्रमुख साधन कृषि व पशुपालन है, जबकि दलितों की आय का मुख्य साधन मजदूरी व बुनाई है। हरियाणा ब्राह्मण जाति के लोग साधन सम्पन्न होने के कारण उनका राजनैतिक, प्रशासनिक, व आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व है। जिसके बल पर वे प्रशासनिक कार्यवाही को प्रभावित कर रहे है, साथ ही गरीबो, दलितो के साथ जघन्य से जघन्य अपराध करके भी दबाने मे सफल हो जाते हैं। ग्राम राजपुरा पातलवास में दलितो के साथ स्पष्ट रूप से जाति के आधार पर भेदभाव (छुआछूत) का व्यवहार किया जाता है। आज भी गांव के सार्वजनिक मन्दिरों मे दलितों को प्रवेश नही दिया जाता जिसके कारण दलितों ने स्वयं का छोटा से मन्दिर बना रखा है। इसके अलावा नाईयो द्वारा दलितों के बाल नहीं काटे जाते, तथा जब दलितों के हैण्डपम्प खराब हो जाते है तो गांव के सार्वजनिक हैण्डपम्पो पर दलित महिलाओ के साथ अभद्रव्यवहार कर अपमानित किया जाता है। कभी–कभी तो प्रभावशाली लोगो द्वारा दलितों के मौहल्ले की लाईट काट दी जाती है, जिससे मजबूर होकर दलितों को अंधेरे में रहना तो पड़ता ही है, साथ ही लाईट के अभाव में दलितों का बुनाई का धन्धा भी प्रभावित होता है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

ग्राम राजपुरा पातलवास, तहसील बस्सी निवासी 22 दलित परिवारों ने आवासीय भूमि के लिए सन् 1990 मे ग्राम पंचायत मे आवेदन किया था, जिन्हे दिनांक 23 मार्च 1991 को ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 4 के द्वारा आवेदन का स्वीकार कर लिया गया तथा दिनांक दिनांक 2 नवम्बर 1991 को विकास अधिकारी बस्सी ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 4 को स्वीकार कर ग्राम टेकचन्दपुरा स्थित आबादी भूमि खसरा नं. 120/1 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा पर प्रति परिवार 150 वर्ग गज भूमि के हिसाब से 22 परिवारों के नाम निःशुल्क पट्टे जारी किये। उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि राजकीय विधालय टेकचन्दपुरा के नाम आवटित कर दी गई लेकिन तात्कालीन सरपंच मदनलाल र्मा ने पट्टे वितरण के समय प्रति परिवार से 2000 हजार रूपये बतौर रिश्वत के मांगे। दलितों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के कारण उन्होने सरपंच को रूपये देने से मना कर दिया, तो सरपंच ने भी दलितो को भूमि के पट्टे देने से मना कर दिया।

दलित परिवारो ने इस घटना की शिकायत तात्कालीन विकास अधिकारी बस्सी को की, जिस पर विकास अधिकारी ने स्वयं गांव मे आकर माह दिसम्बर 1991 में, मे 22 दलित परिवारों को आवासीय भूमि के निशुल्क पट्टे वितरण किये, तथा ग्राम विकास के नाम पर 15–15 रूपये की रसीद भी प्रति परिवार के नाम काटी गई।

आवंटित भूमि पर सभी दलित परिवारो ने अपना आशियाना बसाने की चाह मे 20 ट्रोली पत्थर भी डलवाये तथा 10 परिवारों ने R.F.C से शिल्प बाड़ी योजना के अन्तर्गत श्रण (अनुदान) भी स्वीक त करवा लिया, लेकिन दिनांक 26 दिसम्बर 1992 को सभी आवंटी दलित परिवारो ने निर्माण कार्य शुरू किया तो गांव टेकचन्दपुरा के प्रभावशाली लोगो ने उन्हे रोका तथा डरा–धमकार जमीन से भगा दिया, उनके पत्थर उठाकर ले गये। इस सम्पूर्ण धटना की शिकायत पीड़ित परिवारों ने विकास अधिकारी बस्सी को तो की ही साथ अन्य सभी जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारीयों को भी अवगत करवाया। लेकिन इन गरीब दलितों की समस्या पर प्रशासन द्वारा कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई।

उसके बाद पीड़ित परिवार लगातार प्रशासनिक अधिकारीयों व जनप्रतिनिधियो के पास न्याय के लिए चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। नये आशियाने में बसने की तमन्ना दिल में लिए कई आवंटी तो दुनिया से विदा ही हो गये लेकिन उन्हे न्याय नही मिल सका।

सन् 2005 मे सभी दलित परिवार आवंटित भूमि पर कब्जा करने गये तो, ग्राम टेकचन्दपुरा के प्रभावशाली जाति के 50–60 लोगो ने एकत्रित होकर दलितो को पुनः बेदखल कर दिया। दिनाक 24 अगस्त 2006 को पीड़ित परिवारो ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी को शिकायत की जिस पर माननीय अधिकारी ने विकास अधिकारी बस्सी तथा थानाधिकारी बस्सी को कार्यवाही कर तीन दिन मे रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश दिये। सन् 2006 में पीड़ित छीतरमल कोली के साथ मारपीट कर उसकी झोपड़ी मे आग लगा दी गई जिसके खिलाफ पुलिस थाना बस्सी में दिनांक 5 सितम्बर 2006 को मुकदमा सं. 353/06 धारा 435,427 भा.द.स. व 3 (V) SC/ST Act 1989 के तहत दर्ज करवाया गया लेकिन उस पर भी आरोपियों के उच्च राजनैतिक दबाव के चलते कोई कार्यवाही नही हुई।

दिनांक 13 सितम्बर 2006 को जिला कलेक्टर कार्यालय (समाधान) जयपुर के पत्र सं. समा./2006/4212 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बस्सी जयपुर को उचित कार्यवाही कर 15 दिन मे रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश भी दिये गये इसके अलावा श्रीमती मधुकर गुप्ता संभागीय आयुक्त जयपुर ने भी अपने पत्र क्रंमाक प.11(1) भू.अ./06/104/3606 दिनांक 4/12/06 को तत्कालीन उपखण्ड़ अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह को उचित कार्यवाही कर तीन दिन मे रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश दिये, लेकिन यह सब "ढाक के तीन पात" बनकर रह गये। न्याय की आशा मे दलित परिवार सघर्ष करते रहे। प्रभावशाली लोगो द्वारा प्रधानाध्यापक राज.प्रा.वि. टेकचन्दपुरा के साथ मिलकर दलितो की भूमि पर अवैध रूप से चारी दीवारी का काम शुरू कर दिया। जिसकी शिकायत भी गई जिस पर पंचायत प्रसार अधिकारी ने दिनांक 4 अप्रेल 2008 को घटना स्थल का दौरा किया तथा निर्माण कार्य बन्द करने व प्रधानाचार्य को दिनांक 5 अप्रेल 2008 को पंचायत कार्यालय मे मय दस्तावेजो के उपस्थित होने के आदेश दिये लेकिन ऐसा नहीं किया गया तथा निर्माण कार्य जारी रहा, और दिनांक 5 अप्रेल को प्रधानाध्यापक पंचायत समिति कार्यालय बस्सी मे उपस्थित नहीं हुए जिस पर दिनांक 8 अप्रेल 2008 को पत्रांक पसब/पंचा./08/764 के द्वारा प्रधानाध्याक को कार्य रोकने व तीन दिन मे अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये गये। इसके साथ ही दिनांक 4 अप्रेल 2008 को पत्र सं. पी.ए./08/352 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार बस्सी को नियमानुसार कार्यवाही पालना रिपोर्ट पाँच दिन में प्रस्तुत करने के आदेश दिये, माननीय तहसीलदार ने पत्र संत्र आर.ए./08/48 दिनांक 8/4/08 को विकास अधिकारी बस्सी को नियमानुसार जाँच कर तीन दिन में रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश जारी किये लेकिन यह सब आदेश सिर्फ कागजो तक ही सीमित होकर रह गये।

वर्तमान मे दबंग लोगो के उच्च राजनैतिक दबाव के चलते स्थानिय प्रशासनिक अधिकारी दलितों को कानूनी रूप से आवटिंत भूमि से बेदखल करने के लिए पट्टे में अकिंत बिन्दु संख्या 8 *(इस भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपड़ा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। यदि अवधि में यह कार्य नही किया गय तो भू–खण्ड वापिस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा। विशेष कारणवश आवंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय की वृद्वि भी कर सकता है।)* का हवाला देकर दलितों के पट्टे निरस्त करने मे आमादा है। जो पूर्ण रूप से दलितों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

पीड़ितो द्वारा की गई कार्यवाही–

1. दिनांक 23 मार्च 1991 के प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा दिये गये पट्टा मिलते ही दिनांक 11 अप्रेल 1991 को दलितों ने 15–15 रूपये विकास अधिकारी बस्सी को जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर दी और दिसम्बर 1992 में पटाशुदा जमीन पर पत्थर डलवाये परन्तु ग्राम टेकचन्दपुरा वालों के मना करने पर टेक्टर वालों ने पत्थर डालना बन्द कर दिया।
2. सन् 2005 मे सभी दलित परिवार आवंटित भूमि पर कब्जा करने गये तो, ग्राम टेकचन्दपुरा के प्रभावशाली जाति के 50–60 लोगो ने एकत्रित होकर दलितो को पुनः बेदखल कर दिया।
3. दिनांक 3 फरवरी 2005 को तत्कालिन विधायक श्री कन्हैयालाल मीणा को पीड़ितों न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी पटटाशुदा भूमि पर कब्जा दिलवाने का आग्रह किया। जिस पर विधायक ने जिला कलेक्टर को कब्जा दिलवाने हेतु सिफारिश लिखी।
4. दिनांक 20 जुलाई 2006 को कपडा बुनने की मशीने पट्टाशुदा जमीन पर पहुंचाई गई इन मशीनों को R.F.Cजयपुर से लोन लेकर खरीदा गया था।
5. दिनांक 24 अगस्त 2006 को उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टाशुदा भूमि पर से पत्थर उठा ले जाने पर झोंपडी जलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का आग्रह किया गया। जिस पर S.D.M बस्सी ने विकास अधिकारी को पत्र भेजकर तीन दिन में जांच कर रिपोर्ट भेजने को कहा परन्तु उस रिपोर्ट का क्या हुआ पता नहीं।
6. दिनांक 1 सितम्बर 2006 को न्याय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर में इस्तगासा दायर किया गया।
7. दिनांक 5 सितम्बर 2006 को पुलिस थाना बस्सी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 353/06 अन्तर्गत धारा 435, 427, भा.द.स. व 3 (i)(v) SC/ST Act दर्ज करवाई गई कि दलितों की पट्टाशुदा जमीन पर झोंपडियो को जला दिया व वहां पडे पत्थरो को उठा ले गए इस मामले मे पुलिस ने एफ.आर. लगा दी।
8. दिनांक 13 सितम्बर 2006 को जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति जयपुर को पट्टेशुदा भूमि पर बनी दलितों की झोपडियो में आग लगा देने व सामान उठाकर ले जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गयां इस पर जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी बस्सी को तुरन्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया।
9. दिनांक 17 अक्टूबर 2006 को ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि दलितों को दिये गये पट्टो खसरा नं. 120 में अन्य पटटे जारी नही किये जाये क्यों कि इस पर पहले पूर्व मे ही पट्टे कट चुके है।

10. दिनांक 18 अक्टूबर 2006 को ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास की सरपंच श्रीमती पतासी मीणा ने माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को दलितो की पट्टाशुदा भूमि पर कब्जा दिलवाने के लिए पत्र लिखा।
11. दिनांक 16 नवम्बर 2006 को ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती पतासीदेवी मीणा ने जिला कलेक्टर जयपुर को पत्र लिखकर खसरा नं. 120 में काटे गये पट्टो पर दलित कोलियों को काबिज करवाने का आग्रह किया।
12. दिनांक 21 जुलाई 2007 को पुनः जिला कलेक्टर जयपुर को कब्जा दिलवाने के लिए निवेदन किया जिस पर जिला कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी बस्सी को कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने लिए कहा।
13. दिनांक 4 अप्रेल 2008 को पत्र क्रमांक PA/08/352 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने तहसीलदार को आदेशित किया कि अनुसूचित जाति के लोगो को मिले पटटो पर नियमानुसार कब्जा दिलवाया जाये।
14. दिनांक 5 अप्रेल 2008 को पत्र क्रमांक /पसब/पंचा.108/ SP/1-2 द्वारा विकास अधिकारी बस्सी ने प्रधानाध्यापक रा.प्रा.विधालय टेकचन्दपुरा को पत्र लिखकर बताया कि पंचायत समिति की अनुमति के बिना विधालय की चारदीवारी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस तुरन्त रोका जाये तथाा सबूत दस्तावेजों सहित पंचायत समिति में बुलाया।
15. दिनांक 8 अप्रेल 2008 को उपखण्ड अधिकारी के मूल आदेश पत्र के पीछे ही विकास अधिकारी बस्सी को पत्र क्रमांक RA/08/148 द्वारा पट्टाधारियों को कब्जा दिलवाने के लिए लिखा तथा 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लिखा।
16. दिनांक 10 अप्रेल 2008 को पत्र क्रमांक SPL/1 कार्यालय संकुल संदर्भ केन्द्र DPEP/55 बास खोह बस्सी द्वारा विधालय विकास एवं प्रबंध समिति रा.प्रा.विधालय टेकचन्दपुरा पं.सं. बस्सी को भेजकर विधालय की चारदीवारी का निर्माण कार्य रोकने के लिए लिखा गया।
17. दिनांक 11 अप्रेल 2008 को दलित पीड़ितों ने विकास अधिकारी बस्सी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी पट्टाशुदा जमीन खसरा नं. 120 में अवैध रूप से रा.प्रा.वि. टेकचन्दपुरा की चार दीवारी के निर्माण कार्य को रूकवाने का आग्रह किया।
18. दिनांक 24 अप्रेल 2008 को को बांसखोह में लगे मुख्यमंत्री संबल अभियान में उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष दलित पीड़ितों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जा दिलवाने का अग्रह किया।
19. दिनांक 10 मई 2008 को दलित अधिकार केन्द्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
20. दिनांक 26 जून 2008 को सूचना के अधिकार के तहत जांच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु जांच रिपोर्ट नही दी गई। तथा पंचायत प्रसार अधिकारी ने रिपोर्ट देने से मना कर दिया।
21. दिनांक 21 जुलाई 2008 को पुनः जिला कलेक्टर जयपुर को कब्जा दिलवाने के लिए निवेदन किया जिस पर जिला कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी को कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने लिए कहा।
22. दिनांक 22 जुलाई 2008 को जिला कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारी को पत्र भेजकर 10 दिन में तथ्यात्मक जांच भेजने के लिए लिखा इस पर उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने तहसीलदार बस्सी को लिख दिया परन्तु इसका कोई हल नही निकल पाया।
23. दिनांक 25 जुलाई 2008 को उपखण्ड अधिकारी ने पत्र क्रमांक PA/08/795 भेजकर तहसीलदार बस्सी को 5 दिन में रिपोर्ट भेजने को लिखा।
24. दिनांक 30.9.2009 को जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा आयोजित जनसुनवाई में पीड़ितों ने प्रार्थना पत्र देकर उनको आंवटिंत पट्टों पर कब्जा दिलवाने की प्रार्थना की।
25. ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा उपखण्ड अधिकारी को पत्र भेजकर दलितों को आंवटिंत पट्टों पर कब्जा दिलवाने का आग्रह किया।
26. ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास की दिनांक 30.10.2009 को हुई ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 10 के द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि पुलिस प्रशासन की मदद से दलितों को आंवटिंत पट्टेां पर कब्जा दिलवाया जाये।

दलित अधिकार केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

1 दिनांक 10 मई 2008 को पीड़ितों ने दलित अधिकार केन्द्र कार्यालय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तीन सदस्यीय टीम दिनांक 15 मई 2008 को फैक्ट फाईड़िग की गई।

2 दिनांक 30 मई 2008 को फैक्ट फाईड़िग की फोटो प्रतिलिपि सलंग्न कर सम्भागीय आयुक्त जयपुर श्री बी.एल.आर्य, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के.जैन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र बाबू, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री सरदार बूटासिंह, जिला कलेक्टर जयपुर श्री अखिल अरोड़ा को पत्र भेजकर दलितों को न्याय दिलाने का आग्रह किया।

3 दिनांक 30 जून 2008 को पत्र क्रमांक 2769/08 द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न कर पुनः पत्र भेजा गया।

4 दिनांक 26 अगस्त 2008 पत्र संख्या 3694 द्वारा तत्कालीन जिला कलेक्टर जयपुर श्री प्रवीण गुप्ता से उक्त प्रकरण में मिलने हेतु पत्र भेजा गया।

5 दिनांक 2 सितम्बर 2008 को दलित अधिकार केन्द्र का प्रतिनिधि मण्डल गोपालराम वर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर जयपुर श्री प्रवीण गुप्ता से मिला तथा दलितों की पट्टेशुदा जमीन पर कब्जा दिलवाने का आग्रह किया जिस पर कलेक्टर ने कार्यवाही का आवश्वासन दिया।

6 दिनांक 24 दिसम्बर 2008 को पत्र क्रमांक 7035/08 द्वारा उक्त प्रकरण में न्याय दिलाने के लिए पत्र भेजा।

7 दिनांक 21 जनवरी 2009 को पत्र क्रमांक 300/09 के द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन को पुनः पत्र भेजकर दलितों को कब्जा दिलवाने के लिए अनुरोध किया तथा प्रशासन द्वारा अनुरोध किया तथा प्रशासन द्वारा आदेश की अनुपालना नही करने के लिए लिखा गया।

8 दिनांक 16 जून 2009 का पत्र क्रमांक 3271/09 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सचिव को पत्र लिखकर उक्त प्ररकण में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया।

आयोगों द्वारा की गई कार्यवाही–

1. दिनांक 10 जून 08 को पत्र क्रमांक 08/17/1816/4641 के द्वारा राज्य मानवाधिकर आयोग ने उक्त प्रकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज भेजने हेतु दलित अधिकार केन्द्र को लिखा तथा प्रकरण रजिस्टर किया गया।
2. दिनांक 30 सितम्बर 2008 को पत्र क्रमांक 410/20/14/08-09/OC द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दलित अधिकार केन्द्र को अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मुख्य सचिव राजस्थान को निर्देशित कर दिया गया है।
3. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन ने दलित अधिकार केन्द्र को सूचित कर सम्भागीय आयुक्त जयपुर 47 पेज के दस्तावेज भेजकर निर्देशित किया है कि इस प्रकरण में तुरन्त निस्तारित किया जायें।

वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में दलित पीड़ितों को उनको आंवटिंत पट्टों पर कब्जा नहीं मिला है। विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से परिचित करवाने के लिए पत्र दिया गया जिसके जवाब में ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा दिनांक 30.10.2009 को हुई ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 10 के द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि पुलिस प्रशासन की मदद से दलितों को आंवटिंत पट्टों पर कब्जा दिलवाया जाये। परन्तु प्रशासन के सहयोग के बिना दलितों को उनका अधिकार मिलना सम्भव नहीं लगता।

विचारणीय तथ्य–

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499) ◆

प्रकरण संख्या 5

दलित नरेगा श्रमिकों के साथ मारपीट करने सम्बन्धी प्रकरण

ग्राम–गढी हरजूपुरा पुलिस थाना व तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर

पीड़ित– 1 श्रीमती भूरी पत्नी श्रीपत जाटव
2 श्रीपत पुत्र श्री तोताराम जाटव
निवासी–ग्राम गढी हरजूपुरा, पुलिस थाना, बसेड़ी
जिला धौलपुर

बनाम

आरोपी – धमेन्द्र पुत्र अनार सिंह ठाकुर (मेंट नरेगा)
निवासी–ग्राम गढी हरजूपुरा, पुलिस थाना, बसेड़ी
जिला धौलपुर

पीड़ित के गांव की स्थिति–

धौलपुर जिला एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा तो दूसरी तरफ मध्यप्रदेश की सीमा से लगा जिला है जहां चम्बल नदी बहती है और चम्बल के बीहड़ो में आतंक बसता है जिन्हें डकैत कहते हैं इसी जिले की तहसील बसेड़ी का गांव हरजूपुरा जिला मुख्यालय धौलपुर से 45 किलोमीटर तथा तहसील बसेड़ी से 7 किमी की दूरी पर स्थित है। इस गावं में 30 परिवार ठाकुर 25 परिवार काछी 14 परिवार ब्राह्मण एवं 35 परिवार जाटव जाति के है। गांव में ठाकुर, काछी व ब्राह्मणों के पास उनकी कृषि भूमि है, परन्तु दलित जाटवों के पास नाम मात्र की कृषि भूमि होने के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते है। पुरूष खान मजदूर हैं परन्तु जब से नरेगा का काम चला है तब से ये लोग भी नरेगा में काम करने जाते हैं परन्तु वहां भी अत्याचारों का सामना करना पड़ता है।

प्रकरण–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना जब से शुरू हुई है तब से गरीब लोगों को एक तरफ राहत मिली है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और अत्याचार भी बढे हैं और इन अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है दलितों व निम्न तबके के लोगों को जहां मेट से लेकर बी.डी.ओ. और एस.डी.ओ. तक का कोप भाजन इन हाशिये के लोगों को ही होना पड़ता है। इसी का एक उदाहरण बना ग्राम हरजूपुरा का दलित परिवार जहां पति पत्नी दोनों के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई।

दिनांक 19.6.2008 को सुबह से ही ग्राम हरजूपुरा में निर्मित ग्रेवल सड़क पर नरेगा के तहत काम चल रहा था। दोपहर को खाना खाने के बाद पीड़ित दलित श्रीमती भूरी व उसका पति श्रीपति पुनः काम करने लगे तो मैट धमेन्द्र पुत्र अनार सिंह ठाकुर ने कहा कि तुम नीच जाति के लोगों को ठाकुरों के हिस्से की मिट्टी भी खोदनी पड़ेगी। पीड़ित ने कहा कि हम हमारे हिस्से की मिट्टी ही खोदेंगे दूसरे के हिस्से की क्यों खोदेंगे। इस पर मेट धमेन्द्र ने कहा कि आज के बाद काम पर मत आना भाग जाओ यहां से, इतना सुनकर पीड़ित पति पत्नी वहां से जाने लगे तो मेट धर्मेन्द्र ठाकुर ने पीड़ित के पीछे से धक्का मारा और लात घूंसों से पीटने लगा जब पीड़ित की पत्नी भूरी जाटव अपने पति को बचाने लगी तो उसके बाल पकड़कर उसके साथ भी मारपीट की गई तथा उसकी साड़ी उतार कर बे अदब कर दिया। बाद में नरेगा में काम कर रहे अन्य श्रमिकों ने पीड़ितों को बचाया।

पीड़ित इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने बसेड़ी थाने पर जाने लगे तब ठाकुर व काछी जाति के लोगों ने उनका पीछा किया तो डरकर दलित जाटव घरों में घुस गये और अत्याचारियों का गुस्सा दलितों के पशुओं पर उतरा उन्हें डण्डों से पीटा गया। जब अत्याचारी चले गये तो बाद में पीड़ित पुलिस थाना बसेड़ी पहुंचे और लिखित में अपनी दुःख भरी कहानी प्रस्तुत की। इस पर थाना प्रभारी त्रिभुवन नाथ ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को वृत्ताधिकारी के सामने रखेंगे तब रिपोर्ट दर्ज होगी इस प्रकार पीड़ित रात को 10 बजे तक बैठे रहे परन्तु उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी।

20.10.2008 को पीड़ित दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक धौलपुर के पास पहुंचे तब उनके आदेश से शाम 8 बजे एफ.आई.आर. नं. 366/08 अन्तर्गत धारा 323, 341 आई.पी.सी. एंव 3(1)(10) अनुजाति/जनजाति अधिनियम दर्ज हो पाई जिसका अनुसंधान तत्कालीन वृत्ताधिकारी सरमथुरा श्री राजवर्धन सिंह को सौंपा गया।

उक्त धटना के बाद ठाकुर व काछी लोगों ने राजीनामा करने का दबाव भी डाला परन्तु पीड़ितों ने समझौता करने से इन्कार कर दिया।

प्रकरण का आपराधिक विवरण–

- एफ.आई.आर. 366/08 दिनांक 20.10.2008 अन्तर्गत धारा 323, 341 आई.पी.सी. 3(1)(10) अनुजाति/जनजाति अधिनियम पुलिस थाना बसेड़ी जिला धौलपुर
- जांच अधिकारी श्री राजवर्धन सिंह आर.पी.एस. वृताधिकारी सरमथुरा, जिला धौलपुर
- चालान संख्या 285/08 दिनांक 23.12.2008 अन्तर्गत धारा 323, 341 आई.पी.सी. 3(1)(10) अनुजाति/जनजाति अधिनियम

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- 19.10.2008 को सूचना प्राप्त होते ही दलित अधिकार केन्द्र की एक टीम द्वारा दिनांक 26.10.2009को घटना स्थल का दौरा कर फैक्ट फाइडिंग की गई।
- दिनांक 31.10.2008 को न्याय मूर्ति माननीय श्री राजेन्द्र बाबू अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, माननीय सरदार बूटा सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री टी.एल.मीणा पुलिस महारिरीक्षक मानवाधिकार, श्री के0एस. बैंस पुलिस महानिदेशक राजस्थान श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर जिला कलेक्अर धौलपुर श्री विाकस कुार जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को पत्र लिखकर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर पीड़ितों को राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

दलित अधिकार केन्द्र के हस्तक्षेप से उक्त प्रकरण में सक्षम न्यायालय नें आरोपी के खिलाफ चालान सं. 285/08 दिनांक 23.12.2008 को सक्षम न्यायालय में धारा 341, 323 आईपीसी एवं 3(1)(10) अनुजाति/जनजाति अधिनियम के तहत चालान हो चुका है तथा दलित अधिकार केन्द्र का अधिवक्ता पैनल विधिक हस्तक्षेप कर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है।

विचारणीय तथ्य–

- धौलपुर जिले में दलितों पर दंबगों का आतंक बना रहता है नरेगा का भी सच यही है कि दलितों के दंबगों के हिस्से का काम करना पड़ता है और उसका भुगतान दंबग लोग उठाते हैं, मना करने पर दलितों के साथ अत्याचार होता है तथा उन्हें अपमानित किया जाता है। शिकायत करने पर पुलिस प्रशासन भी इनकी ओर ध्यान नहीं देता।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के (1) में लिखा है कि बलात श्रम का प्रतिशोध किया जाता है जो कि विधि के अनुसार दण्डनीय है। परन्तु आज संविधान की सही व्याख्या करना शायद सरकार, पुलिस व प्रशासन ने नकार दिया है तभी तो जबरदस्ती दलितों से काम करवाने वाले ठाकुर मेंट के खिलाफ वाद न्यायालय में लटका हुआ है और पीड़ित न्याय की आशा में अटका हुआ है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *''न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।''* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

प्रकरण संख्या 6

ग्राम ऊंचा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा स्थित दलित की भूमि पर कतिपय लोक सेवकों की मदद से भू–माफियाओं का अवैध कब्जा व गम्भीर अत्याचार करने सम्बंधी प्रकरण

पीड़ित– **श्रीमती सोहनी देवी पत्नि बदरीलाल बैरवा**
निवासी एजेन्सी एरिया देवली, जिला टोंक

बनाम

आरोपी– 1. गोपाल पुत्र जोधा माली,
2. रामस्वरूप पुत्र जोधा माली,
3. खेमराज पुत्र गोपाल माली
निवासी ग्राम ऊँचा पुलिस थाना हनुमान नगर, तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

घटना का संक्षिप्त विवरण–

श्री बदरी लाल बैरवा पुत्र नारायण बैरवा हाल निवासी एजेन्सी एरिया देवली जिला टोंक ने ग्राम ऊँचा तह.जहाजपुर जिला भीलवाडा निवासी रतना पुत्र रूपा माली से दिनांक 24 जुलाई 1999 को ग्राम ऊँचा तह. जहाजपुर मे अपनी पत्नी सोहनी देवी बैरवा के नाम खातेदारी भूमि आराजी न. 1325 व 750 कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का क्रय किया गया।

विक्रेता रतना जी माली ने उक्त जमीन की रजिस्ट्री क्रेता के नाम कराने के लिए दिनांक 24 जुलाई 99 को 1000–1000 रूपये के 5 स्टाम्प पेपर खरीदे जो स्टाम्प विक्रेता के रजिस्ट्रर क्र.न. 1799 पर दर्ज है, इन स्टाम्प पैपरो पर वेचाननामा लिखकर दो गवाह जयसिंह पुत्र नारायण सिंह मीणा व प्रकाश पुत्र भूरालाल जी मीणा निवासी ग्राम ऊँचा तह. जाहजपुर के साथ उप पजियंक कार्यालय जहाजपुर मे भी बालेन्द्र आर्य के सामने पेश किया गया जिन्होने वेचाननामा को स्वीकृत कर न. 898 पर दर्ज किया, तथा राजस्व रिकोर्ड मे भी दर्ज कर दिया गया। कुछ समय बाद इस भूमि पर प्रभावशाली गोपाल पुत्र जोधा माली,रामस्वरूप पुत्र जोधा माली, खेमराज पुत्र गोपाल माली निवासी ग्राम ऊँचा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा ने दादागिरी करके अवैध कब्जा कर होटल का निर्माण कर लिया। अवैध कब्जे के बाद से ही पीड़ित परिवार लगातार इस बात की शिकायत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियो को करता आ रहा है।

दिनांक 13 फरवरी 2003 को आरोपी जब पीडिता की भूमि पर होटल का निमार्ण के लिए मिट्टी व पत्थर डाल रहे थे, तब पीडित परिवार ने आरोपियें का विरोध किया तो उन्होने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट व अभद्रव्यवहार कर अपमानित किया। इस सम्बन्ध मे बद्रीलाल बैरवा द्वारा पुलिस थाना जाहजपुर मे एक शिकायती पत्र पेश किया जिस पर पुलिस थाना ने नामजद आरोपियो गोपाल,रामस्वरूप,शंकर,चॉन्दमल पुत्र जोधा माली व खेमराज पुत्र गोपाल माली के खिलाफ मु न. 69/03 दिनांक 13–2–03 जुर्मधारा 447,427,143 भा.द.स. व 3(i)(V)(X)SC/ST Act 1989 मे दर्ज कर अनुसंधान किया गया । अनुसंधान के दौरान आरोपियों की उच्च राजनैतिक व प्रशासनिक पहुच व आर्थिक सुदृढता के दबाव मे जॉच अधिकारी ने सही मामले को झूंठा बताकर मामले मे अन्तिम रिपोर्ट न. 05/03 दिनांक 5–3–03 को माननीय न्यायालय मे पेश कर दी ।

दिनांक 7 जून 04 को आरोपीयो द्वारा पीडिता की भूमि पर पक्का निर्माण के लिए जब नीवं खोदी जा रही थी तब भी पीडिता ने उनका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दो से अपमानित किया गया। इस सम्बन्ध मे पीडिता के पति बद्रीलाल बैरवा ने माननीय न्यायालय जहाजपुर के समक्ष दण्ड प्रकिया सहिता की धारा 156 (3) के तहत आरोपियों के खिलाफ इस्तगाशा पेश किया, जिस पर पुलिस थाना जाहजपुर मे नामजद आरोपी गोपाल,रामस्वरूप,,चॉन्दमल पुत्र जोधा माली के खिलाफ मु न. 174/04 जुर्मधारा 143,447, भा.द.स. व 3(i)(V) SC/ST Act 1989 मे दर्ज कर अनुसंधान किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान मे मुल्जिम गोपाल, रामस्वरूप माली के विरूद्व अपराध धारा 447, भा.द.स.व 3(i)(V) SC/ST Act 1989 मे अपराध प्रमाणित पाया (यह पुलिस अधिक्षक के पत्र क्र. 24230–31 दिनांक 23–8–04 मे अकिंत है) आरोपियो के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाजपुर की अदालत मे दिनांक 2–11–04 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। (यह राज्य मानवाधिकार आयोग के पत्र क्र. 2603 दिनांक 19–4–05 मे अकिंत है) लेकिन फिर भी पीडित को न्याय से वंचित कर उसका अधिकार नही दिया गया।

इसके बाद पुनः पीडिता द्वारा माननीय न्यायालय जहाजपुर के समक्ष दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आरोपीयो के खिलाफ इस्तगाशा पेश किया न्यायलय के आदेश से पुलिस थाना जहापुर मे आरोपीयो के खिलाफ दिनांक 21–12–04 को मुकदमा न. 475/04 जुर्मधारा 447, भा.द.स. व 3(i)(V) SC/ST Act 1989 के तहत दर्ज किया गया जिसका अनुसंधान जॉच अधिकारी श्री मनीष त्रिपाठी उप अधीक्षक जहाजपुर द्वारा किया गया इस बार भी उच्च दबाव के चलते जॉच अधिकारी ने सही मामले को झूंठा बताकर माननीय न्यायालय मे अन्तिम रिपोर्ट न. 2/05 दिनांक 18–1–05 पेश कर दी ।

न्याय की आशा मे परिवादी ने फिर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष परिवाद न. 5/04 धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। तहसीलदार महोदय ने प्रस्तुत दस्तावेजो व पटवारी से मामले की रिपोर्ट तलब कर दिनांक 28 फरवरी 2005 को पीडित के पक्ष मे फैसला सुनाते हुऐ आदेश दिया की भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को लिखा जावे की थानाधिकारी जहाजपुर की सहायता से अतिक्रमी को बेदखल कर परिवादी को भौतिक रूप से कब्जा दिलाया जावे तथा इसकी पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे , लेकिन इस पर आज तक कोई कार्यवाही नही की गई। इसके अलावा श्री किशन लाल वाल्मिकी संसद सदस्य ने भी उच्च अधिकारियो को फोन करके कार्यवाही के लिए कहा गया लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नही दिया गया। प्रार्थी श्री बदरी लाल बैरवा ने जब अतिक्रमण की शिकायत स्थानीय विधायक श्री शिवजीराम मीणा से करी तो विधायक महोदय ने भी अतिक्रमी का पक्ष लेते हुए कहा कि क्या तेरे को न्याय देने के लिए मैं गोपाल माली का होटल तुड़वा दूँ?

पीडित ने पुनः तहसीलदार न्यायालय मे परिवाद संख्या 2/07 धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिस पर तहसीलदार महोदय ने दिनांक 26 फरवरी 2007 को पीडित के पक्ष मे फैसला सुनाकर भू अभिलेख अमरवासी को आदेश क्र.राजस्व/07 प्र.स. 02/07 की पालना का आदेश दिया। इस सम्बन्ध मे भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त अमरवासी ने अपने पत्र क्रमांक 107/07 दिनांक 22 मई 2007 के माध्यम से श्रीमती सोहनी देवी बैरवा (परिवादी) व गोपाल माली (आरोपी) को अवगत करवाया की दिनांक 26 मई 2007 को पीडिता सोहनी देवी को भूमि का भौतिक रूप से कब्जा दिया जायेगा अत. मौके पर उपस्थित रहे।

दिनांक 26 मई 2007 को पीडिता का पति बदरीलाल बैरवा मौके पर गया, लेकिन सम्बधिंत अधिकारीयो ने कोई सन्तोषजनक कार्यवाही नही की बल्कि पालना रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए श्रीमति सोहनी देवी व उस पर दबाव बनाने लगे, जब पीडित ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पालना रिपोर्ट मे लिखा गया कि पीडिता को कब्जा सम्भला दिया गया है, और बद्रीलाल बैरवा ने पालना रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया (यह कथन तर्कसंगत नही है क्योकि अगर सन्तोषजनक कार्यवाही कर उसे कब्ज सम्भलाया जाता तो वह हस्ताक्षर करने से मना नही करता) इस सम्बन्ध मे तहसीदार जहाजपुर ने अपने पत्र क्रमाकः– राज्स्व/07/1380 दिनांक 23–10–07 के जरिये दलित अधिकार केन्द्र राजस्थान को अवगत करवाया कि पीडिता को दिनांक 26 मई 2007 को भौतिक रूप से कब्जा सम्भला दिया गया है। (पीडित परिवार से दलित अधिकार केन्द्र का जॉच दल मिला तो पता चला कि तहसीदार द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः झूंठी है)। पीड़ित पक्ष ने यह भी बताया कि तहसीलदार जहाजपुर ने अतिक्रमी के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की अपितु दिनांक 11–7–07 को प्रार्थिया सोहनी देवी को ही एक नोटिस जारी करके कहा कि उसने अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि में होटल खोल रखा है। यह पक्षपात पूर्ण कार्यवाही का द्योतक है।

दिनांक 26 सितम्बर 2007 को पीड़ित बद्रीलाल बैरवा अपनी जमीन को सम्भालने मौके पर गया तो नामजद आरोपी खेमराज पुत्र गोपाल माली,गोपाल पुत्र जोधा माली, व उनके परिवार के सदस्यो ने पीडितो को घेर कर होटल मे लाया गया और खाली कागजो पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया। जब उसने विरोध किया तो उन्होने उसके साथ 60–70 आदमियो के सामने गम्भीर रूप से मारपीट कर उसे जान से मारने के लिए धक्का मारकर ट्रक के नीचे देने की कोशिश भी की गई, उसके पैरो पर वार कर दोनो पैरो की हड्डिया तोड दी, तथा दांतली से उसके हाथो पर भी कट लगाये गये। आरोपियों के इस आतंक को देखकर किसी भी आदमी ने पीडित को बचाने की कोशिश नही की। उसके बाद आरोपी (खेमराज माली) पीडित बद्रीलाल बैरवा को घायल अवस्था मे उटाकर घर के अन्दर ले गये और उसके ऊपर ईटो की दीवार को तोडकर पटक दिया व उसके पूरे शरीर पर सीमेन्ट लगा दिया तथा पुलिस को फोन करके बुला लिया और आरोप लगाया की यह हमारे घर मे घुसकर महिलाओ के साथ छेडछाड कर बलात्कार का प्रयास कर रहा था,। पुलिस ने मामले को साबित करने के लिए पीडित को जूता खोलकर उनके घर मे डाल दिया, लेकिन बद्रीलाल की हालत अत्यन्त गम्भीर होने के कारण उसे घायल अवस्था मे पुलिस द्वारा देवली अस्पताल मे भर्ती करवाया तथा उसके बयान अपनी मन मर्जी से पुलिस ने कलमबद्ध कर आरोपियों के खिलाफ

मु.न. 297/07 दिनांक 26–9–07 जुर्मधारा 341.323,325.34 भा.द.स. मे दर्ज किया गया,। चूंकि पुलिस की आरोपियों के साथ मिली भगत थी अतः जान बूझ कर मामले मे अनुजाति/जनजाति एक्ट की धारा 3 नही लगाई और पीडित को अस्पताल मे पहुँचा दिया। डॉक्टरो ने पीडित की गम्भीर हालत को देखकर इलाज के लिए देवली से टोंक अस्पताल मे रैफर कर दिया गया, जहॉ उसे भर्ती कर 10 दिन तक इलाज किया गया। आरोपी गोपाल माली का एक लडका मोहन लाल बून्दी पुलिस मे कार्यरत है जो समय समय पर स्थानीय पुलिस से मिल कर मामले मे हस्तक्षेप कर जॉच रिपोर्ट को प्रभावित करता है,। पुलिस ने मामले से अपना पल्ला झाडने के लिए मामले कि जॉच कर केवल तीन दिन मे आरोपियो के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 197/07 दिनांक 29–9–07 धारा 341,323,325,34 के तहत माननीय न्यायालय मे पेश कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट मे फोटो छगन का लगा रखा है और नाम खेमराज का लिख रखा है जिससे कि आरोपीगण न्यायालय मे सजा पाने से बच जावें। इसके अलावा दिनांक 28–9–07 को श्री हरफूल पंकज तहसीलदार ने श्रीमती सोहनी देवी को कुछ कागजो पर जबरदस्ती अंगूठा लगवा कर ले गया और ऊपर के अधिकारियों को गुमराह किया कि आरोपियों को जमीन से बेदखल कर पीड़िता को जमीन का कब्जा दिलवा दिया है।

प्रकरण का आपराधिक विवरण–

1. एफ.आई.आर. 69/03 दिनांक 13.2.2003 अन्तर्गत धारा 447, 427, 143 आईपीसी एवं 3(1)(5) व (10) अनुजाति/जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट
2. एफआईआर 475/04 दिनांक 21.12.2004 अन्तर्गत धारा 447 आईपीसी 3(1)(5) अनुजाति/जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट इस्तगासा 156(3) द्वारा दर्ज
3. एफआईआर 02/05 दिनांक 18.1.2005 अन्तर्गत धारा 447 आईपीसी
4. एफआईआर 26/07 दिंनाक 26.9.2007 अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 34 आईपीसी
5. मेडीकल रिपोर्ट सं. 87/07 दिनांक 26.9.2007 राजकीय चिकित्सालय देवली टोंक
6. चालान नं. 197/07 दिनांक 29.9.2007 अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 34 आईपीसी

प्रकरण के विचारणीय तथ्य–

1. दलित–उत्पीड़न का यह अत्यन्त गंभीर मामल है जिससें पुलिस प्रशासन का आरोपियों के साथ नापाक गठ जोड़ प्रतीत होता है। पीडित परिवार की जमीन पर भूमाफिया व बाहुबलि परिवार का अतिक्रमण र्निविवाद रूप से प्रथम हश्य सिद्व हो रहा है और पीडित परिवार अवैध और जबरन अतिक्रमण और उत्पीड़न के विरूद्व निरन्तर पुलिस प्रशासन व अन्य अधिकारियों को लगातार शिकायत व रिपोर्ट प्रस्तुत करता आ रहा है परन्तु स्थानीय व सम्बधित लोक सेवको का आरोपियों के साथ नापाक गठ जोड़ होने के कारण पीड़ित परिवार को न्याय, राहत व सुरक्षा से वचिंत कर उच्चधिकारियों को झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर गुमराह किया जा रहा है। अतिकमी परिवार धनी, प्रभावशाली व भू माफिया होने के कारण क्षेत्र के सभी प्रभावशाली राजनेताओं, अधिकारियों तक पहुँच रखता है तथा सबको होटल के सुविधा जुटा कर इस प्रकरण मे चुप रहने का दबाव डालता है। आरोपी गोपाल माली का एक लडका मोहन लाल का पुलिसकर्मी होना व स्थानीय पुलिस पर दबाव देंना व पीडित को आतंकित करना भी एक मुख्य कारण है।
2. स्थानीय पुलिस व प्रशासन विशेषकर राजस्व विभाग की भूमिका भी इस प्रकरण मे पूर्णतय पक्षपात पूर्ण व न्याय मे विपरीत जाहिर होती है क्योकि कि तथ्य बताते है कि लगातार की जाने वाली उत्पीड़न व अतिकमण की शिकायतों को झुठा बताकर न्यायालय व उच्चधिकारियों को गुमराह किया जाता रहा है।
3. एक बार जिला पुलिस अधीक्षक ने पत्र कमांक 24230–31 दिनांक 23–8–04 के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग को भी गुमराह किया गया कि पीडिता को उसकी भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ।
4. पीडित परिवार को सुरक्षा नही मिलने के कारण आरोपियों द्वारा बार–बार धमकिया देकर आतकिंत किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष को न्याय व सुरक्षा देने के स्थान पर उसे धमकाया जा रहा है जो कि लोक सेवको के लिए कानून के विरूद्ध कृत्य है।
5. इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तर पर जॉच करवा कर आरोपी, पुलिस प्रशासन के गठजोड को उजागर करने की आवश्यकता है जिससे कि पीड़ित पक्ष को न्याय व सुरक्षा मिल सकें।

आयोग एवं पुलिस /प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही–

1. दिनांक 28.2.2005 को तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा ने आरोपी रामस्वरूप पुत्र जोधा माली को अतिक्रमी घोषित कर जमीन से बेदखल करने के लिए भू अभिलख निरीक्षक (गिरफ्तार) के कब्जा दिलाने की कार्यवाही हेतु आदेशित किया।
2. दिनांक 1.4.2005 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रकरण में जवाब भेजा कि पीड़ित की एफआईआर नं 02/05 में आरोपियों का चालान कर दिया गया है।
3. दिनांक 1.4.2005 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रकरण में जवाब भेजा कि पीड़ित की एफ.आई.आर. नं. 02/05 में आरोपियों का चालन कर दिया गया है।

4. दिनांक 26/02/2007 को तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा ने राजस्थाने टेनेन्सी एक्अ की धारा 183 बी के तहत अपने निर्णय में बताया कि आरोपी को बेदखल कि या जाने तथा गिरदावर जमीन सुपुर्दगी की कार्यवाही अमल में लाये।
5. दिनांक 22.12.2007 को पत्रांक भील/अय/07/43394–98 के द्वारा पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने सूचित यिका कि आरोपियों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चालान संख्या 197/07 दिनांक 29.9.2007 को अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 34 आइपीसी के तहत चालान कर दिया गया है।
6. दिनांक 28.3.2008 को कलेक्टर भीलवाड़ा ने पत्र द्वारा सूचित किया कि पीड़ित को उसकी जमीन सुपुर्द कर दी गई है।
7. दिनांक 18.6.08 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयेाग ने राज्य मानवाधिकार आयेाग को उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा।
8. दिनांक 24.6.2008 को राजस्थान मानवाधिकार आयेाग द्वारा पत्र प्रेषित कर सी.डी.आर. को सूचित किया गया कि एस.पी. भीलवाड़ा द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही कर दी गई है।
9. दिनांक 28.7.2008 को जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ने अध्यक्ष दलित अधिकार केन्द्र को पत्रांक संख्या न्याय/परिवाद/08/22835 द्वारा सूचित किया कि पीड़ित की विवादित भूमि से कब्जा हटवा दिया गया है और 107 तहत आरोपियों को पाबन्द कर दिया गया है।

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

1. दिनांक 13.10.2007 को पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा श्री मोहन सिंह का पत्र लिखकर एफआईआर. सं. 297/07 में एस.सी./एस.टी. एक्ट जोड़ने तथा जिला कलेक्टर भीलवाड़ा श्री हेमन्त गेरा एवं तत्कालीन तहसीलदार जहाजपुर को पत्र भेजकर पुलिस सहायता द्वारा पीड़िता को उसकी जमीन पर कब्जा दिलवाने का आग्रह किया।
2. दिनांक 16.11.2007 को न्याय मूर्ति माननीय श्री राजेन्द्र बाबू अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, माननीय सरदार बूटा सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री टी.एल.मीणा पुलिस महारिरीक्षक मानवाधिकार, श्री के.एस. बैंस पुलिस महानिदेशक राजस्थान, श्री हेमन्त गेरा जिला कलेक्टर भीलवाड़ा श्री मोहन सिंह जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा, श्री वी.एस. सिंह गृह सचिव, श्रीमती वसुन्धरा राजे मुख्यमंत्री राजस्थान, श्री एन.के. जैन अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर दलित पीड़िता को न्याय दिलवाने का आग्रह किया गया।
3. दिनाक 19.11.07 को दलित अधिकार केन्द्र के अध्यक्ष श्री पी.एल. मीमरोठ द्वारा भीलवाड़ा में प्रेसवार्ता की गई जिसे "न्यायालय के आदेशों को खुली चुनौती" शीर्षक से सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया।
4. दिनांक 19.11.2007 को भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से मिलकर उक्त प्रकरण में ज्ञापन प्रस्तुत किया।
5. दिनांक 1.1.08 को को भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर पीड़ित को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया।
6. दिनांक 21.02.2008 को को भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर पीड़ित को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया।
7 दिनांक 24.4.2008 को को भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर पीड़ित को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया।
8. दिनांक 5.05.2008 को न्याय मूर्ति माननीय श्री राजेन्द्र बाबू अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, श्रीमती मीराकुमार माननीय केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्री डी.सी. सावन्त मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, श्री हेमन्त गेरा जिला कलेक्टर भीलवाड़ा श्री मोहन सिंह जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा, श्री वी.एस. सिंह गृह सचिव, श्रीमती वसुन्धरा राजे मुख्यमंत्री राजस्थान, श्री एन.के. जैन अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर दलित पीड़िता को न्याय दिलवाने का आग्रह किया गया।
9. दिनांक 22.8.2008 को तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वाथ्य मंत्री श्री नरपत सिंह राजवी, श्री गुलाब चन्द कटारिया गृहमंत्री राज.सरकार, श्रीमती वसुन्धरा राजे मुख्य मंत्री राज. सरकार को पत्र भेजकर पीड़ित बदरी बैरवा के स्थानान्तरण को रूकवाने के लिए निवेदन किया।
10. दिनांक 4.2.2009 को जिला कलेक्टर श्री भवानी सिंह देथा एवं पुलिस अधीक्षक श्री वी.के.सिंह को पत्र भेजकर पीड़ित को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया।
11. दिनांक 16.6.09 को सचिव, न्यायमूर्ति एन.एन. माथुर आयोग को पत्र भेजकर पीड़ित के भूमि विवाद में न्याय दिलाने के लिए लिखा गया।

वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर आरोपियों का कब्जा है श्रीमती सोहनी देवी पत्नी बदरी प्रसाद बैरवा के अशिक्षित होने का लाभ लेकर प्रशासन ने कागजों में आरोपियों को बेदखल करना दिखाकर 107 के तहत पाबन्द करना दिखा दिया है जबकि पीड़िता आज भी अपनी भूमि के लिए तरस रहा है। पीड़िता का पति चिकित्सा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है फिर भी परेशान करने के लिए विभाग के प्रशासनिक अधिकारी इधर–उधर स्थानान्तरण कर परेशान कर रहे है और दलित आज भी न्याय पाने के लिए भटक रहा है।

विचारणीय तथ्य–

- पीड़ित द्वारा 1999 से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उसकी क्रयशुदा भूमि से दबंगों का अतिक्रमण हटवाया जाये परन्तु प्रशासनिक लापरवाही के चलते आजतक भी पीड़ित को भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है।
- पीड़ित द्वारा दर्ज शिकायतों में पुलिस ने झूठा मानकर एफ.आर. लगा दी और जिस एक प्रकरण में चालान किया गया उसमें से भी एस. सी./एस.टी. एक्ट हटाकर दो दिन में ही चालान कर दिया गया। इससे दलितों के प्रति पुलिस की संवेदनहीनता स्पष्ट नजर आती है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499) ◆

प्रकरण संख्या 7

ग्राम बिवाई, तहसील बसवा, थाना बांदीकुई, जिला दौसा (राज.) में प्रशासन (भू–आवंटन कमेटी) द्वारा भूमि आवंटन में दलितों के साथ भेदभाव संबंधी प्रकरण

पीड़ित– श्रीमती धापा देवी सरपंच ग्राम पंचायत बिवाई एवं गांव के अन्य दलित परिवार, निवासी बिवाई, तहसील बसवा, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा (राज.)

बनाम

आरोपी– भू–आवंटन कमेटी, एस.डी.ओ. बांदीकुई जिला दौसा एवं दीनदयाल शर्मा उप सरपंच पुत्रश्री रामहेत लाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बिवाई, तहसील बसवा, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा (राज.)

ग्राम बिवाई का संक्षिप्त विवरण –

गांव बिंवाई राजस्थान की राजधानी जयपुर से 75 किलोमीटर, जिला मुख्यालय दौसा से 50 किलोमीटर तथा तहसील मुख्यालय बसवा से 28 किलोमीटर दूरी पर मुख्य सड़क से 7 किमी. दूर स्थित है। गांव की जनसंख्या लगभग 4500 है तथा मतदाताओं की संख्या 2750 है। गांव में गुर्जर जाति को छोड़कर सभी जातियां निवास करती हैं। गांव में मीणा जाति (अनुसूचित जनजाति) के 150 परिवार, माली (अन्य पिछड़ा वर्ग) जाति के 150 परिवार, ब्राह्मण (सामान्य) जाति के 125 परिवार, वैश्य (सामान्य वर्ग) के 50 परिवार, बैरवा (अनुसूचित जाति) के 60 परिवार, कोली (अनुसूचित जाति) जाति के करीब 50 परिवार, मुस्लिम फकीर (अल्पसंख्यक) 25 परिवार, बाल्मीकी (अनुसूचित जाति) के 20 परिवार, खटीक (अनुसूचित जाति) के 10 परिवार, राजपूत (सामान्य वर्ग) के 10 परिवार, नाई (अन्य पिछड़ा वर्ग) के 10 परिवार, कुम्हार (अन्य पिछड़ा वर्ग), धोबी (अनुसूचित जाति) 1 परिवार, तेली (अन्य पिछड़ा वर्ग) 4 परिवार तथा अन्य 18 परिवार हैं।

ग्राम में दलितों के साथ आज भी छूआछूत तथा जातिगत भेदभाव किया जाता है। गांव में श्रीमती धापा देवी से पूर्व कोई दलित सरपंच नहीं बना है। श्रीमती धापा देवी गांव में प्रथम दलित महिला सरपंच बनी हैं। बसवा तहसील में मीणा (अनुसूचित जनजाति) तथा गुर्जर (अन्य पिछड़ा वर्ग) का बाहुल्य है और ये ही गांव में प्रभावशाली जाति है। मीणा बाहुल्य गांव होते हुए भी ब्राह्मण अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और यही कारण है कि यहां उप सरपंच दीनदयाल शर्मा पुत्र श्री रामहेत लाल शर्मा जो कि ब्राह्मण जाति का सदस्य है, अपनी मनमानी करता है।

प्रकरण–

ग्राम पंचायत बिवाईं में सरपंच का पद अनुसूचित जाति की महिला के नाम पर आरक्षित घोषित हुआ था। दिनांक 3 फरवरी 2005 को सरपंच निर्वाचन के दौरान श्रीमती धापा देवी को ग्राम पंचायत बिवाईं का सरपंच निर्वाचित किया गया। सरपंच धापा देवी एक निरक्षर महिला है। दिनांक 4 फरवरी 2005 को उप सरपंच का चुनाव हुआ, जिसमें दीनदयाल शर्मा को उप सरपंच चुना गया। यह व्यक्ति धापा देवी के दलित, निरक्षर और महिला सरपंच होने का पूरा–पूरा लाभ उठा रहा है। 15 अगस्त 2006 को सरपंच को ध्वजारोहण भी नहीं करने दिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति भी सरपंच की अनुपस्थिति में कर ली गई। इससे स्पष्ट होता है कि दलित महिला सरपंच को ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ–साथ सचिव भी कुछ नहीं समझते हैं और उप सरपंच दीनदयाल शर्मा सरपंच को गुमराह कर अपना उल्लू सीधा करता रहता है।

अप्रेल 2005 में जिन लोगों को भू–आवंटन कमेटी द्वारा ग्रामीणों को भूमि आवंटित की गई, उनमें से केवल दो–तीन फार्मों पर उप सरपंच दीनदयाल शर्मा द्वारा यह कह कर हस्ताक्षर करवाए थे कि ऋण के जरूरी कागजात हैं। शेष पट्टों पर सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। कुछ पट्टे तो इस प्रकार के हैं कि उन पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। जिस सिवाय चक भूमि के पट्टे भू–आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किए गए हैं, उस भूमि पर पहले से ही दलितों के कब्जे थे। जिन्होंने 91 की कार्यवाही के तहत पेनल्टी भी जमा करवाई थी। परन्तु दलितों की उपेक्षा कर तथा भू–आवंटन के नियमों की अवहेलना कर गैर दलितों को भूमि आवंटित कर दी गई। जब दलितों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की तो उन्होंने आवंटन पर रोक तो लगा दी, परन्तु इसका लाभ दलितों को नहीं मिल पाया। जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई है, जो पहले से ही भू–स्वामी हैं।

अवैध भू–आवंटन पट्टों की सूची

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	जाति
1.	गोल्या सैनी	श्री छुट्ठन सैनी	माली
2.	सोबली	श्री बील्या	माली
3.	मोज्या	श्री घासी	माली
4.	कन्हैयाराम सैनी	श्री मोतीराम	माली
5.	कुरमा देवी	श्री रामफूल	माली
6.	रामस्वरूप	श्री बील्या राम	माली
7.	नाथूराम कोली	श्री भूराराम	कोली

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जाति
8.	मो. बुन्दू खां	–	मुस्लिम
9.	हरिनारायण	श्री छीतर	गुर्जर
10.	प्रेम नारायण शर्मा	श्री गोविंद शर्मा	ब्राह्मण
11.	नाथू लाल	श्री धन्नालाल	माली
12.	चंदा राम	श्री भोज्या	माली
13.	राम अवतार	श्री रामजीलाल	गुर्जर
14.	श्रीमती दयावती शर्मा	श्री सुभाषचंद शर्मा	ब्राह्मण
15.	खेड़ाराम, गिरिराज	श्री भूरिया राज	माली
16.	श्रीमती मीरा देवी शर्मा	श्री दीनदयाल उपसरपंच	ब्राह्मण
17.	सुभाष चंद	श्री बाबूलाल	ब्राह्मण
18.	कृष्ण गोपाल शर्मा	श्रीधर शर्मा	ब्राह्मण
19.	सैफुद्दीन	श्री बाबू खां	मुस्लिम
20.	कमलेश कुमार शर्मा	श्री रामधन शर्मा	ब्राह्मण
21.	दीनदयाल शर्मा उपसरपंच	श्री रामहेत लाल शर्मा	ब्राह्मण
22.	कैलाश चंद	श्री प्रभु दयाल	ब्राह्मण

उपर्युक्त सूची में आवंटित 22 पट्टों में से केवल 1 व्यक्ति नाथूराम पुत्र श्री भूराराम जाति कोली जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, शेष 9 माली, 8 ब्राह्मण, 2 गुर्जर, 2 मुस्लिम जाति के लोगों के नाम भूमि आवंटित की गई है। नाथूराम पुत्र श्री भूराराम जाति कोली को भी इसलिए भू–आंवटन किया गया क्योंकि यह तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी का ड्राइवर था।

पट्टे जिन पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं, निम्न प्रकार से हैं–

1. सुभाष चंद पुत्र श्री बाबूलाल, जाति ब्राह्मण
2. कृष्णगोपाल पुत्र श्रीधर, जाति ब्राह्मण
3. सैफुद्दीन पुत्र श्री बाबू खां, जाति मुस्लिम
4. कमलेश कुमार पुत्र श्री रामधन, जाति ब्राह्मण
5. दीनदयाल उपसरपंच पुत्र श्री रामहेत लाल, जाति ब्राह्मण

उपर्युक्त पट्टों का निरीक्षण करें तो स्पष्ट है कि 5 पट्टों में से 1 पट्टा दीनदयाल शर्मा उपसरपंच ग्राम पंचायत बिवाई तथा 3 पट्टे उनके परिजनों के नाम हैं, जो बिल्कुल फर्जी तरीके से तैयार करवाए गए हैं।

पीड़ितों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण–

पीड़ित दलित परिवारों द्वारा उप जिला कलेक्टर बांदीकुई, जिला दौसा को प्रार्थना पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि जिस सिवायचक भूमि का आवंटन भू–आवंटन कमेटी द्वारा धोखे में किया गया है, वह उनके पूर्वजों के समय से कब्जे में रही भूमि है और उस पर वे काश्त (खेती) करते चले आ रहे हैं। इस भूमि पर 91 की कार्रवाई भी हो चुकी है, जिसकी पेनल्टी दलित परिवार जमा करवा चुके हैं, फिर भी जमींदारों व प्रभावी गैर दलितों को राजस्थान टैनेन्सी एक्ट की अवहेलना करते हुए आवंटन कर दी गई है जबकि 82 दलित परिवार ऐसे हैं, जिनके पास 1 बीघा भी कृषि भूमि नहीं हैं।

दिनांक 1 जुलाई 2007 को ग्राम बिवाई के दलितों ने हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र दलित अधिकार केन्द्र जयपुर को प्रस्तुत कर अवैध भू–आवंटन को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया, जिस पर केन्द्र द्वारा जिला प्रशासन को पत्र लिखे गये परन्तु कोई कार्यवाही नही होनें पर केन्द्र द्वारा न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा में अवैध रूप से आवंटित 22 पट्टों को निरस्त करने हेतु वाद दायर किया गया।

दलित अधिकार केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

1. दिनांक 27.8.2006 को चार सदस्यीय जांच दल ने ग्राम बिवाई के प्रकरण का तथ्यान्वेषण किया और इसी दिन जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें गैर दलितों को जो गैर कानूनी तरीके से भू–आवंटन किया गया है, उसे तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई।
2. पत्र क्रमांक 4241/06 दिनांक 14.8.2006 को राजस्थान राज्य महिला आयोग को दलित महिला सरपंच श्रीमती धापा देवी के फर्जी हस्ताक्षर आवंटन पत्र पर करने के बारे में पत्र लिखा।
3. पत्र क्रमांक 4242/06 दिनांक 14.8.2006 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग के पत्र के माध्यम से दलित वर्ग की कब्जाशुदा भूमि पर गैर दलितों को हुए आवंटन को रद्द करने के लिए प्रशासन को आदेशित करने के लिए लिखा गया।
4. पत्र क्रमांक 4243/06 दिनांक 14.8.2006 के द्वारा क्षेत्रीय विधायक मुरारीलाल मीणा को प्रेषित पत्र में भी दलित वर्ग की अनदेखी कर सवर्णों एवं जागीरदारों को किए भू–आवंटन को निरस्त करवाने के लिए लिखा गया।
5. पत्र क्रमांक 4244/06 दिनांक 14.8.2006 को राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम व नियोजन विभाग श्री बाबूलाल वर्मा को पत्र द्वारा दलित महिला सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर गैर दलितों को भू–आवंटन की जांच कर आवंटन रद्द करवाने के लिए अवगत कराया गया।

6. दिनांक 5 जुलाई, 2007 को तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री राजेश यादव एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री पी. रामजी को पत्र भेजकर सरकारी जमींन पर अवैध कब्जा करने वालों द्वारा दलिता पीड़ितों के साथ गाली गलौच करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु पत्र भेजे।
7. दिनांक 16 मार्च, 2009 को दलित महिला सरपंच द्वारा चेकों पर हस्ताक्षर करवानें हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री श्री भरत सिंह, मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह, जिला कलेक्टर दौसा श्री जोगाराम को पत्र भेजे गये।
8. दिनांक 16 जून, 2009 को निदेशक दलित अधिकार केन्द्र द्वारा माननीय न्यायमूति श्री एन.एन. माथुर आयोग को दलितों को भू अधिकार दिलानें हेतु पत्र प्रेषित किया।

दलित अधिकार केन्द्र द्वारा न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा में दायर प्रकरण

दलित अधिकार केन्द्र ने जरियें गोपाल राम वर्मा राज्य समन्वयक एवं रामदयाल बैरवा जिला समन्वयक दौसा, सुन्दर लाल पुत्र हरबक्श बैरवा, दीपचन्द पुत्र भोलाराम बैरवा एवं बालुराम पुत्र श्रवण लाल बैरवा निवासी बिवाई बनाम् 22 भू–आवंटी, राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बसवा, जिला दौसा एवं ग्राम पंचायत बिवाई जरिये सरपंच श्रीमती धापा देवी को प्रतिवादी बनाकर वाद संख्या 57/08 दायर किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 11 नवम्बर, 2008 को पूर्व में सभी 22 पट्टे जो अवैध रूप से भू–आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 2 अप्रेल, 2005 को आवंटित किये गये थे, को निरस्त कर दिया।

वर्तमान स्थिति–

जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत बिवाई में हुए गैर कानूनी तथा फर्जी तरीके से भू–आवंटन को तो निरस्त कर दिया परन्तु दलितों को किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि इस अवैध आवंटित भूमि पर दलितों का कब्जा हैं और वे इस पर कास्त कर रहे हैं। अभी भी प्रभावशाली जाति के लोग दलित सरपंच को किसी न किसी बहाने से परेशान करते रहते हैं।

विचारणीय तथ्य–

- इस प्रकरण में स्पष्ट नजर आता है कि दलित महिला जन प्रतिनिधि को किस प्रकार गुमराह कर प्रभावशाली दबंग अपना उल्लू सीधा करते हैं और प्रशासन भी इन कारनामों में लिप्त रहता है।
- दलित महिला जनप्रतिनिधि द्वारा ध्वजा रोहण करना तक लोगों को स्वीकार नहीं होता और उसे अपमान का घूंट पीकर रहा जाना पड़ता है।
- उपखण्ड अधिकारी किस प्रकार सारे कायदे कानूनों को ताक में रखकर काम करते हैं तभी तो आंवटिंत 22 पट्टों में से केवल एक पट्टा दलित को दिया गया वह भी उपखण्ड अधिकारी के ड्राइवर को। जबकि आंवटिंत भूमि पर पहले से ही दलितों का कब्जा था और 91 की कार्यवाही भी हो चुकी थी।
- इस प्रकरण में दलित अधिकार केन्द्र के द्वारा जिला कलेक्टर न्यायालय में अवैध भूआंवटन को निरस्त करने के लिए वाद दायर किया गया जहां न्यायालय ने अपने निर्णय में अवैध आंवटन को निरस्त तो कर दिया परन्तु नियमानुसार दलितों को आंवटिंत होनी चाहिए।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499) ◆

प्रकरण संख्या 8

ग्राम बिवाई, तहसील बसवा, थाना बांदीकुई, जिला दौसा (राज.) में प्रशासन (भू–आवंटन कमेटी) द्वारा भूमि आवंटन में दलितों के साथ भेदभाव संबंधी प्रकरण

पीड़ित– श्रीमती धापा देवी सरपंच ग्राम पंचायत बिवाई एवं गांव के अन्य दलित परिवार, निवासी बिवाई, तहसील बसवा, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा (राज.)

बनाम

आरोपी– भू–आवंटन कमेटी, एस.डी.ओ. बांदीकुई जिला दौसा एवं दीनदयाल शर्मा उप सरपंच पुत्रश्री रामहेत लाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बिवाई, तहसील बसवा, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा (राज.)

ग्राम बिवाई का संक्षिप्त विवरण –

गांव बिंवाई राजस्थान की राजधानी जयपुर से 75 किलोमीटर, जिला मुख्यालय दौसा से 50 किलोमीटर तथा तहसील मुख्यालय बसवा से 28 किलोमीटर दूरी पर मुख्य सड़क से 7 किमी. दूर स्थित है। गांव की जनसंख्या लगभग 4500 है तथा मतदाताओं की संख्या 2750 है। गांव में गुर्जर जाति को छोड़कर सभी जातियां निवास करती हैं। गांव में मीणा जाति (अनुसूचित जनजाति) के 150 परिवार, माली (अन्य पिछड़ा वर्ग) जाति के 150 परिवार, ब्राह्मण (सामान्य) जाति के 125 परिवार, वैश्य (सामान्य वर्ग) के 50 परिवार, बैरवा (अनुसूचित जाति) के 60 परिवार, कोली (अनुसूचित जाति) जाति के करीब 50 परिवार, मुस्लिम फकीर (अल्पसंख्यक) 25 परिवार, बाल्मीकी (अनुसूचित जाति) के 20 परिवार, खटीक (अनुसूचित जाति) के 10 परिवार, राजपूत (सामान्य वर्ग) के 10 परिवार, नाई (अन्य पिछड़ा वर्ग) के 10 परिवार, कुम्हार (अन्य पिछड़ा वर्ग), धोबी (अनुसूचित जाति) 1 परिवार, तेली (अन्य पिछड़ा वर्ग) 4 परिवार तथा अन्य 18 परिवार हैं।

ग्राम में दलितों के साथ आज भी छूआछूत तथा जातिगत भेदभाव किया जाता है। गांव में श्रीमती धापा देवी से पूर्व कोई दलित सरपंच नहीं बना है। श्रीमती धापा देवी गांव में प्रथम दलित महिला सरपंच बनी हैं। बसवा तहसील में मीणा (अनुसूचित जनजाति) तथा गुर्जर (अन्य पिछड़ा वर्ग) का बाहुल्य है और ये ही गांव में प्रभावशाली जाति है। मीणा बाहुल्य गांव होते हुए भी ब्राह्मण अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और यही कारण है कि यहां उप सरपंच दीनदयाल शर्मा पुत्र श्री रामहेत लाल शर्मा जो कि ब्राह्मण जाति का सदस्य है, अपनी मनमानी करता है।

प्रकरण–

ग्राम पंचायत बिवाईं में सरपंच का पद अनुसूचित जाति की महिला के नाम पर आरक्षित घोषित हुआ था। दिनांक 3 फरवरी 2005 को सरपंच निर्वाचन के दौरान श्रीमती धापा देवी को ग्राम पंचायत बिवाईं का सरपंच निर्वाचित किया गया। सरपंच धापा देवी एक निरक्षर महिला है। दिनांक 4 फरवरी 2005 को उप सरपंच का चुनाव हुआ, जिसमें दीनदयाल शर्मा को उप सरपंच चुना गया। यह व्यक्ति धापा देवी के दलित, निरक्षर और महिला सरपंच होने का पूरा–पूरा लाभ उठा रहा है। 15 अगस्त 2006 को सरपंच को ध्वजारोहण भी नहीं करने दिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति भी सरपंच की अनुपस्थिति में कर ली गई। इससे स्पष्ट होता है कि दलित महिला सरपंच को ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ–साथ सचिव भी कुछ नहीं समझते हैं और उप सरपंच दीनदयाल शर्मा सरपंच को गुमराह कर अपना उल्लू सीधा करता रहता है।

अप्रेल 2005 में जिन लोगों को भू–आवंटन कमेटी द्वारा ग्रामीणों को भूमि आवंटित की गई, उनमें से केवल दो–तीन फार्मों पर उप सरपंच दीनदयाल शर्मा द्वारा यह कह कर हस्ताक्षर करवाए थे कि ऋण के जरूरी कागजात हैं। शेष पट्टों पर सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। कुछ पट्टे तो इस प्रकार के हैं कि उन पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। जिस सिवाय चक भूमि के पट्टे भू–आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किए गए हैं, उस भूमि पर पहले से ही दलितों के कब्जे थे। जिन्होंने 91 की कार्यवाही के तहत पेनल्टी भी जमा करवाई थी। परन्तु दलितों की उपेक्षा कर तथा भू–आवंटन के नियमों की अवहेलना कर गैर दलितों को भूमि आवंटित कर दी गई। जब दलितों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की तो उन्होंने आवंटन पर रोक तो लगा दी, परन्तु इसका लाभ दलितों को नहीं मिल पाया। जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई है, जो पहले से ही भू–स्वामी हैं।

अवैध भू–आवंटन पट्टों की सूची

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	जाति
1.	गोल्या सैनी	श्री छुट्ठन सैनी	माली
2.	सोबली	श्री बील्या	माली
3.	मोज्या	श्री घासी	माली
4.	कन्हैयाराम सैनी	श्री मोतीराम	माली
5.	कुरमा देवी	श्री रामफूल	माली
6.	रामस्वरूप	श्री बील्या राम	माली
7.	नाथूराम कोली	श्री भूराराम	कोली
8.	मो. बुन्दू खां	–	मुस्लिम
9.	हरिनारायण	श्री छीतर	गुर्जर
10.	प्रेम नारायण शर्मा	श्री गोविंद शर्मा	ब्राह्मण
11.	नाथू लाल	श्री धन्नालाल	माली
12.	चंदा राम	श्री भोज्या	माली
13.	राम अवतार	श्री रामजीलाल	गुर्जर
14.	श्रीमती दयावती शर्मा	श्री सुभाषचंद शर्मा	ब्राह्मण
15.	खेडाराम, गिरिराज	श्री भूरिया राज	माली
16.	श्रीमती मीरा देवी शर्मा	श्री दीनदयाल उपसरपंच	ब्राह्मण
17.	सुभाष चंद	श्री बाबूलाल	ब्राह्मण
18.	कृष्ण गोपाल शर्मा	श्रीधर शर्मा	ब्राह्मण
19.	सैफुद्दीन	श्री बाबू खां	मुस्लिम
20.	कमलेश कुमार शर्मा	श्री रामधन शर्मा	ब्राह्मण
21.	दीनदयाल शर्मा उपसरपंच	श्री रामहेत लाल शर्मा	ब्राह्मण
22.	कैलाश चंद	श्री प्रभु दयाल	ब्राह्मण

उपर्युक्त सूची में आवंटित 22 पट्टों में से केवल 1 व्यक्ति नाथूराम पुत्र श्री भूराराम जाति कोली जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, शेष 9 माली, 8 ब्राह्मण, 2 गुर्जर, 2 मुस्लिम जाति के लोगों के नाम भूमि आवंटित की गई है। नाथूराम पुत्र श्री भूराराम जाति कोली को भी इसलिए भू–आंवटन किया गया क्योंकि यह तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी का ड्राइवर था।

पट्टे जिन पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं, निम्न प्रकार से हैं–

1. सुभाष चंद पुत्र श्री बाबूलाल, जाति ब्राह्मण
2. कृष्णगोपाल पुत्र श्रीधर, जाति ब्राह्मण
3. सैफुद्दीन पुत्र श्री बाबू खां, जाति मुस्लिम
4. कमलेश कुमार पुत्र श्री रामधन, जाति ब्राह्मण
5. दीनदयाल उपसरपंच पुत्र श्री रामहेत लाल, जाति ब्राह्मण

उपर्युक्त पट्टों का निरीक्षण करें तो स्पष्ट है कि 5 पट्टों में से 1 पट्टा दीनदयाल शर्मा उपसरपंच ग्राम पंचायत बिवाईं तथा 3 पट्टे उनके परिजनों के नाम हैं, जो बिल्कुल फर्जी तरीके से तैयार करवाए गए हैं।

पीड़ितों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण–

पीड़ित दलित परिवारों द्वारा उप जिला कलेक्टर बांदीकुई, जिला दौसा को प्रार्थना पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि जिस सिवायचक भूमि का आवंटन भू–आवंटन कमेटी द्वारा धोखे में किया गया है, वह उनके पूर्वजों के समय से कब्जे में रही भूमि है और उस पर वे काश्त (खेती) करते चले आ रहे हैं। इस भूमि पर 91 की कार्रवाई भी हो चुकी है, जिसकी पेनल्टी दलित परिवार जमा करवा चुके हैं, फिर भी जमींदारों व प्रभावी गैर दलितों को राजस्थान टैनेन्सी एक्ट की अवहेलना करते हुए आवंटन कर दी गई है जबकि 82 दलित परिवार ऐसे हैं, जिनके पास 1 बीघा भी कृषि भूमि नहीं हैं।

दिनांक 1 जुलाई 2007 को ग्राम बिवाई के दलितों ने हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र दलित अधिकार केन्द्र जयपुर को प्रस्तुत कर अवैध भू–आवंटन को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया, जिस पर केन्द्र द्वारा जिला प्रशासन को पत्र लिखे गये परन्तु कोई कार्यवाही नही होनें पर केन्द्र द्वारा न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा में अवैध रूप से आवंटित 22 पट्टों को निरस्त करने हेतु वाद दायर किया गया।

दलित अधिकार केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

1. दिनांक 27.8.2006 को चार सदस्यीय जांच दल ने ग्राम बिवाई के प्रकरण का तथ्यान्वेषण किया और इसी दिन जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें गैर दलितों को जो गैर कानूनी तरीके से भू–आवंटन किया गया है, उसे तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई।
2. पत्र क्रमांक 4241/06 दिनांक 14.8.2006 को राजस्थान राज्य महिला आयोग को दलित महिला सरपंच श्रीमती धापा देवी के फर्जी हस्ताक्षर आवंटन पत्र पर करने के बारे में पत्र लिखा।
3. पत्र क्रमांक 4242/06 दिनांक 14.8.2006 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग के पत्र के माध्यम से दलित वर्ग की कब्जाशुदा भूमि पर गैर दलितों को हुए आवंटन को रद्द करने के लिए प्रशासन को आदेशित करने के लिए लिखा गया।
4. पत्र क्रमांक 4243/06 दिनांक 14.8.2006 के द्वारा क्षेत्रीय विधायक मुरारीलाल मीणा को प्रेषित पत्र में भी दलित वर्ग की अनदेखी कर सवर्णों एवं जागीरदारों को किए भू–आवंटन को निरस्त करवाने के लिए लिखा गया।
5. पत्र क्रमांक 4244/06 दिनांक 14.8.2006 को राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम व नियोजन विभाग श्री बाबूलाल वर्मा को पत्र द्वारा दलित महिला सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर गैर दलितों को भू–आवंटन की जांच कर आवंटन रद्द करवाने के लिए अवगत कराया गया।
6. दिनांक 5 जुलाई, 2007 को तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री राजेश यादव एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री पी. रामजी को पत्र भेजकर सरकारी जमींन पर अवैध कब्जा करने वालों द्वारा दलिता पीड़ितों के साथ गाली गलौच करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु पत्र भेजे।
7. दिनांक 16 मार्च, 2009 को दलित महिला सरपंच द्वारा चेकों पर हस्ताक्षर करवानें हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री श्री भरत सिंह, मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह, जिला कलेक्टर दौसा श्री जोगाराम को पत्र भेजे गये।
8. दिनांक 16 जून, 2009 को निदेशक दलित अधिकार केन्द्र द्वारा माननीय न्यायमूति श्री एन.एन. माथुर आयोग को दलितों को भू अधिकार दिलानें हेतु पत्र प्रेषित किया।

दलित अधिकार केन्द्र द्वारा न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा में दायर प्रकरण

दलित अधिकार केन्द्र ने जरियें गोपाल राम वर्मा राज्य समन्वयक एवं रामदयाल बैरवा जिला समन्वयक दौसा, सुन्दर लाल पुत्र हरबक्श बैरवा, दीपचन्द पुत्र भोलाराम बैरवा एवं बालुराम पुत्र श्रवण लाल बैरवा निवासी बिवाई बनाम् 22 भू–आवंटी, राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बसवा, जिला दौसा एवं ग्राम पंचायत बिवाई जरिये सरपंच श्रीमती धापा देवी को प्रतिवादी बनाकर वाद संख्या 57/08 दायर किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 11 नवम्बर, 2008 को पूर्व में सभी 22 पट्टे जो अवैध रूप से भू–आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 2 अप्रेल, 2005 को आवंटित किये गये थे, को निरस्त कर दिया।

वर्तमान स्थिति–

जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत बिवाई में हुए गैर कानूनी तथा फर्जी तरीके से भू–आवंटन को तो निरस्त कर दिया परन्तु दलितों को किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि इस अवैध आवंटित भूमि पर दलितों का कब्जा हैं और वे इस पर कास्त कर रहे हैं। अभी भी प्रभावशाली जाति के लोग दलित सरपंच को किसी न किसी बहाने से परेशान करते रहते हैं।

विचारणीय तथ्य–

- इस प्रकरण में स्पष्ट नजर आता है कि दलित महिला जन प्रतिनिधि को किस प्रकार गुमराह कर प्रभावशाली दबंग अपना उल्लू सीधा करते हैं और प्रशासन भी इन कारनामों में लिप्त रहता है।
- दलित महिला जनप्रतिनिधि द्वारा ध्वजा रोहण करना तक लोगों को स्वीकार नहीं होता और उसे अपमान का घूंट पीकर रहा जाना पड़ता है।
- उपखण्ड अधिकारी किस प्रकार सारे कायदे कानूनों को ताक में रखकर काम करते हैं तभी तो आंवटिंत 22 पट्टों में से केवल एक पट्टा दलित को दिया गया वह भी उपखण्ड अधिकारी के ड्राइवर को। जबकि आंवटिंत भूमि पर पहले से ही दलितों का कब्जा था और 91 की कार्यवाही भी हो चुकी थी।
- इस प्रकरण में दलित अधिकार केन्द्र के द्वारा जिला कलेक्टर न्यायालय में अवैध भूआंवटन को निरस्त करने के लिए वाद दायर किया गया जहां न्यायालय ने अपने निर्णय में अवैध आंवटन को निरस्त तो कर दिया परन्तु नियमानुसार दलितों को आंवटिंत होनी चाहिए।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

◆

प्रकरण संख्या 9

दलित की पट्टाशुदा भूमि पर बने मकानों को जबरन तोडने सम्बन्धी प्रकरण

ग्राम बिदार, पुलिस थाना शाहपुरा, जिला जयपुर

पीडितः– 1. रमेश कुमार पुत्र श्री मानाराम बलाई
2. बनवारी पुत्र श्री मांगूराम बलाई ,
निवासी ग्राम बिदारा पुलिस थाना शाहपुरा, जिला जयपुर

बनाम

आरोपीः– 1. कानाराम शर्मा निवासी बिशनगढ
2. सुगन चन्द यादव, अध्यापक निवासी ढाणी दोल्यावाली
3. रामनारायण यादव पूर्व सरपंच, बिदारा
4. मदन लाल मीणा निवासी नाथावाला
5. कालूराम बुनकर निवासी, जयपुर एवं अन्य 100–150 व्यक्ति

ग्राम बिदारा की स्थिति–

ग्राम विदारा, शाहपुरा से 2 कि. मी. पश्चिम में दिल्ली हाइवे पर है। यहाँ दलित बुनकरों के 60–70 परिवार अन्य 400 परिवार है यहाँ यादव व मीणा जाति का दबदबा है। भूमाफिया यादव, मीणा व ब्रहाम्ण जातियों के हैं। यद्यपि सरपंच दलित गीगाराम रैगर है परन्तु अशिक्षित होने के कारण पूर्व सरपंच बलराम शर्मा ही उसकी सरपंची करता है। दलितों के पास जमीन नाम मात्र की है जब कि उनके पास जो जमीन थी वो भू माफियाओं ने खरीद ली है। प्रभावशाली जाति के लोगों के पास कृषि भूमि है वे नही बेच रहे हैं जबकि गांव के ही कुछ दबंग दलितों से जमीन को विक्रय करवा मोटा कमीशन ले लेते हैं और बडे–बडें बंगलें बनाकर, आलीशान गाडियों में सफर करते है। विधायक व सासंद किसी प्रकार से दलितों का कोई सहयोग नहीं करते हैं केवल वोट प्राप्त करने तक ही दलितों को लुभाते रहते हैं उसके पास आने और उनकी व्यथा सुनने तक का समय नहीं है।

प्रकरण–

ग्राम बिदारा निवासी दलित रमेश कुमार ने आराजी खसरा नं. 852 में अपनी पट्टे ुदा आवासीय भूमि पर नियमानुसार ग्राम पंचायत बिदारा से दिनांक 4 अप्रेल 1988 को पट्टा प्राप्त कर पक्का मकान बनाया जिसमें पीडित सपरिवार निवास कर रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से मात्र 2 कि.मी. की दूरी पर बसे दलितों के मकान सडक के किनारे बने हुए थे इनके पीछे की कृषि भूमि खसरा नं. 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 965, 866 व 850 है। इसमें से 0.35 एयर जमीन भूमाफियों को क्रय की जिसे कालूराम बुनकर पुत्र बक्शा राम बुनकर निवासी प्लाट नं. 10 गणेश नगर, तृतीय मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर के नाम रजिस्टर्ड करवाया और नामान्तकरण भी खुलवा लिया। गौरतलब है कि सरपंच ने बिना सोचे समझे इस कृषि भूमि का नामान्तकरण कर दिया जब कि इस पर क्रेता ने कब्जा नही किया और भूमाफिया मदन लाल मीणा कानाराम शर्मा, ने पट्टे काटने के उद्देश्य से ग्रेवल रोड बना दिया और यहाँ पट्टा काटना शुरू कर दिया। इन भू–माफियाओं का साथ पूर्व सरपंच रामनारायण यादव , पूर्व सरपंच बलराम जोशी, सुगन चन्द अध्यापक इसलिए दे रहे है कि इनको भी कमीशन दिया गया था। दलितों के मकान होने के कारण भू–माफियाओं द्वारा क्रय की गई भूमि तक जाने के लिए सडक नहीं बन पा रही थी इसलिए दिनांक 5–4–2009 को एक राय होकर रविवार को लगभग 12.30 बजे आरोपी कानाराम शर्मा, रामनारायण यादव, सुगनचन्द यादव, मदनलाल मीणा, कालूराम बुनकर, एवं अन्य 100–150 व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली, जीप व अन्य मारूति में भरकर आये और साथ में जे.सी.बी.मशीन भी लाये, इनके पास हथियार भी थे। इन्होंने आते ही दलित पीडितों के मकान पर धावा बोल दिया और इन्हें गालियां देकर अपमानित किया, परिवार की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया । जे.सी.बी मशीन से मकान को तोड दिया तथा मलबा ट्रोलियों में भरकर ले गये।

इसकी सूचना पीडितों ने पुलिस थाना शाहपुरा में दी परन्तु थाने से कोई भी व्यक्ति नही आया और आरोपी जब वहाँ से चले गये तब पुलिस आई लेकिन आरोपियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई क्योकि आरोपी भूमाफिया हैं, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत हैं। दिनांक 5–4–09 को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पीडितों ने शाहपुरा थाने पर जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 190/08 अन्तर्गत धारा 143, 448, 427, 504, आई.पी. सी. एवं धारा (3)(I)(V) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 मे दर्ज करवाई परन्तु आज तक इस मे कोई कार्यवाही नही हुई।

भू–माफियोंओं का कहना है कि दलितों के मकान हमारी क्रय की गई भूमि में बने हुए हैं इसलिए तोडे गये हैं जब कि दलितों को दिये गये पट्टे राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 852 में रकबा 0.08 एयर भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। दिनांक 31 मार्च 2009 को पटवारी हल्का बिदारा ने इसे अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है।

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- दिनांक 9–5–09 को श्री पी.के.तिवाडी पुलिस महानिदेशक राजस्थान, श्रीमती कुशल सिंह, मुख्य सचिव राजस्था, श्री एस.एन.थानवी प्रमुख शासन सचिव (गृह) श्री आनन्द श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर, श्री कुलदीप रांका जिला कलेक्टर जयपुर को पत्र भेजकर पीडितों के मकान तोडने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने हुतु पत्र प्रेषित किये ।

- दिनांक 10 सितम्बर 2009 को श्रीमती किरण सोनी गुप्ता सम्भागीय आयुक्त जयपुर, श्री शांति धारीवाल गृहमंत्री, राजस्थान सरकार, माननीय श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, माननीय न्यायमुर्ति श्री एन.के.जैन अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.पी.माथुर कार्यवाहक, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, श्री कुलदीप रांका, जिला कलेक्टर जयपुर, श्री विपिन कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर श्रीमती कुशल सिंह मुख्य सचिव राजस्थान, श्री हरीशचन्द्र मीणा पुलिस महानिदेशक राजस्थान, श्री एस. एन.थानवी, प्रमुख शासन सचिव (गृह) राजस्थान को पत्र भेजकर भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही कर पीडितों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

वर्तमान स्थिति–

वर्तमान मे पीडित परिवार उसके छोटे भाई रामनारायण बलाई के पास रह रहा है क्यों कि उसका पक्का मकान तोड दिया गया है। पुलिस में दर्ज अभियोग में कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वी.के गौड कर रहे थे परन्तु आरोपियों ने जांच बदलवाकर श्री मूलसिंह राणा डी.वाई.एस.पी. जयपुर को दिलवा दी है, जो जांच कर रहे हैं ये एक बार पीडितों के पास गये परन्तु इसके बाद आज तक कोई जानकारी लेने नहीं आये। पीडित बार–बार जांच अधिकारी के पास जाते है तो वे नही मिलते । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनका प्रकरण सही नही है।

विचारणीय तथ्य–

- इस प्रकरण में ऐसा लगता है कि पुलिस और भू–माफियाओं का चोली–दामन का साथ हो तभी तो पुलिस को सूचना करने पर भी पुलिस नहीं पहुंची और आरोपियों ने पीड़ितों के पक्के मकानों को तोड़कर धरासायी कर दिया। सरकार द्वारा एक आयोग (न्यायमूर्ति एन.एन. माथुर आयोग) गठित तो कर दिया है परन्तु वह पीड़ितों को राहत दिलाने में कितना सक्षम होगा यह कहा नहीं जा सकता।
- सरकार ने एक तरफ गरीबों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने की घोषणा की है लेकिन दुसरी तरफ पुलिस व प्रशासन भू–माफियों से मिलकर गरीबों के आसीयाने उजड़वाने पर उतारू है।
- अनुजाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 7 में प्रावधान है कि तीस दिन में जांच पूरी की जाये परन्तु इस प्रकरण में नियम की पालना नहीं हो पा रही है और दलित पीड़ितों के प्रकरणों को जांच के नाम पर बेवजह खींचकर उन्हें न्याय मिलने की आशा में लटकाये रखता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499) ♦

प्रकरण संख्या 10

दलित की किराने की दुकान तोड़कर आजीविका छीनने सम्बन्धी प्रकरण

ग्राम खेड़ा देवगढ़, पुलिस थाना जैतारण, जिला पाली

पीड़ित– ओगड़ राम पुत्र श्री पांचू राम जाति रैगर
निवासी ग्राम खेड़ा देवगढ़, पुलिस थाना जैतारण, जिला पाली

बनाम

आरोपी–
1. बगदाराम पुत्र लुम्बाराम सिरवी
2. ओगडराम पुत्र पेमाराम गुर्जर
3. अमराराम पुत्र भंवर लाल गुर्जर
4. ओगड़राम पुत्र भगाराम गुर्जर
5. ओगड़राम पुत्र उदाराम गुर्जर
6. रामलाल पुत्र हमेलाराम गुर्जर
7. बगदाराम पुत्र हमेलाराम गुर्जा
8. नारायण लाल पुत्र धन्ना राम गुर्जर

सभी निवासी ग्राम खेड़ा देवगढ़, पुलिस थाना जैतारण, जिला पाली, राजस्थान

पीड़ितों के गांव की स्थिति–

ग्राम खेड़ा देवगढ़ जैतारण तहसील से 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित 300 परिवारों की आबादी वाला बड़ा गांव है। यहाँ सिरवी व गुर्जर जाति के लोगो का बोलबाला है। सिरवी जाति के 100 तथा गुर्जर जाति के 80 परिवार होने के कारण इनका धनबल व बाहुबल का प्रभाव है। रैगर जाति के 40 परिवार हैं परन्तु इनमें से अधिकांश आजीविका की तलाश में बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं। गांव में छुआछूत चरम सीमा पर है। गांव में बनी सार्वजनिक पानी की टंकी पर पहले सिरवी एवं गुर्जर महिलाऐं पानी भरती है इसके बाद में दलित महिलाओं को पानी भरने दिया जाता हैं। कभी–कभी तो टंकी में पानी खत्म हो जाता है और दलित महिलाओं को वापिस लौटना पड़ता है। यह गांव ग्राम पंचायत निम्बाज में है जिसका सरपंच गेपर राम कुमावत है, यह भी सिरवी व गर्जुरों के पक्ष में है। पीड़ितों के गांव से एक भी वार्ड पंच दलित नहीं हैं। 160 दलित मतदाता होते हुए भी वार्ड पंच दलित नही है। चुनावों के समय भी दलित स्वतंत्रता पूर्वक मतदान नहीं कर सकते है।

प्रकरण का विवरण–

ग्राम खेड़ा देवगढ़ में पहले से धर्मदास वैष्णव की किराने की दुकान है और गांव वाले उससे सामान खरीदते हैं वर्तमान में धर्मदास वार्ड पंच भी है। हिम्मत करके दलित ओगड राम पुत्र पांचूराम रैगर ने 12 वर्ष पूर्व एक लकड़ी की थड़ी लगाकर छोटा–मोटा सामान बेचना शुरू किया और धीरे–धीरे परचून का सामान भी बेचने लगा। जिस जगह पर यह थड़ी लगी हुई थी वह रैगर समाज की सामूहिक भूमि है और पिछले 12 वर्षो से यह दलित पीड़ित दुकान कर रहा था। पूर्व में थड़ी (केबिन) लगाने के बदले ग्राम पंचायत निम्बाज को 2 बार 20–20 रूपये शुल्क अदा का रसीद भी प्राप्त कर चुका है बाद में ग्राम पंचायत ने शुल्क माफ कर दिया।

इस थड़ी पर गर्मी के दिनों में पीड़ित ठण्डे पेय की बोतलें रखने लग गया था तो सिरवी व गुर्जर जाति के लड़के व औरतें भी यहां से ठण्डे पेय की बोतले खरीद लेते थे। परन्तु पुरातन विचारधारा के लोगों को यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नही था कि दलितों की दुकान से खरीदे गये पेय को ये लोग पियें, यही सोचकर दलित को सबक सिखाने का मसौदा तैयार किया।

एक सोची समझी चाल के तहत दिनांक 19 मई, 2009 कों सुबह लगभग 9–10 बजे आरोपी रामलाल पुत्र हमेलाराम जाति गुर्जर, बगडाराम पुत्र लुम्बाराम सिखी, चुतराराम पुत्र धन्नाराम सिरवी, ओगडराम पुत्र पेमाराम, अमराराम पुत्र भंवर लाल, ओगड राम पुत्र भगाराम, ओगडराम पुत्र उदाराम, बगडाराम पुत्र हमेल राम, नारायण लाल पुत्र धन्नारा जाति गुर्जर सभी एक राय होकर आये। इस समय पीड़ित अपनी चार वर्ष की लड़की को दुकान पर छोड़कर गया था और घर से वापिस लौट रहा था इसी समय ये आरोपी हथियारों से लैस होकर आये तो पीड़ित डरकर अपनी बच्ची को लेकर भागने लगा, पीछे से रामलाल गुर्जर ने पत्थर फेंका जो पीड़ित की पीठ पर लगा। जैसे तैसे कर पीड़ित अपने घर के अन्दर छुप गया, सभी दबंग जाति सूचक गांलियां देने लगे और पीड़ित की थड़ी में रखा सामान व नकदी लूट कर ले गये तथा उसमें रखे फ्रीज को तोड़ दिया तथा फ्रीज में रखी ठण्डे पेय की बोतलें तोड़ दी। श्याम लाल रैगर की नव निर्मित पक्की दीवार को तोड़ दिया और जब श्याम लाल की पत्नी श्रीमती कन्या ने रोकने की कोशिश की तो उसे कह दिया कि नीच होकर जबान लड़ाती हो। बीच बचाव करने आये चैनाराम रैगर निवासी जैतारण के साथ भी मारपीट की और अपमानित किया। पीड़ित ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया कि उसका लगभग 60,000 रूपयों का नुकसान कर दिया है।

बाद में आरोपीगण देवनारायण की जय बोलते हुए चले गये तो पीड़ित दलितों ने पुलिस थाना जैतारण जाकर लगभग 2 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया परन्तु उसी दिन जैतारण न्यायालय से जमानत पर रिहा हो गये। परन्तु अत्याचारियों के हौंसले बुलन्द रहे और पुनः 30 सितम्बर 2009 को पीड़ित परिवार पर पुनः हमला कर दिया।

प्रकरण का आपराधिक विवरण–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट 154/09 दिनांक 19 मई, 2009
2. धारा 143, 423, 461 आई.पी.सी. एवं 3 (1) (X) आनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
3. चालान संख्या 123 दिनांक 29 जुलाई, 2009 अन्तगर्त धारा 143, 427 आई.पी.सी. व आनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (X) किया गया।
4. जाँच अधिकारी श्री कृष्ण चन्द यादव आर.पी.एस. वृताधिकारी जैतारण, जिला पाली।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 291/09 दिनांक 1.10.09 धारा 143, 323, 447, 427, 341, 307 आई.पी.सी. एवं 3 (1) (X) आनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
6. जाँच अधिकारी श्री भवानी शंकर आर.पी.एस. वृताधिकारी पाली

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

दिनांक 17 जुलाई, 2009 को समाचार पत्र में प्रकाशिकत घटना पर केन्द्र द्वारा फैक्ट फाइडिंग करवाई गई।

दिनांक 22 जुलाई, 2009 जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक पाली, पुलिस महानिदेशक राजस्थान श्री हरीशचन्द्र मीणा को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ तुरन्त चालान पेश कर आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

अभी भी पीड़ित दलितों को सिरवी व गुर्जर समाज की ओर से धमकियाँ मिल रही हैं कि दलितों के हाथ पैर तोड़ दिये जायें ताकि ये आ जा नही सके और घर पर ही पड़े रहें। प्रकरण अभी भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी आगामी तारीख 26 अक्टूबर, 2009 हैं, पीड़ितो को अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम 1989 नियम 1995 की धारा 12 (4) के तहत आर्थिक सहायता राशि भी उपलब्ध नहीं हुई है। दलित अधिकार केन्द्र के पैनल एडवोकेट प्रकरण में सहयोग कर रहे हैं।

विचारणीय तथ्य–

- इस प्रकरण में स्पष्ट नजर आता है कि जातिगत भेदभाव इस कदर हावी है कि दलित द्वारा दुकान चलाना भी मुश्किल है तभी तो दलित को दुकान को तोड़फोड़कर दबंग सामान लूट ले गये और दलित आज भी दुकान लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है दलितों की आजीविका छीनने का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है ?
- पीड़ितो को अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम 1989 नियम 1995 की धारा 12 (4) के तहत आर्थिक सहायता राशि भी उपलब्ध नहीं हुई है। इससे प्रशासन की दलितों के प्रति उदासीनता नजर आती है।
- जमानत पर रिहा हुये अत्याचारियों के होंसले इतने बुलन्द है कि पुनः 30 सितम्बर 2009 को पीड़ित परिवार पर पुनः हमला कर दिया। पुलिस जाब्ता हटा लिया जाने से अभी भी उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

◆ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499) ◆

प्रकरण संख्या 11

दलितों की पट्टाशुदा आवासीय भूमि पर बने आशियाने जलाने सम्बन्धी प्रकरण

ग्राम बायड़, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर

पीड़ित–
1. श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व. श्री अमराराम मेघवाल
2. श्रीमती सुवटी देवी पत्नी स्व. श्री रापीदान राव
3. श्री चूनाराम पुत्र श्री लक्खूराम मेघवाल
4. श्री सुण्डा राम पुत्र श्री पांचाराम मेघवाल

निवासी ग्राम बायड़, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर, राज.

बनाम

आरोपी–
1. बक्साराम पुत्र जालाराम जाट
2. हरिशचन्द्र पुत्र नारायण लाल जाट
3. रामनिवास पुत्र हकीदन राम जाट
4. रामदेव पुत्र घीसाराम जाट
5. स्वरूप राम पुत्र भंवरराम जाट

सभी निवासी ग्राम बायड़, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर, राज.

गांव की स्थिति–

ग्राम बायड़ जिला मुख्यालय नागौर से मेड़ता जोधपुर रोड़ पर बसा बड़ा गांव है जो जिला मुख्यालय से 105 किलोमीटर, पुलिस थाना गोटन से पश्चिम दिशा में 20 कि.मी. तथा तहसील मुख्यालय मेड़ता से पूर्व दिशा में 20 किमी. की दूरी पर बसा है, गांव मे जाने के लिए मुख्य सड़क से 2 किमी पैदल जाना पड़ता है। जाटो के पास साधन सुविधा है परन्तु दलितों के पास आवागमन के साधनों का अभाव हैं। गांव में 400 परिवार जाट, 70 परिवार मेघवाल, 30 परिवार चौकीदार मीण, 15 परिवार मीणा, 15 परिवार सुथार, 10 परिवार लुहार, तथा 20 परिवार अन्य जातियों के निवास करते हैं।

दलितों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होनें के कारण वे मेहनत मजदूरी करने के लिए ईंट भट्टों पर मजदूरी करके पेट पालन करते हैं। जबकि कृषि भूमि होने के कारण जाटों की आर्थिक स्थिति मजबूत है। दलितों के मंदिर प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी है। मीड–डे–मील योजना में दलित छात्रों को अलग बैठाया जाता है, यहां तक कि सार्वजनिक हैण्ड पम्प से पानी भरने में भी भेदभाव किया जाता है। विकास के मुद्दों पर दलितों को हाशिये पर रखा जाता है। दलितों को मताधिकार से वंचित रख जाता है वे स्वतंत्रतापूर्वक मतदान भी नहीं कर सकते। दलितों के पुस्तैनी रास्ते बन्द कर दिये गये हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ दलितों के नाम मात्र का भी नहीं मिल पा रहा है।

गांव में 279 बीघा चारागाह भूमि है जिस पर जाटों का कब्जा है और प्रशासन आंख बंद कर यह कार्यवाही देखता रहता है।

प्रकरण का विवरण :

जिस आवासीय भूमि पर दलित रह रहे हैं उनके 14 दिसम्बर 1975 को 30 X 25 वर्ग फुट के निःशुल्क आवासीय भूखण्डों के पट्टे विकास अधिकारी मेड़ता सिटी द्वारा दिये गये हैं, तभी से ये लोग यहां निवास कर रहे हैं। सन् 1981–82 में पंचायत समिति मेड़ता सिटी द्वारा प्रत्येक परिवार को 750 रूपये ग्रामीण आवासीय भूखण्ड विकास योजना के तहत अनुदान भी दिया गया। दलित पीड़ितों ने अपनी हैसियत के हिसाब से यहां कच्चे–पक्के मकान बना लिए और वहाँ रहने लगे।

दलित पीड़ितों को आवंटित भूखण्ड प्रभावशाली जाट जाति के सामने होने के कारण उन्हें यह असहनीय हो गया कि सुबह उठते ही दलितों के मुंह देखने पड़ते हैं। इसी कारण 28 मार्च, 2002 को जब लोग होली की मस्ती में डूबे हुए थे, तो आरोपियों ने एक सोची समझी साजिस के तहत होलिका दहन के बाद उसी की आग से दलितों के घरों में आग लगा दी। जिससे न केवल पीड़ितों को आर्थिक, बल्कि मानसिक व शारीरिक रूप से भी परेशान होना पड़ा। दूसरे दिन धुलण्डी होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी परन्तु SDO मेड़ता सिटी को इस घटना की सूचना दे दी गई। अगले दिन पीड़ित पुलिस थाना गोटन पहुँचे परन्तु उस दिन पुलिस वाले शराब के नशे में होली खेल रहे थे और अगले दिन आने की कहकर पीड़ितों को टरका दिया। आखिर में परेशान होकर पीड़ित पुलिस अधीक्षक नागौर के पास गये और उन्ही के आदेश से यह परिवाद दिनांक

8 अप्रेल, 2002 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सख्या 56/2002 पर अन्तगर्त धारा 143, 447,436 आईपीसी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 धारा 3 (1) (IV) में दर्ज किया गया। तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी श्री विशनाराम विश्नोई आर.पी.एस. वृताधिकारी मेड़ता सिटी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मौका नक्शा तैयार किया और पीड़ित व गवाहों के बयान दर्ज कर प्रकरण को सही माना परन्तु ग्रामवासी बायड़ के परिवाद पर प्रकरण का अनुसंधान तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर श्री गिरधारी लाल शर्मा से करवाया गया और प्रकरण का अनुसंधान श्री पी.पी. टांक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आ गया। जिन्होनें राजनीतिक दबाव के चलते इस प्रकरण को यह कहकर झूठा करार दिया कि 2 वर्ष तक कब्जा न करने पर पट्टें निरस्त हो जाते हैं।

इस मध्य पीड़ितों द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मानवाधिकार आयोग एवं मुख्यमंत्री, सचिवालय को अपनी वेदना व्यक्त की जिसके प्रत्युत्तर में जाँच अधिकारियों के अनुसंधान में विरोधाभास पाया जाने पर प्रकरण का सत्यापन श्री नाथूलाल मौर्य तत्कालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना द्वारा करवाया गया जिन्होनें पूर्व जाँच अधिकारी श्री विशना राम विश्नोई वृतालिकारी मेड़ता सिटी द्वारा किये गए अनुसंधान को सही माना और पत्रावली पुलिस अधीक्षक नागौर कार्यालय को आदेशार्थ भिजवाई गई। जिस पर पुलिस अधीक्षक नागौर ने पत्रावली मुल्जिमों की गिरफ्तार हेतु वृताधिकारी मेड़ता सिटी को प्रेषित की गई।

परन्तु इसी मध्य शुरू हुआ दलितों के खिलाफ राजनीतिक पैंतरे बाजी का खेल आरोपी रामनारायण डूडी के रिश्तेदार होनें के कारण सारी सही जाँच को बदलवाने का ठेका तत्कालीन राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार ने ले लिया और तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया से आदेश करवाया गया इन्होनें भी वृताधिकारी मेड़ता सिटी श्री विशनाराम विश्नोई एवे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना श्री नाथूलाल मौर्य द्वारा की गई अनुसंधान रिपोर्ट को सही माना। पत्रावली पुनः मुल्जिमों की गिरफ्तार हेतु वृताधिकारी मेड़ता सिटी को भिजवाई गई।

परन्तु रामनारायण डूडी तत्कालीन राजस्व मंत्री को अपनी नाव डूबती नजर आई तो पुनः अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सी.आई.डी.सी.बी. राजस्थान द्वारा पत्रावली तलब करवादी तो पुलिस अधीक्षक नागौर ने पत्र क्रमांक 32796–800 दिनांक 29 दिसम्बर, 2003 के द्वारा मूल जाँच पत्रावली भिजवादी। तत्पश्चात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जाँच रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए और उस जाँच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पी.पी. टांक) को भी बुलाया गया जिसने उक्त प्रकरण को झूंठा करार दिया था।

पुलिस कन्ट्रोल रूम सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान, जयपुर ने पत्रांक 573 दिनांक 30 नवम्बर, 2005 द्वारा उक्त प्रकरण में थाना गोटन को मुल्जिम बक्साराम जाट, हरिशचन्द्र, रामनिवास, रामदेव, स्वरूप राम जाट व गंगाराम जाट को धारा 147,447, 453,149 आईपीसी व अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 धारा 3(1) (IV) व (V) के तहत चालान पेश करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने को आदेशित किया गया।

पुलिस ने खानापूर्ति करने के लिए दबिस दी परन्तु मुल्जिम गिरफ्तार नहीं करपाई इसी बीच राजनीतिक दबाव ने नया रंग दिखाया और चार बार सत्यापित रिपोर्ट की सत्यता प्रकट करवाने के लिए अपने मनचाहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेन्ज सैल सी.आई.डी. (सी.बी) अजमेर को भिजवाई गई।

प्रकरण की पत्रावली पुलिस अधीक्षक पी.सी.आर., सी.आई.डी. (सी.बी) जयपुर द्वारापुलिस अधीक्षक नागौर को पत्रांक 404–408 दिनांक 24 अगस्त, 2006 के द्वारा आदेश के साथ भिजवाई गई कि उक्त प्रकरण में FR दिये जाने का स्वीक ति हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु पुलिस थाना गोटन भिजवाई गई और FR संख्या 18/06 दिनांक 25 अगस्त, 2006 (अदमबक्) को दर्ज कर दिनांक 31 अगस्त, 2006 को समक्ष न्यायालय ACJM मेड़ता सिटी में प्रस्तुत कर दी गई।

मजे की बात यह है कि कार्यालय जिला कलेक्टर नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/2006/4708 दिनांक 4 अगस्त, 2006 को प्रत्येक पीड़ित को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के नियम 1995 के नियम 12(2) के तहत 10–10 हजार रूपयें की आर्थिक सहायता राशि भी यह कहकर *"जिला पुलिस अधीक्षक नागौर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट क्रमांक 7961 दिनांक 4 अप्रेल, 2006 एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम द ष्टया यह पाया जाता है कि मुल्मिान द्वारा प्रार्थीगणों के कच्चे मकानों को जलाने की घटना घटित की गई"* स्वीक त कर दी गई और पीड़ितों को भी प्राप्त हो गई।

पीड़ित द्वारा की गई कार्यवाही–

1. दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 को गृह एवं न्याय सचिव राजस्थान को प्रार्थना पत्र देकर उक्त प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया।
2. दिनांक 3 अप्रेल, 2003 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दलित पीड़ितों को न्याय दिलवानें का आग्रह किया गया।
3. दिनांक 23 अक्टूबर, 2003 को पुनः प्रमुख सचिव गृह एवं न्याय राजस्थान को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोपियों के खिलाफ चालान करवाने हुते निवेदन किया।
4. दिनांक 30 जून, 2003 को तत्कालीन गृहमंत्री राजस्थान सरकार को दलित पीड़ितों ने न्याय दिलवाने की गुहार की।
5. दिनांक 29 अप्रेल, 2003 को तत्कालीन गृहमंत्री राजस्थान सरकार को पत्र देकर प्रकरण में पीड़ितो को राहत दिलवाने के लिए आग्रह किया गया।
6. दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 को विशिष्ठ शासन सचिव (गृह) राजस्थान सरकार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शीघ्र कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।
7. दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को SDO व जिला कलेक्टर नागौर एवं Dy.S.P. मेड़ता सिटी को पत्र लिखकर आवंटित भूमि पर गैर कानूनी ढंग से प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बनवाने को रोकने हेतु निवेदन किया।
8. दिनांक 9 अक्टूबर, 2009 को दलित अधिकार केन्द्र के संरक्षक श्री पी.एल. मीमरोठ को पत्र प्रस्तुत कर न्याय दिलाने का आग्रह किया।

जाँच अधिकारी पी.पी. टांक ने आवंटित पट्टे के बिन्दु 8 का आधार लिया जिसमें लिखा है कि *"इस भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपड़ी इत्यादि बनवाना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में यह कार्य नहीं किया गया तो भू–खण्ड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा। विशेष कारण वश आवंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय की वृद्धि भी कर सकता है।"*

परन्तु जाँच अधिकारी इस बिन्दु को समझ नही पाये या जानबुझ कर ना समझ बन गये क्योंकि ?

- प्रथम तो आवंटन अधिकारी द्वारा ये पट्टे निरस्त नहीं किये गये।
- द्वितीय इन पट्टो पर तुरन्त पीड़ितों ने अपना कब्जा प्राप्त कर रहने लगे।
- तृतीय सन् 1981–82 में इन्ही पट्टों पर निर्माण हेतु अनुदान दिया गया।

- चतुर्थ पूर्व जाँच अधिकारियों ने घटना को सत्य माना है।
- पंचम जाँच अधिकारी किसी न किसी दबाव में आ गये होंगे।
- षष्ठम 1075 में आवंटित पट्टों पर उसी समय गांव वालों ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नही की परन्तु जब दलितों की आवंटित भूखण्डों के पास प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं सार्वजनिक भवन बने तो ये दलित उनकी आंखों की किरकिरी बनने लगे और इस भूमि की कीमत बढ़ गई।

इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर अन्तिम रिपोर्ट दी गई।

प्रकरण का आपराधिक विवरण :

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट 154/09 दिनांक 19 मई, 2009
2. धारा 143, 423,461 आई.पी.सी. एवं आनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (X) दर्ज की गई।
3. चालान संख्या 123 दिनांक 29 जुलाई, 2009 अन्तगर्त धारा 143, 427 आई.पी.सी. व आनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (X) किया गया।
4. जाँच अधिकारी श्री कृष्ण चन्द यादव आर.पी.एस. वृताधिकारी जैतारण, जिला पाली।

आयोग द्वारा की गई कार्यवाही :

1. दिनांक 20 अप्रेल, 2007 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पत्रांक 12/F/12/G(R)/05–अनु. द्वारा पीड़ितो को पुलिस अधीक्षक नागौर की रिपोर्ट पर संतुष्टि हेतु जवाब चाहा गया।
2. दिनांक 30 जुलाई, 2007 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पत्रांक 06/25/1464/6471 द्वारा पीड़ितों को सूचित किया गया कि उनका प्रकरण रजिस्ट कर लिया गया है।
3. दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन. के. जैन व सदस्य माननीय पुखराज सिरवी द्वारा इनके प्रकरण में FR लगाने की सूचना दी गई।
4. दिनांक 7 जनवरी, 2005 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जिला प्रमुख अधीक्षक नागौर को पत्र लिखकर उक्त प्रकरण में हुई कार्यवाही की सूचना चाही गई।
5. दिनांक 23 अप्रेल, 2003 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग द्वारा जिला कलेक्टर नागौर को पत्र प्रेषित कर उक्त प्रकरण में हुई कार्यवाही से 15 दिन में अवगत कराने के निर्देशित किया गया।
6. दिनांक 17 जुलाई, 2002 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र क्रमांक 728/20/2002–2003/UC द्वारा पुलिस अधीक्षक नागौर को पत्र द्वारा निर्देशित किया गया कि 4 सप्ताह में उक्त प्रकरण की जाँच कार्यवाही से अवगत कराये।

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही :

दिनांक 9 अक्टूबर, 2009 को पीड़ित द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही 15 सितम्बर, 2009 को श्री एस.एन थानवी प्रमुख शासन सविच (गृह) राजस्थान न्यायमूति श्री एन.के. जैन अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, न्यायमूति श्री जी.पी. माथुर कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, श्री अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्री शान्ति धारीवाल माननीय गृहमंत्री राजस्थान सरकार, श्री अतुल शर्मा सम्भागीय आयुक्त अजमेर, श्री हरीशचन्द्र मीणा, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, एवं श्री रामफूल सिंह पुलिस महानिरीक्षक (रेन्ज) अजमेर को पत्र भेजकर प्रकरण में पुनः तथ्यान्वेषण करवाने तथा प्रकरण को झूठा साबित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने हेतु लिखे गये।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर आरोपियों को बचाने के आशय से न्यायालय में प्रकरण को झूठा मानकर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। परन्तु न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नही किया गया है और पुनः अनुसंधान हेतु वापस भेज दिया है। दलित पीड़ित आज भी भय के साये में जीवन जी रहे है, यहा तक कि किसी त्यौहार को भी खुशी से नही मना सकते हैं। पिछले विधानसभा व लोकसभा चुनावों में इन्हें मतदान से रोका गया और हाल ही में होने वाले पंचायत चुनावों में भी आशंका है कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

विचारणीय तथ्य–

- इस प्रकरण में तीन–तीन उच्च जांच अधिकारियों द्वारा आरोपियों को दोषी माना परन्तु पूर्व राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री के हस्तक्षेप से गृहमंत्री ने पुलिस महानिदेशक पर दबाव डालकर जांच बदलवाकर एक पक्षपाती अधिकारी की जांच को सही मानकर प्रकरण को झूंठा करार करवा दिया और न्यायालय में एफ.आर. प्रस्तुत कर दी परन्तु न्यायालय ने इस झूंठ को स्वीकार नहीं किया और पुनः जांच के लिए भिजवा दिया। बेचारे ईमानदार पुलिस अधिकारी भी इस कृत्य पर शर्मिन्दा होंगे।
- राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते गरीब दलितों के प्रति कुछ संवेदनशील अधिकारियों को जब मुंह की खानी पड़ती है तो वे कैसे काम कर सकते हैं और ऐसे में दलितों को कैसे न्याय मिल सकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

◆

प्रकरण संख्या 12

भू–माफियाओं द्वारा धोखाधडी कर दलित की जमीन हडपने सम्बन्धी प्रकरण

ग्राम व पुलिस थाना बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली,

पीडित : देवाराम पुत्र रूगाराम मेघवाल,
निवासी हनुमान देवरा के पास, बगडी नगर,
तहसील सोजत, जिला पाली

बनाम

आरोपी :
1. मोहम्मद हनीफ पुत्र फूलशाह सांई निवासी बगडी नगर
2. उत्तम चन्द पुत्र कन्हैया लाल सुराणा निवासी ढाल का वास, बगडी नगर
3. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी नेमाराम सिरवी पूर्व सरपंच निवासी बेरा बडला, बगडी नगर
4. श्री चन्दू लाल पुत्र कन्हैयालाल श्रीमाली पूर्व ग्रुप सचिव निवासी सोजत रोड, बगडी नगर
5. श्री रामलाल पुत्र लुम्माराम सिरवी, वार्ड पंच, निवासी बेरा ढोलाई, बगडी नगर
6. श्री कृष्ण पुत्र भंवर लाल नाई, वार्ड पंच निवासी बगडी नगर
7. मोहम्मद अशलम बल्द अब्दुल महीन खरादी पूर्व वार्ड पंच, निवासी बगडी नगर
8. श्री कालूराम पुत्र जोगाराम सिरवी निवासी बेरा पडासला, बगडी नगर,
9. श्री भंवरलाल पुत्र खेमाराम धोबी निवासी बगडी नगर
10. श्री नेनाराम पुत्र चतुराराम सिरवी, पूर्व सरपंच पति निवासी बेराबडला बगडी
11. श्री जब्बर सिंह पुत्र बद्री सिंह रावणा राजपूत, बगडी नगर (चपरासी ग्राम पंचायत बगडी नगर)
12. श्री बालूराम पुत्र मोतीराम सिरवी पूर्व सरपंच, निवासी हामडा का पिपालिया बगडी नगर

बगडी नगर की स्थिति–

बगडी नगर पुलिस थाना मुख्यालय है, जो सोजत तहसील का बडा कस्बा है यह जिला मुख्यालय पाली से 85 कि.मी. दूर है । यहां आवागमन के लिए प्राईवेट साधनों से आना–जाना पडता है। यहां जैन व सिरवी जाति का दबदबा है इसका कारण इनका आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होना है। दलितों की स्थिति यहां अच्छी नहीं है। शिक्षा की कमी होने के साथ–साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। सामन्तवादी व्यवस्था की झलक आज भी यहां दिखाई देती है तो दूसरी तरफ जातिगत भेदभाव यहां कहीं न कहीं देखा जा सकता है।

प्रकरणः–

दलित देवाराम पुत्र रूगाराम मेघवाल निवासी हनुमान देवरा के पास, बगडी नगर ने एक आवासीय प्लॉट क्षेत्रफल 1494 फुट दिनांक 24 अप्रेल 2007 को श्रीमती रसालबाई पत्नी मानमल बरडिया जैन निवासी केलवाद हालनिवासी चेन्नई के आम मुखत्यार मोहनलाल पुत्र हेमाराम जाति नाई निवासी बगडी नगर से खरीदा और कब्जा प्राप्त कर लिया जिस पर आज दिनांक तक कब्जा बरकरार है और इसके तीन तरफ पत्थर की पट्टीयां खडी की हुई हैं।

विक्रेता के पास इसका पट्टा बना हुआ था जो कि दिनांक 22 जनवरी 1941 का जोधपुर गवर्नमेन्ट का बना हुआ है। श्रीमती रसालबाई पत्नी स्व. श्री मानबाई बरडिया जैन ने दिनांक 2 अप्रेल 2009 को जनरल पावर ऑफ एर्टोर्नी के जरिये इस प्लॉट के सारे हक मोहन लाल पुत्र श्री हेमराज सैन (नाई) को सौंप दिये । इसी के जरिये मोहन लाल सैन ने दिनांक 24 अप्रेल 2007 को देवाराम पुत्र सागाराम मेघवाल को 30,000 (तीस हजार) रूपये में विक्रय कर उप पंजीयक अधिकारी सोजत जिला पाली से रजिस्टर्ड करवा लिया । यह प्लॉट बगडी नगर के आबादी क्षेत्र ढाल का बास पूर्ण विकसित क्षेत्र में स्थित है जो कि बस स्टैन्ड से आधा किलोमीटर की दूरी पर है।

आरोपियों का कारनामा–

सभी आरोपी मोहम्मद हनीफ पुत्र श्री फूलशाह सांई, उत्तम चन्द पुत्र कन्हैयाल सुराणा, झुण्डी देवी पत्नी नेमाराम सिरवी पूर्व सरपंच, बालूराम पुत्र श्री मोतीराम सिरवी पूर्व सरपंच, चन्दूलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल श्रीमाली पूर्व ग्रुप सचिव, रामलाल पुत्र लुम्बाराम सिरवी वर्तमान पंच, कृष्ण कुमार पुत्र भंवर लाल नाई पूर्व वार्ड पंच, मोहम्मद अशलम पुत्र अब्दुल महीन खरादी, कालूराम पुत्र जोगाराम सिरवी, भंवरलाल पुत्र खेमराज धोबी, नेमाराम पुत्र चतुराराम सिरवी पूर्व सरपंच पति, जब्बर सिंह पुत्र बद्री सिंह रावणा राजपूत ने एक साजिस के तहत दिनांक 27 सितम्बर 1999 को भंवर लाल पुत्र मांगीलाल सुराणा जैन के प्रार्थना पत्र को दिया जाना बताकर पीडित के क्रय शुदा भूखण्ड का फर्जी पट्टा बनाना बताया गया। दिनांक 27 सितम्बर 1999 को जिस सरपंच श्रीमती भावना व्यास के फर्जी हस्ताक्षर किये गये वह उस समय बगडी नगर की सरपंच ही नहीं थी । इस काल में डगलाराम सैगवा सरपंच था। इस पर दूसरी आर्डर सीट दिनांक 20 दिसम्बर 2003 को लिखी गई कि सरपंच श्रीमती भावना व्यास की मृत्यु 21 जनवरी 2003 को दुर्घटना में हो गई।

दिनांक 5 अप्रेल 2003 को पुनः आदेशिका लिखकर तत्कालीन सरपंच श्रीमती भुण्डी देवी के हस्ताक्षर करवाये गये । शेष ऑडर सीट पर दिनांक ही अंकित नही किया गया। आरोपी भंवर लाल पुत्र खेमाराम धोबी ने मौके पर पक्का मकान बना बताया। इस प्रकार फर्जी तरीके से पट्टा संख्या 0681 दिनांक 27 सितम्बर 1999 दायर पत्रावली के आधार पर दिनांक 29 दिसम्बर 2003 को भंवर लाल एम. सुराणा पुत्र श्री मांगी लाल जैन के नाम से जारी किया गया, जबकि 29 दिसम्बर 2003 को भंवर लाल सुराणा जिन्दा नहीं था उसकी मृत्यु 27 सितम्बर 1999 को ही से चुकी थी । इस में भी सबसे ज्यादा मंजे की बात यह है कि आरोपी उत्तमचन्द पुत्र कन्हैयालाल सुराणा ने अपने आपको भंवर लाल का नजदीकी रिश्तेदार बताकर गलत मालिक बनकर अन्य आरोपियों के सहयोग से आरोपी मोहम्मद हनीफ ने फर्जी पट्टे पर बतौर क्रेता हस्ताक्षर किये और आरोपी भुण्डी देवी तत्कालीन सरपंच ने उस पर हस्ताक्षर किये। आरोपी बालूराम ने भी बतौर उप सरपंच पट्टे पर हस्ताक्षर किये। आरोपी चन्दूलाल ने भी बतौर ग्रुप सचिव फर्जी पट्टे पर हस्ताक्षर किये। आरोपी

कालूराम ने बतौर साक्षी हस्ताक्षर किये, अन्य आरोपियों ने भी इस फर्जी पट्टे के बनवाने में अपनी भूमिका निभाई तथा आपराधिक षडयंत्र किया जब पीडित ने अपने क्रय शुदा पट्टे पर पत्थर की पट्टियां गडवाने का काम शुरू किया तो आरोपी हनीफ ने आकर मजदूरों को रोका और वहा कि इस प्लॉट का पट्टा उत्तमचन्द के नाम है तब पीडित को पता चला कि उसके भू–खण्ड का फर्जी पट्टा बनवा लिया है। पीडित से पंचायत से फर्जी पट्टे की नकल हेतु आवेदन किया परन्तु नकल देने से मना कर दिया इस पर सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2009 को नकल प्राप्त हुई तो सत्यता उजागर हुई।

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- दलित अधिकार केन्द्र पाली के चार सदस्यीय फैक्ट फाइंन्डिग टीम द्वारा 17 सितम्बर 2009 को घटना स्थल का दौरा कर तथ्यान्वेषण कर पीडितों, गवाहों व अधिकारियों के बयान लिये गये।
- दिनांक 22 सितम्बर 2009 को माननीय सरदार बूटासिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री हरीशचन्द मीणा, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.पी.माथुर, कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, श्री बी.एल.मीणा पुलिस अधीक्षक पाली, माननीय श्री शांति धारीवाल गृहमंत्री राजस्थान सरकार, पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) राजस्थान, श्री पृथ्वीराज जिला कलेक्टर पाली, एवं माननीय श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान को पत्र भेजकर भूमाफियों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर दलित की क्रय शुदा भूमि को हड़पने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही कर दलित को न्याय दिलवाने का आग्रह किया गया।
- केन्द्र के पैनल अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा (3)(1)(1V), (V) जुडवाने के लिए सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
- दिनांक 24 सितम्बर 2009 को दलित अधिकार केन्द्र का प्रतिनिधि मण्डल जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक पाली से मिला और प्रकरण से सम्बन्धित ज्ञापन प्रस्तुत कर पीडित को न्याय दिलवाने का आग्रह किया।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर पीडित देवाराम पुत्र रूगाराम का कब्जा है। जब कि उसने नया निर्माण शुरू नहीं किया है जब भी निर्माण शुरू करना चाहता है तो आरेापी उत्तमचन्द जैन आ धमकता है और उसके साथ कुछ लठैत आते हैं जो पीडित को जान से मारने की धमकी देकर चले जाते हे। थानाधिकारी प्रेमदान सिंह रत्नू से बात करने पर उसने बताया कि यह विवादित भूमि ना तो देवाराम मेघवाल की है और ना ही उत्तम चन्द जैन की यह भूमि तो श्री माधव सिंह दीवान (पूर्व मंत्री) की है।

विचारणीय तथ्य–

- ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच, वार्ड पंच, ग्रुप सचिव व चपरासी द्वारा फर्जी पट्टा बनाया गया परन्तु उसमें गलती से पूर्व सरपंच की मृत्यु के बाद की तारीख में उनके हस्ताक्षर किये जाने से स्पष्ट हो गया कि पट्टा फर्जी बनाया गया है जबकि दलित पीड़ित ने यह भूखण्ड नियमानुसार क्रय कर रजिस्ट्री करवाई है।
- थानाधिकारी का मत सबसे अलग क्यों है यह समझ में नही आता। वह इस भूखण्ड को पूर्व मंत्री माधव सिंह दीवान का बताता है, इसका क्या राज है ? यह थानाधिकारी प्रेम सिंह रत्नु ही बता सकता है। ऐसे में पुलिस की जांच भी सही होगी ? यह नहीं कहा जा सकता। दलित को न्याय मिल पायेगा यह भी संदिग्ध है क्योंकि इस प्रकरण की जांच भी थानाधिकारी के पास ही है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

प्रकरण संख्या 13

भूमाफियाओं द्वारा जमीन हथियाने के लिए दलित महिला की हत्या करने सम्बन्धी प्रकरण

ग्राम–तबीजी, पुलिस थाना–मांगलियावास, तहसील–पीसांगन, जिला–अजमेर

पीड़ित :
1 पूनम चन्द पुत्र श्री गणेशीराम भंदबी
2 रमेश चन्द्र पुत्र श्री गणेशीराम भंदबी
3 फूल चन्द पुत्र श्री गणेशीराम भंदबी
4 श्रीमती चन्दा पत्नी श्री रमेश चन्द भांबी
ग्राम तबीजी पुलिस थाना मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर

बनाम

आरोपी :
1 रमेश पुत्र कान्हाराम जाट
2 नौरतन पुत्र श्री सन्नू बाल्मीकि
3 सुखपाल पुत्र श्री नारायण जाखड़ (जाट)

4 गोपी पुत्र श्री कानाराम जाट
5 मोती पुत्र श्री कानाराम जाट
6 रामेश्वर पुत्र श्री कानाराम जाट

पीड़ित के गांव की स्थिति–

ग्राम तबीजी अजमेर जिले की पीसांगन तहसील का गांव है यह पुलिस थाना मांगलियावास के अन्तर्गत आता है जो अजमेर से 18 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर अजमेर ब्यावर बाईपास से दक्षिण में 4 किमी की दूरी पर स्थित है यहां सभी जाति के लोग निवास करते हैं परन्तु गांव में संख्या बल ओर बाहुबल के हिसाब से जाट जाति का दबदबा है इनके 50 परिवार हैं। दलित बलाई जाति के 30 परिवार, खटीक 70 परिवार, बैरवा 10 परिवार हैं शेष गुर्जर, राजपूत, आदि जाति के लोग भी रहते है। पूर्व में इसी गांव की श्रीमती मनोहरी देवी के साथी छुआछूत कर मारपीट की गई, सर्वशिक्षा अभियान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती मनोहरी देवी ने पानी की मटकी क्या भर दी उस मटकी को फोड़ दिया गया उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा मारपीट की गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस गांव में जातिगत भेदभाव चरम सीमा पर है। यहां दलित मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं जबकि जाटों के पास कृषि भूमि होने के साथ–साथ प्रापर्टी डीलर का भी व्यवसाय करने के कारण मजबूत स्थिति है।

प्रकरण–

सन् 1985 में दलित गणेश पुत्र भैरू जाति भांबी ने खसरा नं. 926 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिसवा जमीन रामस्वरूप पुत्र जेठमल, गोपाल पुत्र लेठमल, छगन पुत्र, मोहन लाल एवं राजेन्द्र पुत्र रूपचन्द और बाबू पुत्र रूपचन्द से नकद 1 लाख रूपये में खरीदी और इसकी रजिस्ट्री दिनांक 19.3.1996 से सभी जाति गरबा ब्राह्मण निवासी ग्राम तवीजी तह. पीसांगन जिला अजमेर रजिस्ट्री करवाकर पीड़ित ने अपना कब्जा संभाल लिया एवं 22.8.2007 को क्रमांक 743 पर नामान्तरण भी खुलवा लिया।

दूसरी तरफ श्री खुमाणी पत्नी स्वं लेठमल जो कि बालू निवासी ग्राम गाड़ी खेड़ा जिला भीलवाड़ा के पूर्व में ही नाता बैठ गई थी और मतदाता सूची, राशनकार्ड आदि सरकारी दस्तावेजों में श्रीमती खुमाणी पत्नी बालू ने भूमाफिया सुखपाल पुत्र नारायण जाखड़ जाति जाट निवासी ग्राम तवीजी ने फर्जी मुख्त्यारनामा तैयार कर श्यामसुन्दर पुत्र रामदीन चौहान जाति भांबी निवासी 18/339, खारी कुई, सतगुरू मोहल्ला, अजमेर के नाम सवा बीघा (1 बीघा 5 बिसवा) की रजिस्ट्री करवा ली इस प्रकार उक्त भूमि को भूमाफिया सुखपाल जाट ने विवाहित बना दिया और स्वयं कब्जा करने की नीयत रखने लगा परन्तु इसी बीच आरोपी सुखपाल जाखड़ हत्या के मामले में फंस गया और जेल चला गया। परन्तु जैसे ही भूमाफिया सुखपाल जाखड़ पुत्र नारायण जाट जेल से छूट कर आया तो दलित पीड़ितों के भूमि पर अपना हक जताने लगा और आये दिन परेशान करने लगा अजमेर यूआईटी के नजदीक होने के कारण यह दलितों की भूमि बहुत मूल्यावान व महत्वपूर्ण हो गई थी। भूमाफिया ने नौरतन बाल्मीकि एवं रामेश्वर को शराब पिलाकर व लालच देकर दलित पूनचन्द भांबी को दिनांक 21.5.2008 को पीट दिया। पीड़ित दलित परिवार ने पुलिस थाना मांगलिया वास को इसकी सूचना दी तो पुलिस वालो ने उल्टा पीड़ितों को डांट डपटकर भगा दिया। दूसरे दिन 22.5.2008 को पुलिस अधीक्षक अजमेर के पास पीड़ित परिवार अपनी व्यथा सुनाने गया। जहां तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही का आश्वासन देकर टरका दिया और पुलिस थाना मांगलियावास जाने को कहा। आगले दिन 23.8.2008 को पुलिस अधीक्षक अजमेर के आश्वासन के अनुसार पीड़ित पुलिस थाना मांगलियावास पहुंचे वहां पुलिस वालों ने कहा कि इंचार्ज साहब ब्यावर गये हैं उनके आने के बाद ही मुकदमा दर्ज होगा। दलित पीड़ित परिवार शाम तक थाने पर बैठा रहा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

थका हारा दलित परिवार दुःखी होकर घर लौट आया और सो गया, पीड़ित दलित फूलचन्द व उसकी माँ श्रीमती नारायणी देवी तथा पूनम चन्द अन्दर कमरे में सो गये। रात को लगभग 10:30–11:00 बजे आरोपी घर पर पत्थर फैंकने लगे तो फूलचन्द ने मकान की छत पर चढकर देखा कि मोती जाट पुत्र कानाराम जाट पत्थर फैंक रहा था। नीचे आकर पीड़ित ने मोती को पकड लिया तो गोपी पुत्र कानाराम जाट रामेश्वर पुत्र कानाराम जाट आदि ने फूलचन्द भांवी को पकड़ लिया और सरियों से पीटने लगे यह देखकर दलित पीड़ित फूलचन्द की माँ श्रीमती नारायणी देवी ने बीच बचाव किया तो उससे भी गम्भीर मारपीट की गई जिसके कारण नारायणी देवी के हाथ व पावं टूट गये तथा सिर फट गया। जिसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। फूलचन्द भी घायल होकर बेहोश हो गया। इतने में पीड़ित परिवार के लोगों को पता चला तो आरोपी वहा से भाग खड़े हुये।

मांगलियावास पुलिस को फोन पर सूचना दी गई तो वहां पुलिस आई और मृतका श्रीमती नारायणी देवी एवं घायल फूलचन्द को अस्पताल ले गई जहां मृतका नारायणी देवी को पोस्टमार्टम हुआ तथा घायल फूलचनद को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। दिनांक 24.5.2008 को पुलिस थाना मांगलियावास में एफ.आई.आर. संख्या 72/08 अन्तर्गत धारा 302,323, 34 आई.पी.सी. दर्ज किया गया और एक आरोपी गोपी पुत्र कानाराम जाट को गिरफ्तार किया गया। बाकी को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु सभी की जमानत हो चुकी है।

प्रकरण का आपराधिक विवरण–

- दिनांक 23.5.2008 को पुलिस अधीक्षक अजमेर को पीड़ितों से मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई।
- एफ.आई.आर. न. 72/08 दिनांक 24.5.2008 अन्तर्गत धारा 302, 323, 34 आई.पी.सी.
- पुलिस थाना मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
- जांच अधिकारी श्री हरिआमे सोनी एस.आई. पुलिस थाना मांगलियावास एवं बाद में संग्राम सिंह राठोड़ वृत्ताधिकारी वृत अजमेर ग्रामीण।
- पोस्टमार्टम संख्या 323/08 दिनांक 24.5.2008 (मृतका श्रीमती नारायणी देवी)
  राजकीय जवाहर लाल नेहरू मेडीकल कॉलेज अजमेर
- एक्स–रे रिपोर्ट संख्या 895 दिनांक 24.5.2008 (पीड़ित फूलचन्द पुत्र गणेश भांबी)
- मेडीकल रिपोर्ट संख्या 1120/08 दिनांक 24.5.2008 (पीड़ित फूलचन्द पुत्र गणेश भांबी)

- चालान संख्या 82/08 दिनांक 4.8.2008 अन्तर्गत धारा 302, 323, 34, 326 आई.पी.सी. एंव 3(2)(5) अनुजाति/जनजाति अधिनियम
- गिरफ्तारी गोपी पुत्र कानाराम जाट गिरफ्तारी दिनांक 24.5.2008 समय सांय 5.30
- गिरफ्तारी मोती पुत्र कानाराम जाट गिरफ्तारी दिनांक 29.6.2008 समय सांय 7.30
- गिरफ्तारी रामेश्वर पुत्र कानाराम जाट गिरफ्तारी दिनांक 29.6.2008 समय सांय 8.30

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- 24 मई 2008 को सांय कालीन समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की सूचना पर केन्द्र की चार सदस्यी फैक्ट फाइडिंग टीम ने 26.5.2008 को घटना स्थल का दौरा कर तथ्यान्वेषण किया।
- दिनांक 27.5.2008 को जिला समन्वयक अजमेर द्वारा जिला कलेक्टर अजमेर श्री नवीन महाजन, पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेन्ज श्रीमती नीना सिंह, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति माननीय राजेन्द्र बाबू को पत्र लिखकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करावाने तथा प्रकरण में अनुजाति/जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(5) जोड़ने का आग्रह किया गया।
- दिनांक 2 जून 08 को जिला समन्वयक अजमेर द्वारा पुनः श्रीमती नीना सिंह को, पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज अजमेर को पत्र लिखा गया।
- दिनांक 4 जून 08 को दलित अधिकार केन्द्र के अध्यक्ष श्री पी.एल. मीमरोठ द्वारा न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र बाबू अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, श्री नवीन महाजन जिला कलेक्टर अजमेर, श्री आनन्द श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक अजमेर, श्री के.एस. बैंस पुलिस महानिरीक्षक राज. , श्री टी.एल. मीणा पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), सरदार बूटा सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र भेजकर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने तथा प्रकरण में एस.सी./एस.टी. 3(2)(5) एक्ट की धारा जोड़ने व पीड़ित परिवार को सुरक्षा व्यवस्था दिलवाने का आग्रह किया गया।
- दिनांक 16 जून 08 को सचिव महोदय माननीय न्याय मूर्ति श्री एस.एन. माथुर को केन्द्र के निदेशक द्वारा पत्र भेजकर दलित भूमि प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा ढिलाई बरतने के बारे मे शिकायत की गई।

आयोग द्वारा की गई कार्यवाही–

- दिनांक 15 जुलाई 08 को पत्रांक राज./49/2008–ए.पी.सी.आर. के द्वारा पुलिस अधीक्षक अजमेर को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 30 दिन के अन्दर प्रकरण में कार्यवाही से अवगत कराने को निर्देशित किया गया।
- दिनांक 22.09.2008 को पत्रांक 472/20/1/08–09–डब्ल्यू.सी./ओ.सी. के द्वारा एन.एच.आर.सी. ने प्रकरण रजिस्टर किया गया। तथा 13 जून 08 को पुलिस अधीक्षक अजमेर को चार सप्ताह में रिपोर्ट करने को निर्देशित किया गया।
- दिनांक 21.11.2008 को 21.11.08 के द्वारा एन.एच.आर.सी. ने एस.पी. अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सी.डी.आर. को अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं तथा चालान पेश कर दिया गया है।
- दिनांक 22.1.09 को राज.राज्य मानवाधिकार आयोग ने पत्रांक 8901/1893/836 द्वारा दलित अधिकार केन्द्र को सूचित किया कि उक्त प्रकरण में 18/08/08 को परिवाद न्यायलय में पेश कर दिया गया है।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

दलित अधिकार केन्द्र की ओर से पैरवी करने पर पीड़ित परिवार को 75000.00 रूपये अनुजाति/जनजाति अधिनियम 1989 व नियम 1995 के नियम 12(4) के तहत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण स्पेशल न्यायलय में विचाराधीन है। आरोपियों की जमानत हो चुकी है तथा दलित अधिकार केन्द्र अजमेर के पैनल अधिवक्ता श्री मनोज जाजोरिया सहयोगी बनकर पैरवी कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद इस प्रकरण में कार्यवाही कर रहे पीड़ित दलित पूनम चन्द भांबी की भी हत्या कर आनासागर झील में डाल दिया जिसे पुलिस ने संदिग्ध मौत करार दिया। पीड़ित इतने डरे हुए है कि इस हत्या की एफ. आई.आर तक दर्ज नही करवा सके।

विचारणीय तथ्य–

- उक्त प्रकरण में स्पष्ट है कि भूमाफिया किसी भी हद तक जा सकते हैं यहां तक कि हत्या करने से भी नहीं चूकते। भूमाफियाओं की नजर दलितों की भूमि पर होती है क्योंकि ये कमजोर होते हैं और पुलिस प्रशासन भी इनके प्रति संवेदनशील नहीं होते।
- इस प्रकरण में यदि समय रहते पुलिस पीड़ितों की शिकायत पर गौर कर लेती तो शायद दलित महिला की हत्या नहीं होती।
- इस प्रकरण में सक्रिय कार्यवाही कर रहे पीड़ित दलित पूनम चन्द भांबी की भी हत्या कर आनासागर झील में डाल दिया जिसे पुलिस ने संदिग्ध मौत करार दिया। पीड़ित इतने डरे हुए है कि इस हत्या की एफ.आई.आर तक दर्ज नही करवा सके।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

◆

प्रकरण संख्या 14

प्रशासन ने 200 वर्ष से बसे दलितों के आशियाने हटाने का दिया अल्टीमेटम

ग्राम अगवानी, तहसील–मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान

पीड़ित : समस्त दलित परिवार
निवासी ग्राम अगवानी, तहसील मुण्डावर
जिला अलवर

बनाम

आरोपी : तहसील प्रशासन मुण्डावर
जिला अलवर

पीड़ितों के गांव की स्थिति–

ग्राम अगवानी 200 वर्ष पुराना बसा गांव हैं जहां स्वतन्ता के पश्चात शरणार्थी भी आकर बस गये इस गांव में 200 परिवार हैं परन्तु इनमें से 50 परिवार छोटी–छोटी ढाणियों में बस गये हैं शेष 150 परिवार गांव में ही बसे हुए हैं। इनमें से 55 परिवार शरणार्थी सरदार तथा इतने ही परिवार दलित जाटव जाति के हैं। तीन–चार परिवार वाल्मीकि तथा 2 परिवार मेव(मुसलमान) जाति के हैं। यह गांव खैरथल अलवर रोड़ पर बसा हुआ हैं जो कि मुण्डावर तहसील मुख्यालय से 18 किलोमीटर तथा अलवर जिला मुख्यालय से 32 किमी दूरी पर है। गांव के पास खैरथल कस्बा है जो इस गांव से मात्र 2 किमी दूरी पर है। गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है परन्तु यहां पढाई का स्तर सही नहीं हो पाने के कारण पास के खैरथल कस्बे में प्राईवेट विद्यालय में बच्चे पढने जाते हैं, जिसके कारण दलित ही इस विद्यालय में अधिक हैं।

गांव में दलितों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। उनके पास कृषि भूमि नहीं है और 55 घरों में से एक भी दलित सरकारी कमचारी नही है। पास के खैरथल कस्बे में जाकर लोग मजदूरी करके पेट पालन करते हैं। नरेगा की शुरूआत ने पलायन को कम किया है, इससे दलितों को लाभ मिला है। गांव के कुल मजदुरों में 80 प्रतिशत दलित मजदूर नरेगा में काम करते है। गांव का सरपंच वैश्य है जो दलितों को कोई आर्थिक योजनाओं का लाभ नहीं दिला पाया है।

प्रकरण–

ग्राम अगवानी जब से बसा है तभी से दलित जाटव जाति के लोग यहां रह रहे हैं 1947 में जब देश आजाद हुआ तब पाकिस्तान से शरणार्थियों को सरकार ने इस गांव में भी बसा दिया अब यहां 55 परिवार शरणार्थी सरदारों के रह रहे हैं। तब से किसी प्रकार की कोई परेशानी दलितों को नहीं थी और पारस्परिक प्यार प्रेम से ये लोग रहते थे परन्तु मेव(मुसलमान) जाति के 2 परिवार होने पर भी ये प्रभावशाली हैं और अपनी राजनीतिक पहुंच भी रखते बताते हैं। अलवर जिले के एक मंत्री मेव समुदाय से है और सारे मेव अपने आप को किसी न किसी रूप में मंत्री जी का सम्बन्धी बताते हैं।

जिस आवासीय भूमि पर विवाद है वह राजस्व रिकार्ड संवत 2012 में खसरा नं. 202, 275, 276, 277, 278 में आबादी दर्ज है। संवत 2016 में पटवारी की कारस्तानी से खसरा नं. 176 दर्ज कब्रिस्तान को खसरा नं. 202 में बना दिया जो आज तक गलत ही चल रहा है। 1947 से आज तक इस भूमि में कभी भी कब्रिस्तान नही रहा और दलितों के गैत–बाड़े बने रहे जिसमें सैकड़ो वर्ष पुराने पेड़ लगे हुए हैं। संवत 2029 में सैटलमेन्ट के दौरान इस भूमि का पुनः खसरा नं. बदलकर 330 कर दिया गया जिस जमीन को मेव समाज वर्तमान में कब्रिस्तान के काम में ले रहा है।

दिनांक 29.1.2009 को तहसीलदार मुण्डावर के हस्ताक्ष्झर युक्त धारा 91 एलध्आर. एक्ट 1956 दलितों को पटवारी हल्का दांतला द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें दलितों के साथ–साथ कुछ सरदारों को भी नोटिस दिया गया और खसरा नं. 374 पर अतिक्रमण माना गया। जबकि खसरा नं. 374 आबादी भूमि है और इनमें दलित बसे हुए हैं ऐसे में उक्त आबादी भूमि का नोटिस तहसीलदार मुण्डावार जरिये पटवारी हल्का दांतला इसलिए भिजवाया गया कि दलित परेशान हों।

गौर तलब है कि खसरा नं. 330 में कब्रिस्तान है और मेव समुदाय इसे आज भी कब्रिस्तान के रूप में काम ले रहा है फिर खसरा नं. 376 (जहाँ दलितों की आबादी है) में कब्रिस्तान दर्ज करना या तो राजनीतिक दबाव है या प्रशासनिक लापरवाही है। खसरा नं. 376 में एक पानी की सार्वजनिक टंकी बनी हुई है कच्चे पक्के मकान है मंदिर है तथा गैत बाड़े बने हुए हैं और मौके पर आबादी है पूर्व काल से बसे हुए इन दलितों को सन् 2009 से पूर्व कभी भी नोटिस जारी नहीं किये गये और ना ही इस भूमि को कब्रिस्तान बताया गया है। 29.1.2009 को अचानक आये नाटिसों से दलितों में आश्यर्यजनक खलबली मच गई और दिनां क11.2.2009 को पेशी पर जाकर अपना पक्ष रखा इसके बाद तारीख बढा दी गई। हर तारीख पर दलित जाते रहे परन्तु तहसीलदार मुण्डावर नहीं बैठे ओर वाद नहीं सुन पाये। एक दिन बिना सूचना दिये फैसला दिया गया कि अतिक्रमियों को बेदखल किया जाये।

दिनांक 18.3.2009 को ग्राम वासियों ने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में बाद संख्या 67/09 के तहत रिकार्ड दुरूस्ती का दावा कर दिया जो कि न्यायालय में विचाराधीन है।

दिनांक 29.7.2009 को स्थानीय प्रशासन बिना सूचना दिये गांव अगवानी पहुंचा और वहां कुछ लोगों को इकट्ठा कर 20 दिन के भीतर दलितों को तथाकथित अतिक्रमण हटा लेने का अल्टीमेटम दिया इस पर किसी दलित की कोई दलील नही सुनी गई। तब से बेचारे 55–60 दलित परिवार परेशान हो रहे हैं।

पीड़ितों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण–

- दिनांक 3.8.2009 को माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को प्रार्थना पर भेजकर दलितों ने न्याय की गुहार की।

- दिनांक 4.8.2009 को दलित अधिकार केन्द्र राजस्थान को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उन्हें राहत दिलवाने का आग्रह किया गया।
- दिनांक 18.3.2009 को न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर में वाद संख्या 67/09 प्रस्तुत कर दुरूस्ती का दावा किया।
- दिनांक 14.4.2009 को न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर से विवादित भूमि पर स्टे प्राप्त किया।
- दिनांक 29.1.2009 को फैक्स द्वारा दलित अधिकार केन्द्र को सूचना प्रदान की।
- दिनांक 1.7.2009 को समस्त ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर अलवर को पत्र प्रस्तुत कर न्याय दिलवाने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलेक्टर ने एडीएम अलवर को आदेश किया परन्तु एडीएम ने इसी पर एस.एच.ओ. खैरथल को जांच के आदेश कर दिये।

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- दिनांक 3 फरवरी को प्रमुख शासन सचिव (गृह) श्री एस.एन.थानवी माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, श्री कुंजी लाल मीणा जिला कलेक्टर अलवर, श्री बीजू जार्ज जोसेफ पुलिस अधीक्षक अलवर, श्री के.एस. बैंस पुलिस महानिदेशक राजस्थान को पत्र भेजकर ग्राम अगवानी के पीड़ित दलित परिवारों को उनकी आबादी भूमि का हक दिलवाने तथा रिकोर्ड को दुरूस्त करने हेतु पत्र लिखा।
- दिनांक 14.7.2009 को श्री पी.एल.मीमरोठ संरक्षक दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान ने जिला कलेक्टर अलवर से मिलकर दलितों की उक्त आवीसय भूमि पर उनको पट्टा दिलवाने के लिए कहा और रिकार्ड दुरूस्ती का अनुरोध किया।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में उक्त प्रकरण रिकार्ड दुरूस्ती हेतु न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में दावा प्रस्तत कर दिया है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। इसके साथ ही पीड़ितों ने दिनांक 14.4.2009 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर से उक्त विवादित भूमि पर स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया है और विवादित भूमि पर काबिज हैं वर्तमान गिरदावर व पटवारी भी कह रहे बताते हैं कि यह भूमि कब्रिस्तान नहीं है।

विचारणीय तथ्य–

- उक्त प्रकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण दलित अपनी कब्जाशुदा जमीन से हटाये जाने से परेशान है, दूसरी तरफ राज्य के चिकित्सा मंत्री के नजदीकी रिस्तेदार बताने वालों को प्रशासन एक नहीं दो–दो कब्रिस्तान देने के लिए राजी है। क्या जनप्रतिनिधि कहलाने वाले इसी प्रकार जातिगत हीन भावनाओं से ग्रसित होकर काम करते रहेगे और उनका कोप भाजन दलितों को बनना पड़ता रहेगा ? यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। जिस पर सरकार को गौर करने की आवश्यकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

प्रकरण संख्या 15

दलित की कृषि भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने सम्बन्धी प्रकरण

ग्राम नैवाडा, पुलिस थाना हलैना, तहसील वैर, जिला भरतपुर

पीडित–

1. रामखिलाडी पुत्र खूबीराम जाटव
2. शेरसिंह जाटव पुत्र श्री रामखिलाडी जाटव
3. गंगाराम पुत्र श्री खूबीराम जाटव
4. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री गंगाराम जाटव
5. श्रीमती भगवानी पत्नी श्री वीरेन्द्र जाटव
6. वीरेन्द्र पुत्र खूबीराम जाटव ,
   निवासी ग्राम नैवाडा, पुलिस थाना हलैना, तहसील वैर , जिला भरतपुर

बनाम

आरोपी–

1. रतन सिंह पुत्र खिल्ली जाट
2. राजू पुत्र रतन सिंह जाट
3. ओमवीर पुत्र रतन सिंह जाट
4. यदुवीर पुत्र रतन सिंह जाट
5. तिमन सिंह पुत्र तेजसिंह जाट
6. गोपाल पुत्र रिंकू जाट
7. रन्नों उर्फ रणवीर पुत्र खिल्ली जाट
8. अशोक पुत्र साहब सिंह जाट
   एवं अन्य जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा, पुलिस थाना हलैना, तहसील वैर, जिला भरतपुर

गांव की स्थिति–

ग्राम नैवाडा, राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 180 कि.मी.है। जिला मुख्यालय से 75 कि.मी., तहसील वैर से 16 कि.मी.दूरी पर स्थित है। ग्राम नैवाडा में जाटों का बाहुल्य है इसमें 135 परिवार, जाट, 130 परिवार जाटव, 50 परिवार सैनी, 30 परिवार ब्राह्मण, 15 परिवार मीणा, 15 परिवार फकीर, 12 परिवार नट, 12 परिवार ककुम्हार, 10 परिवार चोबेदार, 5 परिवार वाल्मीकी, 4 परिवार खंडेर, 2 परिवार तेली तथा 1 परिवार खाती है। नैवाडा में प्रभावशाली जाति जाट का दबदबा है। भरतपुर में आए दिन दलितों पर अत्याचार होना एक नई बात नही है। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, दलित की हत्या, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना जैसी घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। ग्राम नैवाडा में सभी के पास कृषि भूमि है परन्तु दलितों के पास नाम मात्र की भी भूमि नही है पीडित का परिवार मजदूरी पर निर्भर हैं।

प्रकरणः–

पीडित रामखिलाडी के पिता खूबी राम जाटव पुत्र हुक्मा, ग्राम नैवाडा निवासी खिल्ली जाट के यहाँ मेहनत मजदूरी करते थे। आवश्यक काम होने के कारण खूबीराम जाटव ने कुछ राशि खिल्ली जाट से उधार ले ली और उसका ब्याज चढता गया इस पर दलित खूबीराम जाटव बंधुवा मजदूर बनकर रह गया । जब खूबीराम बंधुवा मजदूर था तभी खिल्ली जाट ने धोखे से दलित खूबीराम की जमीन खसरा नं. 88/1 क्षेत्रफल 3 बीधा 10 बीस्वा, किस्म बरानी 1987 में छीतरिया धोबी निवासी ग्राम सुखावली तहसील सेवर जिला भरतपुर के नाम रजिस्ट्री करवा दी। ग्राम सुखवाली में खिल्ली जाट की रिश्तेदारी है इसलिए यहाँ के धोबी के नाम जमीन कराना उचित समझा क्योंकि यह धोबी कभी ग्राम नैवाडा में खेती करने नहीं आयेगा और जाटों के दबाव में रहेगा। इस भूमि की रजिस्ट्री तो हो गई परन्तु सरपंच ने उक्त विक्रय की कई भूमि पर नामान्तरण खोलने से इसलिये इनकार कर दिया कि वर्तमान मे छीतरिया धोबी का इस पर कब्जा नहीं है और इसी प्रकार तहसीलदार ने भी हकीकत जानने पर नामान्तरण खोलने से इन्कार कर दिया। तब से अब तक नामान्तकरण नहीं खुला और जमीन पर खूबीराम जाटव का कब्जा रहा।

सन् 1989 में एक पुलिस वाला आया और खूबीराम के पुत्र रामखिलाडी से पूछने लगा कि जिस खेत पर तुम खेती कर रहे हो वह किसकी है तो रामखिलाडी ने कहा कि यह हमारी जमीन है और हमारे पिताजी के नाम है। इस पर पुलिस वाले ने बताया कि यह जमीन तो बेच दी गई है जिस पर तुम खेती केसे कर रहे हो। इतना कहकर वह चला गया, इसके बाद हमें पता चला कि हमारी जमीन को रतन सिंह जाट ने धोबी के नाम करवा दिया हैं। 1990 में रतन सिंह जाट ने जबरदस्ती से हमारे खेत में फसल बोई जिसका हमने विरोध किया और पुलिस थाने पर व तहसील को सूचना दी परन्तु उसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। तब से पीडित व आरोपी का उक्त जमीन पर विवाद चल रहा है।

सन् 2007 में पीडित रामखिलाडी जाटव ने विवादित जमीन में ज्वार की फसल बोई और उसे काटा इसके बाद सरसों की फसल बोई । अगले वर्ष 2008 में पीडित ने उक्त भूमि पर बाजरे की फसल बोई परन्तु जब फसल बडी हुई तो पकने से पहले ही आरोपी रतन सिंह जाट ने इसे काट लिया तो पीडितों ने इसका विरोध किया जिसके कारण पीडितों के साथ गम्भीर मारपीट की गई। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 142/08 पुलिस थाना हलैना में दर्ज कराई गई परन्तु जाँच के दौरान इसमें से धारा 3 अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम हटा दिया गया और चालान कर दिया जिसका प्रकरण ए.डी.जे. कोर्ट बयाना में चल रहा है।

इसके साथ ही पीडित ने उप खण्ड अधिकारी वैर के न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया जिसमें पीडित के खिलाफ फैसला दिया गया। जिसकी अपील आर.ए.ए. (राजस्व अपील प्राधिकरण) भरतपुर में की गई इसमें प्रकरण आर..ए.ए. न्यायालय में विचाराधीन है।

पुनः 2009 में जब पीडित अपनी जमीन पर जोतने जा रहा था तो आरोपियों ने रोक कर उसके साथ 8 फरवरी 2009 को मारपीट की जिसकी सूचना पुलिस थाना हलैना पर दी गई परन्तु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो पीडित ने दलित अधिकार केन्द्र भरतपुर को अपनी व्यथा सुनाई इस पर दलित अधिकार केन्द्र के हस्तक्षेप से 3 दिन बाद दिनांक 12 फरवरी 2009 को एफ.आई.आर. संख्या 20/09 धारा 143, 447, 379, आई.पी.सी. एवं धारा (3)(1)(V) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में दर्ज हो पाई परन्तु इस प्रकरण को झूंठा मानकर दिनांक 31 मार्च 2009 को एफ.आर. संख्या 11/09 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। जिसमें दलित अधिकार केन्द्र के एडवोकेट पैनल के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र जैन्थ ने प्रोटेस्ट पिटीशन लगाया और इस प्रकरण मे प्रसंज्ञान लेने के लिये मजिस्ट्रेट से निवेदन किया यह प्रकरण न्यायालय मुंशिफ मजिस्ट्रेट वैर में चल रहा है। इस प्रकार पीडित शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है और अब भी उसे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं।

प्रकरण का आपराधिक विवरणः–

- एफ. आई. आर. नं. 142/08 दिनांक 27 सितम्बर 2008 अन्तर्गत धारा 143, 447, 379, आई.पी.सी. एवं धारा (3)(1)(V) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में दर्ज, पुलिस थाना हलैना, तहसील वैर, जिला भरतपुर।
- जांच अधिकारी श्री संतकुमार आर.पी.एस.पुलिस उपाधीक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति सैल भरतपुर
- चोट प्रतिवेदन पत्र संख्या 1505 दिनांक 28–9–08 राजकीय आर.बी.एम.चिकित्सालय भरतपुर चार्ज सीट नं. 134 दिनांक 16 दिसम्बर 2008 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341,325,आई.पी.एस.
- एफ.आई.आर.नं. 20/09 दिनांक 12 फरवरी 2009 अन्तर्गत धारा 143, 447, 379 आई.पी.एस. एवं धारा (3)(1)(V) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में दर्ज, पुलिस थाना हलैना
- एफ. आर. नं. 11/09 दिनांक 31 मार्च 2009

दलित अधिकार केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- दिनांक 28–8–08 को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने व पीडित के द्वारा फोन पर आई सूचना पर दलित अधिकार केन्द्र भरतपुर की फैक्ट फाइंन्डिग टीम द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2008 को घटना स्थल का दौरा कर पीडितों के बयान लिये गये और अन्तरिम जाँच रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक भरतपुर से मिलकर प्रकरण में पीउितों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया गया।

- दिनांक 19 दिसम्बर 2009 को जिला कलेक्टर भरतपुर श्री आनन्द कुमार, श्री रोहित महाजन पुलिस अधीक्षक, श्री के.एस.बैंस पुलिस महानिदेशक राजस्थान, श्री टी.एल.मीणा पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), माननीय सरदार बूटा सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखकर दलित को न्याय दिलवाने को लिखा गया।
- दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को माननीय सरदार बूटा सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री आनन्द कुमार जिला कलेक्टर, श्री रोहित महाजन पुलिस अधीक्षक भरतपुर, श्री टी.एल.मीणा पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), श्री के.नरसिम्हाराव पुलिस महानिरीक्षक रैंज भरतपुर, श्री के.एस बैंस पुलिस महानिदेशक राजस्थान को पत्र भेजकर दलित पीड़ित को न्याय दिलवाने का आग्रह किया गया।
- 12 फरवरी 2009 को जिला कलेक्टर श्री हेमन्त गेरा से मिलकर पीडितों के साथ हुई घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण की वर्तमान स्थितिः–

वर्तमान में उक्त विवादित भूमि के फौजदारी प्रकरण में ए.डी.जे. कोर्ट बयाना में सुनवाई चल रही हैं तथा राजस्व प्रकरण में आर.ए.ए. भरतपुर में अपील का प्रकरण विचाराधीन है। पीड़ित को जमीन पर नहीं जाने दिया जाता है 3 बार पिटकर भी कोई राहत नही मिल पाने के कारण पीड़ित की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वह खेत पर अपना कब्जा करे। उनकी महिलायें भी डरी सहमी रहती हैं क्योंकि उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घट सकती है।

विचारणीय तथ्य–

- यह है कि छीतरिया धोबी की मृत्यु के बाद इनके वारिसान से फर्जी रूप से आरोपी रतन सिंह जाट ने पावर ऑफ एटोर्नी लिखवा ली इसमे भी मजेदार बात यह है कि पावर ऑफ एटोर्नी दिनांक 31–8–2007 को लिखी गई है जब कि नोटरी से इसे 24–7–2008 को सत्यापित करवाया गया है। इसी के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 बी के अनुसार भी कोई दलित किसी गैर दलित को अपनी भूमि की पावर ऑफ एटोर्नी नही कर सकता फिर भी कानून की अवहेलना करते हुये यह सब कुछ इसलिये हुआ कि दलित को उसकी जमीन प्राप्त न हो।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297ः 1997(6) जे.टी. 499)

प्रकरण संख्या 16

दलितों की आजीविका पर लटक रही है तलवार

ग्राम–माछी, तहसील व जिला करौली, राजस्थान

पीडित– 85 दलित (जाटव) परिवार
ग्राम–माछी, तहसील व जिला करौली, राजस्थान

बनाम

प्रशासनिक अधिकारी जिला करौली, राजस्थान

गाँव माछी की स्थिति–

राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित जिला करौली पूर्व में सवाई माधोपुर जिले का भाग था परन्तु यह विकास से अवरूद्व होने के कारण 19 जुलाई 1997 को अलग से जिला बना दिया गया और विकास के नाम पर यह यहां डांग विकास बोर्ड का गठन भी कर दिया गया परन्तु इस सबके बावजूद भी यहाँ दलितों की स्थिति बहुत ही भयावह है। डांग विकास बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियों होने के कारण बोर्ड के पदाधिकारी भी राजनीतिक लाभ देने व लेने के पक्षधर अधिक है। इसके साथ ही डकैतों का डर यहाँ हमेशा बना रहा है। पिछले वर्षों में जिस प्रकार की राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वता बढी है उसमें विकास के मुद्दें को कम और निजी विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

ग्राम माछी करौली जिला मुख्यालय से 8 कि.मी.दूर तथा करौली हिण्डौन रोड से 3 कि.मी. दूर पांचना बांध के ऊपर बसा गाँव है। जहां आवागमन का कोई साधन नहीं है ये लोग पैदल 3 कि.मी.चलकर सडक तक आकर साधन प्राप्त कर सकते हैं व बीमार होने पर ये लोग बहुत परेशानी में रहते हैं, गाँव में बिजली व पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ अधिकांश लोग खनन कार्य करते हैं ठेकेदारों के चलते बहुत से परिवार बंधुआ मजदूर बने हुए हैं जिन्हें उनकी मेहनत की पूरी मजदूरी भी नसीब नहीं होती। पिछले वर्ष से नरेगा में काम मिला है परन्तु 50–70 दिन रोजगार मिलकर रह गया। अब 2009 में कुछ लोग नरेगा में भी काम करने जाते हैं परन्तु इनमें महिलाओं की संख्या अधिक रहती है।

गाँव में प्राथमिक विद्यालय है जहां 62 बच्चे पढने जाते हैं इनमें लडकियाँ भी है इनमें छात्र छात्रायें 65 : 35 है। गाँव में एक अध्यापक हैं, दो शिक्षा कर्मी हैं, आंगन बाडी भी है जहां, दो आशा सहयोगनी तथा एक कार्यकर्ता है, गाँव में अधिकांश महिलाऐं खेती व मजदूरी कर अपने परिवार को पालती हैं।

प्रकरण–

ग्राम माछी में 85 परिवार दलित (जाटव जाति) हैं जो लगभग 100 वर्ष पूर्व अपने मूल माछी गाँव को छोडकर अपने खेतों पर रहने लगे । अब मूल माछी गाँव में 2–3 परिवार राजपूतों के रह रहे हें शेष परिवार वहां से अपने–अपने खेतों पर रह रहे हैं। इस गाँव का दुर्भाग्य यह रहा कि जो सिंचाई के

लिए बना पांचना बांध है उसके डूब क्षेत्र में यह गाँव आ गया। सन् 1980 में जब पांचना बांध बना उसी समय से ये लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पांचना बांध के बनने पर मौखिक रूप से यह कहा गया था कि यह क्षेत्र डूब में है और यहां से हटना पडेगा परन्तु किसी प्रकार के आदेश इनके पास नहीं आये और ये लोग खेती कर अपनी आजीविका चलाते रहे। इनकी लगभग 300 बीघा जमीन डूब क्षेत्र में है। उसके अतिरिक्त इनके पास डूब क्षेत्र से बाहर के वल 12 बीघा जमीन है वह भी पथरीली जमीन है जिसमें केवल रवि की फसल बोई जा सकती है वह भी बरसात पर निर्भर करती है।

यद्यपि 1980 में जब पांचना बांध बना उस समय इन दलितों को इनकी कृषि भूमि का मुआवजा 500 रूपये बंजर भूमि, 1100 रूपये बारानी भूमि तथा 2100 रूपये सिंचित भूमि प्रति बीघा के हिसाब से दिया गय, परन्तु इनकी आवासीय भूमि व कुओं का कोई मुआवजा सरकार की ओर से नहीं दिया गया। इनकी कृषि भूमि में 15–16 कुएं बने हुए हें जिनमें से लोग अब भी सिंचाई कर रहे हैं। अभी भी ये लोग अपनी भूमि पर काबिज हैं और कृषि कार्य कर पेट–पालन कर रहे हैं। प्रति वर्ष 2 बार राजस्व विभाग की ओर से फसल नीलाम की जाती है तथा 91 की कार्यवाही होने के कारण इनसे पैनल्टी ली जाती है। यह पैनल्टी 50 गुणा तक हो जाती है। पैनल्टी जमा नहीं कराने पर सजा के आदेश भी किये जा सकते हैं। यह पैनल्टी ये लोग 1980 से ही देते चले आ रहे है। इस प्रकार इनके पास जो फसल आती है वह खरीद से भी अधिक कीमत की पड जाती है।

दलितों की मूल समस्या इनकी आवासीय भूमि की है जिसमें ये लोग रह रहे हैं प्रशासन बार–बार आकर इन्हें परेशान करता रहता है कि कहीं अन्यथा रहें । इसके साथ ही आवास की समस्या भी बढ रही है परन्तु ये लोग चाह कर भी कोई झौपडी भी नहीं बना सकते। 1980 तक बने आवासों में ही ये सिर छिपाने को मजबूर हैं। शादी होकर आने वाली नवविवाहीता जाडी भी उसी झौपडी में सिर छुपाती हैं जहाँ उनका परिवार रहता है।

करौली जिले की छः ग्राम पंचायतों (मांछी, खूबनगर, हर नगर, कोटा छावर, रतियापुरा तथा गुबराडा) में दलित परिवारों की स्थिति–

- 6 पंचायत के 17 गांवों में 77 व्यक्तियों को टी.वी. की बीमारी है। जिनका उपचार सरकारी तथा निजी चिकित्सकों से अन्य अन्य स्थानों के अस्पतालों में करवा रहे है। खननकार्य करने से यह बीमारी हो गई काफी उपचार करवाने के बाद भी कोई आराम नही मिलता है। इसके साथ साथ कुछ परिवारों के सदस्यों को केंसर 3,सांस 6,मिर्गी 3,ब्लडप्रेशर 3,विकलांग 8, मानसिक रोगी 12 ,एलर्जी 5 व गैस 6 की बीमारी से पीडित है। जो पैसा नहीं होने के कारण दवाई नही ले पाते हैं। जिससे बीमारी बढ जाती है। और काम भी नही कर पाते है। जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति विगडती जा रही है।
- इन में से 55 ऐसे परिबार हैं जिनका महिला प्रतिनिधित्व कर रही है। ये महिलाऐं कृषि कार्यो, मकानों, खानों व नरेगा कार्य में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन कर रही हैं। इनमें से 38 महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है।
- इन परिवारों के किसी भी सदस्य को अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं होने से परिवार को ब्लड की आवश्यकता पडने पर दलाल के चक्कर में फंस कर ब्लड लेना पडता है। उपयोग की जानकारी के अभाव में काफी परेशनियों से गुजरते है।
- इन परिवारों के 0 से 10 साल के बच्चों में केवल 22 बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र हैं। उपयोग की जानकारी नही होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र नही बनवाये गये हैं।
- इन परिवारों में सामान्यतः भोजन दो व तीन बार करते हैं। जिसकी गुणवत्ता समान्य है।
- 400 परिवारों के अध्ययन करने पर पता चला कि 148 परिवार भूमिहीन हैं। गांव माची,मचेट व विरवास के परिवारों की जमीन पांचना बांध के डूब क्षेत्र में आ गई तथा कुछ परिवारों के द्वारा पुराना कर्जा होने के कारण बेच दी गई है। इस कारण ये परिबार खननकार्य व नरेगा तथा कृषि से मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। तथा 200 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1से 2 बीघा जमीन है लेकिन सिचाई हेतु पानी नही होने के कारण वर्षा आधारित पैदावार ही लेते है तथा 60 परिवार ऐसे हैं जो किसी पडौसी से सिचाई हेतु पानी लेकर पैदावार करते हैं। पैदावार मे से आधा अनाज पानी देने वाले को चला जाता है। इस कारण 12 माह के लिये परिवार को अनाज नही होता है। 50 परिवार के पास जमीन 2.5 से 4 बीघा है। लेकिन सिंचाई के लिये पानी की कमी के कारण अच्छी पैदावार नही होती है।
- पशुपालन की स्थिति में 150 परिवारों के पास एक– एक भैस है जिसका उपयोग घरेलू कार्य के लिये किया जाता है। 20 परिवार ऐसे हैं,जिनके पास 2से 6 बकरियां हैं जिससे बच्चों को दूध का लाभ मिल जाता है। तथा 5 परिवारों के पास एक– एक गाय है। जिसका उपयोग दूध की घरेलू जरूरत की आपूर्ति हेतु ही हो पाता है।
- इन गांवों में स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नही है। नर्स बहिन जी गांव में माह में एक बार टीकाकरण हेतु आंगनवाडी केन्द्र पर आती हैं उस समय महिलायें मजदूरी के लिये चली जाती हैं। जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवायें नही मिल पाती हैं। बच्चों का टीकाकरण व गर्भवती महिलाओं की जांच व टीकाकरण पूर्ण नही हो पाते हैं।
- गांव के दलित परिवार के सदस्य खुले में शौच के लिये जाते हैं गंदगी के कारण कई मौसमी बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है।
- इन परिवारों में बालिका शिक्षा की स्थिति की जानकारी से पता चला किकक्षा 1 से 5 तक पढाई कर विद्यालय छोडने वाली 97 बालिका हैं। जो अव विद्यालय नही जाती हैं। तथा कक्षा 5 से 8 तक पढने के बाद 91 बालिकाऐं विद्यालय नही जाती है। कक्षा 8से 10 की 25 व कक्षा 10से12 तक 15 बालिकायें विद्यालय छोड चुकी हैं।
- महिलाऐं घरेलू कार्य के अलावा मजदूरी के लिये जाती हैं। जो परिवार के पालन पोषण में धन उपार्जन के रूप में सहयोग करती हैं।
- नरेगा में दलित परिवारों को आवश्यकता के अनुसार काम नही मिलता है। 6 नं. प्रपत्र नही लिया जाता है। कम मजदूरी मिलती है। मजदूरी का भूगतान समय पर नही मिलना आदि। इन परिवारों मे से 100 दिन कार्य करने वाले 275 परिवार 80 दिन कार्य करने वाले 82 तथा 70 दिन काम करने वाले 43 परिवार है। जिन्है आवश्यकता के अनुसार काम नही मिलता है।

- इन परिवारों में 210 परिवार ऐसे हैं। जिनमें घटित किसी न किसी घटना से परिवार की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पडा है। जैसे परिवार के मुखिया की मृत्यु, बीमारी के उपचार में खर्चा तथा खनन कार्य में घाटा सिंचाई हेतु पानी की कमी, जमीन डूबना आदि।
- परिवार के सदस्यों ने अपनी आजीविका को बढाने के लिये अपनी अपेक्षायें निकल कर आयी कि सरकार द्वारा किसी योजना के तहत लाभान्वित किया जाये 250 परिवारों ने बकरीपालन के कार्य से अपनी आजीविका को बढाने में उपयोगी बताया तथा 50 परिवार भैंसपालन, 40 परिवार दुकानदारी तथा 60 परिवार कृषि भूमि सुधार व सिचाई हेतु पानी की व्यवस्था हेतु सहयोग की मांग करते है।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में गांव के दलित पीड़ित अपनी आवासीय एवं कृषि भूमि पर काबिज हैं और पैनल्टी चुका कर खेती कर रहे है। परन्तु उन्हें हमेशा भय बना रहता है कि प्रशासन कभी भी उन्हें बेदखल कर बेघर कर सकता है। राजनीतिकों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक यहां के दलित अपना दुखड़ा बयान कर चुके हैं परन्तु उन्हें कही भी राहत मिलती नजर नही आ रही है।

विचारणीय तथ्य–

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

प्रकरण संख्या 17

भू–माफियाओं द्वारा दलित की आवासीय भू–खण्ड हडपने सम्बन्धी प्रकरण

मेघवालों का धोरा, ग्राम रामपुरा पुलिस थाना व तहसील सायला, जिला जालौर

पीडितः सादाराम पुत्र बेनाराम मेघवाल
मेघवालों का धोरा ग्राम रामपुरा पुलिस थाना व तहसील सायला, जिला जालौर

बनाम

आरोपी–
1. खेतसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत
2. बलवंत सिंह पुत्र कानसिंह राजपूत
3. मालसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत
4. लादूराम पुत्र स्व. उकाजी जाट
5. लोकाराम पुत्र खूबा जी मेघवाल, सभी निवासी सायला, जिला जालौर (राज.)

पीडितों के गाँव की स्थिति–

पीडितों का निवास मेघवालों का धोरा, ग्राम रामपुरा जिला मुख्यालय जालौर से 35 कि.मी. तथा तहसील व पुलिस थाना सायला से 2 कि.मी.दूर है। इस गाँव में सभी जातियों के लोग निवास करते हैं राजपूतों के 200 परिवार, जाट 300 परिवार, राजपुरोहित 200 परिवार, मेघवालों के 350 परिवार मोची 50 परिवार व अन्य वाल्मीकी, भील, बागरी, दर्जी मुस्लमान, सुनार, देवासी आदि जातियां भी यहां निवास करती है। गाँव मे राजपूतों व जाटों का वर्चस्व है जिसका कारण इनकी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना है। शिक्षा का स्तर दलितों में बहुत कम है इसलिए मेहनत मजदूरी करके पेट–पालन करते हैं । आज भी यहाँ सामन्ती प्रभाव देखा जा सकता है जातिगत भेदभाव आज भी पांव फैलाये हुए है। यद्यपि जालौर जिला तो बन गया है परन्तु प्रकृति की टेडी नजर होने के कारण यहाँ हरियाली देखने को नहीं मिलती। ग्रेनाइट की खानें होने के कारण लोग यहाँ काम करके आजीविका चलाते हैं और प्रकृति के इस प्रकोप से सबसे अधिक प्रभावित दलित हैं।

प्रकरण–

पीडित दलित सादाराम पुत्र बेनाराम मेघवाल को दिनांक 25 जून 1967 मे पंचायत समिति सायला जिला जलौर द्वारा 6678 वर्ग फुट आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ जिस भूमि पर पीड़ित पिछले 50 वर्षो से काबिज था। इसमें से एक चौथाई हिस्से की आवासीय भूमि को लोकाराम पुत्र खूबाजी मेघवाल निवासी सायला जिला जालौर, को विक्रय कर दी और रजिस्ट्री भी करवा दी परन्तु पूरी भूमि का पट्टा अभी भी सादाराम पुत्र बेनाराम मेघवाल (पीडित) के नाम ही है।

दिनांक 21 फरवरी 2002 को आरोपी भूमाफिया खेतसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत, बलवंत सिंह पुत्र कानसिंह राजपूत, मालसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत, स्व. लादूराम पुत्र उकाजी जाट (घटना के समय जिन्दा था) एवं लोकाराम पुत्र खूबा जी मेघवाल ने एक साजिश रचकर पीडित के भाई मसरिया को फर्जी तरिके से मांगी लाल पुत्र सादाराम मेघवाल बताकर 3181 वर्ग फुट आवासीय भूमि की रजिस्ट्री उप पंजीयन कार्यालय सायला में करवाली । इस रजिस्ट्री मे फोटो मसरिया (पीड़ित के भाई का है) जब कि नाम मांगी लाल का है। उप पंजीयन को विश्वास दिलाने के लिये मसरिया उर्फ मांगीलाल लिख दिया जब कि मांगी लाल पीडित सादाराम का लडका है और मसरिया पीडित सादाराम का सगा भाई है इस प्रकार दोनों अलग–अलग व्यक्ति हैं। सभी सरकारी दस्तावेजों जैसे कि राशन कार्ड, मतदान सूची आदि में दोनों अलग–अलग नाम से है।

आरोपी बलवंत सिंह , खेत सिंह, व मालसिंह तीनों सगे भाई हैं और कान सिंह राजपूत के पुत्र हैं, इनके खिलाफ पुलिस थाना सायला में कई आपराधिक एवं भूमि विवाद के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी लुकाराम पुत्र खुबाराम मेघवाल आरोपी बलवंत सिंह राजपूत का मुनीम है इसलिए इसने इस रजिस्ट्री में गवाह के रूप में बेचानकर्ता की शिनाख्त की है, यह व्यक्ति कुछ दिन पूर्व दुर्घटना में मर चुका है।

दिनांक 9 अगस्त 2009 को जब पीडित सादाराम मेघवाल पानी का कनेक्शन लेने के लिये सरपंच का प्रमाण पत्र बनवाने गया तो पता चला कि उक्त जमीन बलवंत सिंह राजपूत के नाम है। इसके बाद पीड़ित को पता चला तो पीडित ने पुलिस थाना सायला में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसकी भूमि की करवाई फर्जी रजिस्ट्री भी निकलवाई। इस पर पीडित ने पुलिस थाना सायला में रिपोर्ट दर्ज करवाकर फर्जी रजिस्ट्री करवाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की शिकायत की।

प्रकरण का अपराधिक विवरण–

- एफ.आई.आर. नं. 151/08 दिनांक 11–8–09 अन्तर्गत धारा 467, 468, 420, 471,120 (बी) आई.पी.सी. एवं 3(i) (v) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
- जांच अधिकारी श्री उमेश ओझा आर.पी.एस. पुलिस उपाधीक्षक, जालौर

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- दलित अधिकार केन्द्र जालौर के जिला समन्वयक को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि दलित की भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराई समाचार छपा तो पीडितों से सम्पर्क करना चाहा परन्तु वे नही मिल पाये । दिनांक 12 सितम्बर 2008 को केन्द्र की चार सदस्यीय टीम द्वारा उक्त प्रकरण की फैक्ट फाइंन्डिग की गई। पीडितों के बयान दर्ज कर पुलिस उपाधीक्ष श्री उमेश ओझा से बात की गई तथा उक्त प्रकरण में अधिकारियों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा पीडितों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिये आग्रह किया ।
- दिनांक 15 सितमबर 2009 को फैक्ट फाइंन्डिग रिपोर्ट संलग्न कर जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा गया जिसमे फर्जी रजिस्ट्री कर दलित की भूमि हडपने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में उक्त प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक जालौर श्री उमेश ओझा अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक पीडित ही भू–खण्ड पर काबिज हैं परन्तु पीडितों को धमकी मिल रही है कि वह जमीन से कब्जा हटा ले। जाँच अधिकारी ने ग्राम पंचायत का रिकार्ड मंगवा लिया है और जाँच की जा रही है। ग्राम सेवक जाँच अधिकारी को गुमराह करना चाह रहा हे। और मसरिया तथा मांगीलाल को एक ही बता रहा है।

विचारणीय तथ्य–

- ♦ राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रावधान आवासीय भूमि पर लागू ना होने के कारण भूमाफिया खुलेआम अवैध रूप से आवासीय भूखण्डों की फर्जी रजिस्ट्री करवा लेते है और सबरजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी भी थोड़े से आर्थिक लाभ के कारण मौका देखे बिना रजिस्ट्री कर देते है। उन्हें केवल अपने सुविधा शुल्क से मतलब है तभी तो दलितों की कब्जा व पट्टा शुदा भूमि की फर्जी रजिस्ट्री हो गई और जब प्रशासन के पास शिकायत की तो उन्होने एक ही जवाब दिया कि "गलत रजिस्ट्री हुई है तो केस कर दो" परन्तु यहां भी दलितों को राहत का कोई रास्ता मिल पायेगा, इसकी सम्भावना तलाशनी होगी।
- ♦ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499) ♦

प्रकरण संख्या 18

नरेगा के तहत कार्य कर रही दलित महिला के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने सम्बन्धी प्रकरण

ग्राम बरबार, तहसील/पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर, राजस्थान

पीड़िता– श्रीमती गीता देवी पत्नि प्रेमसिंह जाति जाटव
ग्राम बरबार, तहसील/पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर, राजस्थान

बनाम

आरोपी–
1. नरेन्द्र पुत्र लटूर सिंह,
2. सुरेश चन्द पुत्र लटूर सिंह,
3. खुशनवीर पुत्र लटूर सिंह
सभी जाति ठाकुर, निवासी गांव बरबार, पोस्ट दौरदा, थाना व तहसील रुपवास, जिला भरतपुर ।

गांव की स्थिति–

राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित जिला भरतपुर उत्तर में हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। पीडिता का निवास स्थान गॉव बरबार थाना रुपवास राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 248 किलो मीटर है जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर तहसील मुख्यालय रुपवास से 06 किलोमीटर है। ग्राम बरबार में सभी जाति के परिवार रहते हैं। परन्तु गांव में ठाकुर जाति का बाहुल्य है इसमें 80 परिवार ठाकुर, 55 परिवार जाटव, 35 परिवार गडरिया, 01 परिवार ब्राह्मण, 01 परिवार हरिजन, 01 परिवार कुम्हार है।

भरतपुर में आए दिन दलितों पर अत्याचार होना एक नई बात नही है। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, दलितों की हत्या, जातिसूचक अपशब्दों से अपमानित करना जैसी घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। बरबार में सभी के पास कृषि भूमि है परन्तु दलितों के पास नाम मात्र की भूमि है अधिकांश परिवार मजदूरी पर ही निर्भर है। नरेगा के कारण लोगों को कुछ राहत मिली है परन्तु यहां भी दबंगो का आधिपत्य रहता है और ये मनमाने तरीके से दलितों को परेशान करते रहते है।

प्रकरण का विवरण–

भरतपुर जिले के थाना रुपवास अन्तर्गत गांव बरबार में दिनांक 30 अगस्त 2009 को रोजाना की तरह सुबह 7.00 बजे नरेगा में जाटव समाज की महिला एवं पुरुष साथ–साथ नरेगा में काम करने जा रहे थे। गांव से कुछ ही दूरी पर रास्ते में नरेन्द्र पुत्र लटूर सिंह जाति ठाकुर ने दलित पीड़िता श्रीमती गीता देवी से कहा कि चमरिया चल दी और पीछे से पीड़िता सिर पर परात रखते हुए कहा कि "चमरिया तू हमारे तसला व फावडा को भी ले चल, तू हमारा काम नहीं करेगी तो किसका करेगी ?" पीड़िता ने मना कर दिया। तो मना करने पर उसे गन्दी गन्दी गालियां देते हुए कहा कि चमरिया ढेडनी, मै तुझे ही देखता हुँ इतने में ही नरेन्द्र ने पीड़िता ब्लाउज पकड़ लिया जिससे ब्लाउज फट गया और उसे पीछे की तरफ धक्का देकर के नीचे गिरा दिया और कहने लगा कि चमरिया मै तुझे काम नही करने दूगां, पीड़िता अपमान का घूट पीकर रह गई और काम करती रही। 2 बजे बाद काम करके सभी घर पर आ गये।

दोपहर 3 बजे पीड़िता का बेटा मनोज पढ कर आ गया वह मलखान पुत्र निहाल सिंह जाति जाटव के साथ गांव में ही बैठा था कि नरेन्द्र पुत्र लटूर सिंह, सुरेश पुत्र लटूर सिंह व खुशनवीर पुत्र लटूर सिंह जाति ठाकुर ने आकर के पीड़िता के बेटे मनोज को पकड कर सिर दीवार में दे मारा और मारपीट करते हुए पकड़ कर पीड़िता घर पर ले आये। पीड़िता डर के मारे घर में दुबक गई, उन्होने कहा कि "चमरिया तू कहॉ है, बाहर निकल, हम देखेगे तुझे" तभी सुरेश पुत्र लटूर सिंह ने कहा माचिस से इसके घर में आग लगा दी तब निकलेगी चमरिया, गन्दी गन्दी गालीयॉ दे रहा था पीड़िता डर के मारे घर से नही निकली, जंगला में से देखा कि सभी बस्ती के लोग आ गये लेकिन आरोपी ने सभी से कहा कि किसी ने साथ देने की कोशिश की तो किसी भी चमार को इस गांव में रहने नही दूंगा। पीड़िता का पति शाम को घर पर आया तो पीड़िता ने उसे घटना के बारे में बताया तो पीड़िता के पति ने घटना को शांत करने की कहकर रिपोर्ट दर्ज नही कराई क्योंकि पीड़िता के बच्चे रुपवास में पढते है आरोपी लोग प्रभावशाली है वह कुछ भी कर सकते है।

दिनांक 31 अगस्त 2009 को पुनः सभी (महिला व पुरुष) करीब 50 लोग नरेगा का कार्य करने के लिए जो गांव बरबार मंदिर से ओडेला गद्दी की ओर ग्रेवल सडक पर मिट्टी डालने का कार्य चल रहा था, पर गये। पीड़िता के लिए चैका नाप दिया गया सभी कार्य कर रहे थे। उस दिन गर्मी ज्यादा थी और कुछ मजदूर खजूर के नीचे छाया में चले गये और कुछ कार्य कर रहे थे। चैका में गीता देवी, राममूर्ति एवं विरमा तीन ही थे जिन्होने आधा चैका मिटटी डाल दी थी। सुबह लगभग 10.30 बजे नरेन्द्र हाथ में लाठी लेकर आया और आते ही पीड़िता गीता पैर में लाठी की मारी। लाठी इतनी तेज मारी कि वह चैका में ही गिर पडी दूसरी लाठी मारने के लिए हाथ उपर उठाया कि पीछे से विरमा ने लाठी पकड ली इतने में विरमा से चमरिया ढेडनी कहकर कहा कि तुझे भी मेरे हाथों से मरना है और गाली गलोज देता रहा उसके बाद पीड़िता के शरीर में लात, घूसा, फावडा का बैत से मारते हुए बाल पकड कर पूरे चैका में घसीटा। सभी लोग खडे होकर के देखते रहे लेकिन किसी ने बचाया नही। बचाने वालों को भी डर लग रहा था कि उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा इस वजह से किसी ने नही बचाया। पीड़िता को इतने बेरहमी से मारा कि वह वही पर बेहोस हो गई पीड़िता के पति ने पुलिस में सूचना दी। उसके बाद पीड़िता को पुलिस उठा कर लाई उसे तो हॉस्पीटल में होस आया। पुलिस रुपवास हॉस्पीटल में ले गई हालत खराब होने की बजह से हॉस्पीटल रुपवास से आर. बी. एम. हॉस्पीटल भरतपुर के लिए रैफर कर दिया। पीड़िता भरतपुर में दिनांक 31 अगस्त 2009 से 03 सितम्बर 2009 तक भर्ती रही।

आज तक जाटव समाज के पुरुष व महिलाऐं डर के मारे काम पर नहीं जा रही है। आरोपी नरेन्द्र ठाकुर सभी महिलाओं के साथ गाली गलोज करता है भद्दी–भद्दी गालिया देता है कि चमारों को गांव से ही भगाउँगा नही तो मेरी बेगार करनी होगी। घमकी दी कि चमारों के घरों में आग लगा दो, इनके डर के मारे कोई भी अपने खेत पर नहीं जा रहा है, डर के मारे बच्चे भी पढने के लिए नहीं जा रहे है। पीड़िता की बच्ची के साथ अपहरण करके गलत कार्य करने के लिए घमकी दी है। और आना जाना बन्द कर दिया है।

जिसकी रिपोर्ट थाना रुपवास में 272/09 दिनांक 01.09.09 अधिनियम दर्ज 323, 341, 354, आई.पी.सी. तथा 3(i)(x) अनु. जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज किया गया।

आपराधिक विवरण–

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 272/09 दिनांक 01.09.09

धारा 323, 341, 354, आई. पी. सी. तथा 3 (i) (x)SC/ST Act

मेडिकल रिपोर्ट संख्या 206 दिनांक 31 अगस्त 2009 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

रूपवास भरतपुर

जांच अधिकारी श्री राजेश चौधरी पुलिस उपाधीक्षक वृत्त बयाना, जिला भरतपुर

पीड़ित द्वारा की गई कार्यवाही

- दिनांक 1 सितम्बर 2009 को पीड़िता श्रीमती गीतादेवी के पति प्रेमसिंह पुत्र कलुवाराम जाटव ने कोतवाली रूपवास को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया।
- दिनांक 2 सितम्बर 2009 को पीड़ित व अन्य सभी नरेगा श्रमिकों ने मेंट सहित कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना पंचायत समिति रूपवास को प्रर्थना पत्र दिया कि श्रीमती गीतादेवी जाटव पत्नी प्रेमसिंह के साथ मेट नरेन्द्र ठाकुर ने अभद्र व्यवहार कर मारीट की अतः आरोपी मेट नरेन्द्र ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही की जायें।

- दिनांक 4 सितम्बर 2009 को दलित अधिकार केन्द्र भरतपुर के जिला समन्वयक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय दिलवाने का आग्रह किया।

दलित अधिकार केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

1 31 अगस्त 09 को घटित घटना की सूचना मिलते ही दलित अधिकार केन्द्र की टीम द्वारा दिनांक 5 सितम्बर 2009 को फैक्ट फाइंड़िग की गई तथा टीम रूपवास थाने के थानाधिकारी तथा पुलिस उपाधीक्षक बयाना, श्री राजेश चौधरी से मिला और अत्याचारी को तुरन्त गिरफ्तार व पीड़िता व उसके गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

2. दिनांक 8 सितम्बर 2009 को दलित अधिकार केन्द्र भरतपुर के जिला समन्वयक द्वारा श्री हेमन्त गेरा जिला कलेक्टर, भरतपुर, श्री बी.एल. योगेश्वर पुलिस महानिरीक्षक रेंज भरतपुर, माननीया डॉ. गिरीजा व्यास अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, श्री हरीशचन्द्र मीणा पुलिस महानिदेशक राजस्थान, कर्नल श्री बहादुर सिंह कपूर पुलिस अधीक्षक भरतपुर, माननीय सरदार बूटा सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को फैक्ट फाइंड़िग रिपोर्ट संलग्न कर उक्त प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखे।

वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में पीड़िता नरेगा कार्य पर काम नही कर पा रही है, और भयभीत है। जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक बयाना श्री राजेश चौधरी के अनुसार तीन आरोपियों में से जांच के बाद दो आरोपियों को निर्दोष माना गया है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास भरतपुर ने दिनांक 22.10.2009 को फैक्स द्वारा सूचना दी कि आरोपी नरेन्द्र ठाकुर उर्फ पत्तू को गिरफ्तार कर 3.11.2009 तक जे.सी. भेज दिया गया है तथा केन्द्र के पैनल अधिवक्ता प्रकरण में विधिक हस्तक्षेप कर रहे है।

विचारणीय तथ्य–

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

प्रकरण संख्या 19

दलित की भूमि पर जबरदस्ती पुलिस थाना बनाने सम्बन्धी प्रकरण

ग्राम व पुलिस थाना नागल राजावतान, तहसील व जिला दौसा (राज.)

पीड़ित :
1 रामजीलाल पुत्र श्री गोविन्द राम रैगर
2 रामू पुत्र श्री धन्ना रैगर
3 सीताराम पुत्र श्री धन्ना राम रैगर
4 बाबू पुत्र श्री धन्ना राम रैगर
5 जगदीश पुत्र श्री धन्ना राम रैगर
निवासी ग्राम व पुलिस थाना नांगल राजावतान
तह. व जिला दौसा

बनाम

आरोपी : तेजराम सिंह तत्कालीन थाराधिकारी एवं
समस्त स्टाफ पुलिस थाना नागल राजावतान जिला दौसा

दौसा जिलें में दलितों की स्थिति–

दौसा जिला सामाजिक रूप से अति विशिष्ठ जिला है। यहां गुर्जर व मीणाओं की तूती बोलती है। जहां जिस जाति का बाहुल्य है वे वहां अपना वर्चस्व बनाये रखना चाहते हैं और दलितों को इनका रोब मानना पड़ता है। दलित वर्ग को मई 2007 और जून 2008 में गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान काफी परेशनियों का सामाना करना पड़ा इस आन्दोलन को लेकर मीणा और गुर्जर समाज में गहरी खाई बन गई जो 2008 में हुए विधान सभा चुनाव तथा 2009 में हुए लोक सभा चुनावों में खुलकर दिखाई दी। यहां तक कि लोक सभा चुनावों में गुर्जर जाति के लोगों ने कश्मीर से आकर चुनाव लड़ने वाले गुर्जर प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार कर जिताने का प्रयास किया, परन्तु इनके मध्य बनी खाई में गिरे दलित, इन पर दोनों जातियों का कहर दलितों पर टूटता रहता है। यहां तक कि दलितों की आजीविका के लिए बची थोडी सी ज़मीन पर भी ये लोग जब चाहे कब्जा कर लेते हैं और दलित मन मसोस कर रह जाते हैं।

प्रकरण–

दलित पीड़ितों ने पूर्व काल से कब्जा शुदा भूमि खसरां नं. 434/0.57, 435/0.21 कुल रकबा 0.78 एकड़ भूमि हेतु भू आवंटन कमेटी के समक्ष निवेदन किया इस पर दिनांक 18.5.89 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी दौसा कैम्प प्यारीवास में आवंटन सलाहकरार समिति की सिफारिश पर आराजी खसरा नं. 434/0.57 व 435 /0.21 कुल रकबा 0.78 एकट आंवटित की गई तभी से पीड़ित दलित परिवार वहीं रहकर खेती कर रहा है तथा इस आंवटित भूमि पर कच्चे घर भी बना लिये सन् 2000 से पूर्व पुलिस थाना नागल राजावतान किराये के मकान में संचालित था परन्तु सन् 2000 में थाना स्थानान्तरित होकर खसरा नं. 426, 432, 434, 435 में से 1.50 एकड़ (लगभग 6 बीघा) भूमि पर चारदीवारी बनाने का काम शुरू किया। पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती से दलित परिवार के घरों में तोड़–फोड़कर कर इन्हे भूमि से बेदखल कर दिया। पुलिस ने पीड़ितों को जेल में बन्द करने की धमकियां दी और इनसे अभद्र

व्यवहार कर अपमानित किया गया। इस प्रकार खसरा नं. 434, 435 में पुलिस थानें का निर्माण शुरू करवा दिया तथा पीड़ितों की आवंटित भूमि को गैर मुमकिन घोषित करवा दिया। तभी से पीड़ित प्रार्थना पत्र लेकर संत्री से लेकर मंत्री और चपरासी से लेकर संभागीय आयुक्त तक न्याय की गुहार करते रहे।

सरकार द्वारा आंवटित भूमि तो दूर, इनकी खातेदारी की शेष भूमि खसरा नं. 433 रकबा 0.17 एकड़ भूमि पर भी पुलिस ने चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। 15 अक्टूबर 1994 को तत्कालीन जिला कलेक्टर दौसा को न्याय दिलवाने हेतु निवेदन किया परन्तु उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया।

4 फरवरी 2008 को ग्राम लवाण जिला दौसा में राजस्व शिविर आयोजित हुआ जिसमे प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे वहां भी दलित परिवार ने प्रार्थना पत्र देकर अपनी व्यथा बयान की इस पर पटवारी को मौका रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। हल्का पटवारी नागल राजावतान ने दिनांक 25. 3.2008 को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि "इस खसरा नं. 433/1 रकबा 0.17 एकड़ भूमि पर पुलिस थाना नागल राजावतान द्वारा कब्जा कर रखा है। इसमें कंटीलें तार लगा रखे हैं और जहां दलितों के चूल्हे बने हैं उनके पास ही थानेवालों ने टूटी-फूटी सामग्री डाल रखी है।"

1989 से 1995 तक दलित इस भूमि पर रहकर खेती कर अपनी आजीविका चलाते रहे परन्तु 14 वर्षों तक दलितों को परेशान कर कृषि उपज से दूर रखा और मुश्किल से 17 वर्षों के सघर्ष के बाद सितम्बर 2009 में दलितों की भूमि मिल पाई।

पीड़ितों द्वारा की गई कार्यवाही–

- दिनांक 20 अप्रेल 1992 को तत्कालीन थानाधिकारी को पत्र लिखकर अतिक्रमित भूमि से कब्जा छोड़ने को कहा गया।
- दिनांक 15 अक्टूबर 1994 को तत्कालीन जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर उनकी भूमि पर थाने का गैर कानूनी कब्जा हटवाने का आग्रह किया गया।
- दिनांक 11.2.2008 को एस.डी.ओ. एवं कैम्प प्रभारी जिला प्रशासन कैम्प प्यारीवास तहसील लवाण जिला दौसा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी भूमि से पुलिस थाना नांगल राजावतान का अतिक्रमण हटवाने के लिए निवेदन किया गया।
- दिनांक 11.2.2008 जिला कलेक्टर दौसा को उनकी भूमि से पुलिस थाना नांगल राजावतान का अतिक्रमण हटवाने के लिए निवेदन किया गया।
- दिनांक 11.2.2008 राजस्व सचिव राजस्थान को उनकी भूमि से पुलिस थाना नांगल राजावतान का अतिक्रमण हटवाने के लिए निवेदन किया गया।
- दिनांक 11.2.2008 मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को उनकी भूमि से पुलिस थाना नांगल राजावतान का अतिक्रमण हटवाने के लिए निवेदन किया गया।
- दिनांक 11.2.2008 को दलित अधिकार केन्द्र दौसा को पत्र भेजकर न्याय दिलवाने के लिए निवेदन किया।
- दिनांक 15.3.2008 को सूचना के अधिकार के तहत पुलिस अधीक्षक दौसा से पुलिस कार्यवाही की सूचना मांगी गई।
- दिनांक 15.3.2008 को सूचना के अधिकार के तहत उप जिला कलेक्टर दौसा से कार्यवाही की सूचना मांगी गई।

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- पीड़ितों द्वारा सूचना प्राप्त होते ही दलित अधिकार केन्द्र की टीम द्वारा घटना स्थाल का दौरा कर तथ्यान्वेषण किया गया।
- दिनांक 19.2.2008 को तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री राजेश यादव को पत्र भेजकर दलितों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने को लिखा गया।
- पुलिस अधीक्षक दौसा श्री पी.राम जी, पुलिस महानिदेशक श्री ए.एस. गिल को पत्र भेजकर दलितो की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने को लिखा गया।
- 23.5.2008 को दलित अधिकार केन्द्र के अध्यक्ष व जिला समन्वयक दौसा ने जिला कलेक्टर से मिलकर उक्त प्रकरण में शीघ्र दलित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा।

आयोगों द्वारा की गई कार्यवाही–

- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग नें पत्रांक 08/12/1693 दिनांक 21.2.2008 को पत्र द्वारा जिला कलेक्टर दौसा को निर्देश दिया गया कि पीड़ितों को राहत हेतु उचित कार्यवाही करे।
- राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के कार्यालय से पत्रांक 710 दिनांक 8.4.2008 द्वारा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक दौसा को पत्र भेजकर दलित परिवार के प्रकरण में तुरन्त कार्यवाही के लिए कहा गया।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति–

दलित अधिकार केन्द्र के प्रतिनिधि मण्डल जब दौसा कलेक्टर श्री जोगाराम जांगिड़ से मिला जिस पर कार्यवाही करते हुए सितम्बर 2009 को इस विवादित भूमि का निर्णय हो चुका है। 17 वर्षों के प्रयास से पुलिस ने अतिकृमण हटाकर कब्जाशुदा जमीन की पैमाइस कर दलितों को सौंप दी है और थाना परिसर की चारदीवारी का काम शुरू कर दिया हैं। वहीं दलित काश्तकारों से पुलिस ने यह लिखित आश्वासन ले लिया है कि वे पुलिस के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे। इसी प्रकार जिला कलेक्टर दौसा ने गैर मुमकिन नदी की भूमि का नामान्तरण पुलिस थाना नांगल राजवतान के नाम खोलने के आदेश जारी कर दिये है।

विचारणीय तथ्य–

- राजस्थान पुलिस के प्रत्येक कार्यालय पर लिखा हुआ है कि "आमजन में विश्वास व अपराधियों में भय" परन्तु यह वाक्य शायद इस प्रकरण

में पुलिस द्वारा दलित को प्रताड़ित कर भूमि पर अतिक्रमण किया गया से यह वाक्य विपरीत जान पड़ता है। जहां 17 वर्ष तक पीड़ित परिवार को गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने आजीविका से वंचित रखा और अपनी ही जमीन को प्राप्त करने के लिए दलित मानसिक, शारीरिक व आर्थिकरूप से परेशान रहे।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

प्रकरण संख्या 20

ग्राम गढी खेमपुर पुलिस थाना नांदोती जिला करौली में दलितों की जमीन पर अतिक्रमण करने पर गम्भीर मारपीट कर गांव से निष्काषित करने सम्बन्धी प्रकरण।

पीड़ित–
1. गणपत लाल पुत्र श्री ग्यारसी लाल बैरवा
2. श्रीमती सोनबाई पत्नी श्री गणपत लाल बैरवा
3. रामकेश पुत्र श्री गणपत लाल बैरवा
4. नैमीचन्द पुत्र श्री गणपत लाल बैरवा

निवासी ग्राम गढी खेमपुर, थाना नादौती, जिला करौली,
हाल निवासी काजी कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

अत्याचारी–
1. कैलाश पुत्र ग्यारसी लाल ब्राह्मण निवासी गढी खेमपुर तह. नादौती जिला करौली
2. गोपाल पुत्र ग्यारसी लाल ब्राह्मण निवासी गढी खेमपुर तह. नादौती जिला करौली
3. सुरेश पुत्र ग्यारसी लाल ब्राह्मण निवासी गढी खेमपुर तह. नादौती जिला करौली
4. विष्णु पुत्र ग्यारसी लाल ब्राह्मण निवासी गढी खेमपुर तह. नादौती जिला करौली
5. लक्खी पुत्र मीना निवासी ग्राम गुढली तह. नादौती जिला करौली

पीड़ितों के गांव का विवरण–

ग्राम गढी खेमपुर, तहसील व पुलिस थाना नांदौती जिला करौली का छोटा सा गांव है। यहां दलित बैरवा जाति के मात्र 6 परिवार हैं। यह गावं करौली जिला मुख्यालय से 55 किमी तथा तहसील व थाने से 17 किमी की दूरी पर है यहां परिवहन का कोई साधन नहीं होने के कारण निजी साधनों से ही जाना सम्भव है। इसी गांव में 2 परिवार ब्राह्मणों के भी हैं इन परिवारों के पास 200 बीघा कृषि भूमि है इसलिए आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं। साथ ही अत्याचारी गोपाल ब्राह्मण प्रोपर्टी डीलर है जो एक प्रकार से भूमाफिया है। यहाँ तक कि एक प्लॉट को कई बार बेचने में माहिर है। अत्याचारी कैलाश फाइनेन्स कम्पनी में दलाली करता हैं। जबकि दलितों के परिवार भूमिहीन होने के कारण मेहनत मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाते हैं। इन सभी की भूमि कर्जे के कारण बिक चुकी है। केवल एक परिवार के पास शेष बची जमीन 5 बीघा है इस पर भी ब्राह्मण लठैत कब्जा करना चाहते हैं।

प्रकरण–

<u>प्रथम–</u> दिनांक 21.9.2006 को श्रीमती सोनबाई पत्नी श्री गणपत लाल सार्वजनिक कुए पर पानी भरने के लिए गई थी तो वहां अत्याचारी कैलाश उसके परिवार वालो ने उनको कुए से पानी भरने के लिए मना किया और उनकी मटकी फोड़ दी जब इसकी सूचना परिवार वालों को दी तो पीडित उलाहना देने अत्याचारियों के पास गये तो अत्याचारियों ने गाली–गलौंच की और पीडितों के घर पर आकर मार–पीट की जिससे नैमीचन्द बैरवा के कंधे की हड्डी कट गई, पीठ पर वार किया जिससे पीठ में घाव हो गया। इसी प्रकार पीडिता श्रीमती सुखबाई व गणपत के भी चोट मारी गई। पीडित नैमीचन्द ने इस घटना की सूचना पुलिस थाना नादौती पर की और घटना स्थल पर पुलिस पहुँची बयान भी लिये परन्तु इसकी रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं की जिससे अत्याचारियों के हौंसले बुलन्द हो गये।

<u>द्वितीय–</u>31.7.2007 को पुनः अत्याचारी परिवार ने अपना दमखम दिखते हुए पीडिता श्रीमती सुखबाई के साथ उस समय मारपीट की गई जब पूर्व की भांति पानी लेने जा रही थी। इसमें पीडित के 3 दाँत तोड़ दिये गये। इसका उलाहना देने जब पीड़ित गणपत कैलाश ब्राह्मण के घर गये तो उसे जलती हुई लकड़ी से मारा गया जिसमें पीड़ित के पैर जल गये। इस घटना की रिपोर्ट करने जब पीड़ित थाने पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। मजबूरन पीड़ित परिवार ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट (इस्तगासा) के माध्यम से 156(3) सीआरपीसी में दिनांक 5.8.2008 को अफआईआर दर्ज हो सकी । इस प्रकरण में 2 अत्याचारी कैलाश व विष्णु का चालान भी हुआ परन्तु वे जमानत पर छूट गये और अत्याचारियों ने पीड़ितों से बदला लेने का मन बना लिया। अत्याचारियों ने पीड़ितों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वे मुकदमा वापस ले लें परन्तु केस वापिस नहीं लिया गया।

<u>तृतीय–</u> पीड़ित परिवार पर मुकदमा वापिस लेने का दबाव बढता गया और इसके लिए उन्हें परिशिमन किया जाने लगा। मजबूर होकर पीड़ितों ने गांव छोड़ने का मन बना लिया और वे काजी कॉलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में कमरा किराये पर लेकर रहने लगे परन्तु यहां भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया गया। दिनांक 1 फरवरी 2008 को जब पीड़ित नैमीचन्द काम पर जा रहा था तो अत्याचारी 2 मोटर साईकिलों पर सवार होकर आये और उदेई मोड़ (गंगापुर) पर पीड़ित नैमीचन्द को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की गई तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। पीड़ित को यहां उपस्थित लोगों ने बचाया और पुलिस को सूचित किया परन्तु तब तक अत्याचारी वहां से भाग गये। पीड़ित को गुड्डों पुत्र गुलबदन मुसलमान अस्पताल लेकर गया और उसकी मरहम पट्टी करवाई।

चतुर्थ– दिनांक 11.9.2008 को पीड़ित के सदस्य गंगापुर से अपने खेत (ग्राम गढी खेमपुर) में फसल बोने गये। यहां इनकी खातेदारी की जमीन खसरा नं. 140 पर ट्रेक्टर से बुवाई कर रहे थे तो अत्याचारी कैलाश, गोपाल विष्णु व सुरेश पुत्रान ग्यारसी लाल ब्राह्मण आये और ट्रैक्टर को रोक दिया ये सभी अत्याचारी अपने साथ ट्रैक्टर लेकर आये जिसे लक्खी मीणा निवासी गुडली थाना नादौती जिला करौली चला रहा था। इन्होने पीड़ित नैमीचन्द के साथ लात घूंसों से पिटाई की और खेत से भगा दिया। इस प्रकार पीड़ित के खेत पर कब्जा करने की नीयत से उनके खेत को भी जोत दिया। इसकी एफ.आई.आर. पीड़ित द्वारा दर्ज करवाई गई जो क्रमांक 182/08 दिनांक 13.9.2008 को धारा 143,341,323,447 आईपीसी एवं 3(1)(5) अनुजाति/जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत थी। पुलिस ने इस मामले को झूंठा मानकर न्यायलय में एफ.आर. प्रस्तुत कर दी है जहां पीड़ित द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर दिया है।

आपराधिक विवरण–

1 एफआईआर नं. 132/07 दिनांक 5.8.2007
धारा 341, 323, 447 आईपीसी एंव 3(1) (5) अनुजाति/जनजाति अधिनियम
चालान नं. 106/07 दिनांक 31.8.2007

2 एफआईआर नं. 132/08 दिनांक 15.2.2008
धारा 341, 323, 506, 134 आईपीसी व 3(1)(10) अनुजाति/जनजाति अधिनियम
एफआर नं. 102/08

3 एफआईआर नं. 182/08 दिनांक 13.9.2008
धारा 143, 341, 323, 447 आईपीसी एवं 3(1) (5) अनुजाति/जनजाति अधिनियम
मेडीकल रिपोर्ट दिनांक 1.2.2008 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नादौती, करौली
मेडीकल रिपोर्ट दिनांक 31.7.2007 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नादौती, करौली

केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

पीड़ित द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर परिवार तुरन्त कार्यवाही कर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक करौली को पर भेजे गये तथा पुनः घटना घटित होने पर आई.जी. मानवाधिकार, पुलिस महानिदेशक, सम्भागीय आयुक्त, मुख्य सचिव राजस्थान को पत्र लिखकर तुरन्त कार्यवाही के लिए लिखा गया। केन्द्र के हस्तक्षेप से 2 अत्याचारी गिरफ्तार भी हुए जो बाद में जमानत पर रिहा हो गये।

वर्तमान स्थिति–

वर्तमान में पीड़ित का एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जबकि दूसरे प्रकरण को पुलिस नें झूंठा मानकर न्यायलय में एफ.आर. प्रस्तुत कर दी है जहां पीड़ित द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर दिया है। पीड़ित डर के कारण अब भी गांव छोड़कर गंगापुर में रह रहे हैं और उनके खेत भी बंजर पड़े है। जब भी पीड़ित गांव में जाने की कोशिश करते हैं तभी अत्याचारी उन्हें रोक लेते हैं। पीड़ित अब भी भयभीत हैं कि उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है। साथ ही पीड़ितों पर बराबर दबाव दिया जा रहा है कि वे समझौता कर लें।

विचारणीय तथ्य–

- प्रभावशाली जाति द्वारा पीड़ित को बार–बार प्रताड़ित कर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है जिसके कारण पीड़ित को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। अब पीड़ित गंगापुर में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहा है। पुलिस व प्रशासन को कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। थोड़े से आर्थिक लाभ के कारण पुलिस के आँखों के सामने घटित को भी पुलिस ने झूंठा मान लिया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

प्रकरण संख्या 21

दलितों पर कलेक्टर के गनमैन का आतंक सम्बंधी प्रकरण

ग्राम–नयाबास गेलाडेरा, थाना–मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर

पीड़ित–
1. श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी गोपीराम रैगर
2. श्री रमेश पुत्र गोपीराम रैगर
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपीराम रैगर
4. श्री पूरणमल पुत्र गोपीराम रैगर
5. श्री हेमराज पुत्र गोपीराम रैगर
6. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी रूढमल रैगर

निवासी ग्राम नयाबास, गेलाडेरा, थाना मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर

बनाम

आरोपी–
1. शिशुपाल गुर्जर पुत्र बालूराम गुर्जर

2. ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र बालूराम गुर्जर
3. रोशनलाल गुर्जर पुत्र बालूराम गुर्जर
   निवासी ग्राम नयाबास, गेलाडेरा, थाना मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर

गावं की स्थिति–

ग्राम गेलाडेरा राजस्थान की राजधानी जयपुर से 78 कि.मी., उपखण्ड मुख्यालय शाहपुरा से 18 कि.मी. तथा पुलिस थाना मनोहरपुर से 15 कि.मी. पश्चिम मे स्थित है। यहाँ सड़क तो बनी है परन्तु परिवहन के साधन नही होने के कारण निजी साधनो से ही जा पाना सम्भव है। पानी की बहुतायत होने के कारण कृषि भूमि उपजाऊ है, और इस क्षेत्र मे दलितो की भूमि पर अवैध कब्जो का एक कारण यह भी है कि बहुत से सेठो ने इस क्षेत्र में अपने फार्म हाऊस बना रखे है। इस गांव मे जाट 150 परिवार, रैगर 150 परिवार, बलाई 10 परिवार, गुर्जर 2 परिवार, ब्राह्मण 5 परिवार, खाती 2 परिवार, तथा वाल्मिकी 1 परिवार, निवासी करते है। यदपि गुर्जर दो ही परिवार है, परन्तु ये खुद भी अच्छी जमीन के मालिक है तथा कुछ जमीन दलितों से खरीद ली है जिसे दलितों के नाम तो रजिस्ट्री करवा दी है परन्तु उन दलितों को ही पता नही है उनके नाम जमीन भी है। अत्याचारी परिवार का मुख्या शिशुपाल गुर्जर जयपुर कलेक्टर का गनमैंन है तथा उसका एक भाई अध्यापक है कुल मिलाकर गुर्जरो की आर्थिक स्थिति महुबत मजबूत है जब कि दलित परिवारों को मजदूरी के भरोसे गुजारा करना पड़ता है। और जो थोड़ी बहुत जमीन किसी के पास है। उस पर दबंगो ने आतो कब्जा कर रखा है या आतंकित कर घर थोड़ जाने को मजबूर कर दिया है।

प्रकरण–

पीड़ित दलित परिवार के पास कुल 180 एयर भूमि है। जिसमे 145 एयर भूमि गोपीराम रैगर के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज थी, जोकि गोपीराम रैगर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी श्रीमती सुन्दरी देवी तथा बच्चो के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हो गई। तथा बाकि 35 एयर भूमि में से 17.50 एयर भूमि भी श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी गोपीराम रैगर, के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है। तथा 17.50 एयर भूमि श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी भीमाराम बलाई निवासी ग्राम घाटाजलधारी थाना चन्दवाजी तह. जमवारामगढ़ जिला जयपुर के नाम हनुमान मास्टर, गोपी, गिरधारी, तथा लच्छो मास्टर ने फर्जी हस्ताक्षरो से रजिस्ट्री करवाली और बाबूलाल पुत्र कान्हा बलाई निवासी ग्राम गेलाडेरा से खरीद ली जबकि दिनांक 30 दिसम्बर 1991 को बाबूलाल पुत्र कान्हा बलाई से हमने पाँच हजार रूपये मे खरीद ली थी जिसमें खुद बाबूलाल तथा चार गवाहो के हस्ताक्षर है और नोटरी पब्लिक से प्रमाणित है। यहीं से गुर्जरों ने दलितों को परेशान करना शुरू कर दिया।

दिनांक 17 अक्टूबर 2006 को रात के लगभग 12.00 बजे दलित परिवार की खेत पर बनी झोंपड़ी मे आग लगा दी, महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर उनके कपडे फाड़ दिये जिसकी रिपोर्ट दूसरी दिन पुलिस थाना मनोहरपुरा में मुकदमा सं. 812/06 दिनांक 18/10/06 को धारा 341, 323, 335, 447, 427, भा.द.सं तथा 3 (i) (v) SC/ST Act 1989 के तहत दर्ज हुआ परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नही कि गई।

दिनांक 24 फरवरी 2007 को वाद् संख्या 103/07 मे गुर्जरो ने न्यायलय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर कर बताया कि श्रीमती प्रभाती पत्नी भीमाराम बलाई के खेत से मुंगफली की फसल दलितों ने निकाल ली हैं तथा झोंपड़ी बना ली है जबकि श्रीमती प्रभाती ने न्यायालय मे प्रस्तुत होकर अपने बयान मे कहा कि उक्त भूमि के बारे मे मुझे कुछ मालुम नही है। नाही मैनें इसे क्रय किया है। वर्तमान मे उक्त वाद राजस्व न्यायालय अजमेर में विचाराधीन है ।

दिनांक 28 अक्टूबर 2007 को पीड़ित दलित परिवार ने थानाधिकारी मनोहरपुरा को लिखित मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि दिन के करीब 2.30 बजे 20–25 बदमाश एक पिकप,ट्रेक्टर व तीन मोटर साइकिलो पर हथियारो से लेस सवार होकर आये जिन्होने दलित औरतो के साथ अभद्रव्यवहार किया, खेत मे पडे पानी के पाईप फैंक दिये और जातिसूचक शब्दो से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देने लगें। पुलिस ने इन पीड़ितो के बयान तो लिए परन्तु वे कागजो तक ही सीमित रहे।

मजबूर होकर दिनांक 18 मार्च 2008 को दलित परिवार ने राजस्थान विधान सभा के समक्ष जयपुर जिला कलेक्टर के गनमैन शिशुपाल गुर्जर व उनके परिजानो के आतंक के खिलाफ धरना दिया। जहाँ से पुलिस ने पीड़ितो में से दो व्यक्तियों को जिला कलेक्टर अखिल अरोरा के आश्वासन तथा दलित अधिकार केन्द्र द्वारा कारगर हस्तक्षेप के बाद रात को घर लौट गये, परन्तु प्रशासन द्वारा पीड़ितों को राहत नहीं मिली बाद में केन्द्र के हस्तक्षेप से पीड़ितों को उनकी जमीन पर कब्जा प्राप्त हुआ।

प्रकरण का अपराधिक विवरण–

1. घटना की दिनांक 13 जनवरी 2008
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 69/08 दिनांक 19मार्च 2008 अन्तर्गत धारा 447, 427, आई.पी.सी. एवं (3)(1)(v)(x) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, पुलिस थाना मनोहरपुर, जिला जयपुर
3. जांच अधिकारी अनुकृति अज्जैनिया आर.पी.एस. वृताधिकारी, शाहपुरा जयपुर
4. एफ.आ. नं. 21/08 दिनांक 9–5–08 झूंठा माना गया
5. एफ.आई.आर.नं. 212/06 दिनांक 18–10–06 अन्तर्गत धारा 341, 323, 435, 447 427 आई.पी.सी. एवं (3)(I)(V) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, पुलिस थाना मनोहरपुर, जिला जयपुर जांच अधिकारी श्री रामसिंह चौधरी आर.पी.एस.वृताधिकारी शाहपुरा इस प्रकरण को झूंठा मानकर एफ.आर.लगा दी ।

पीड़ितो द्वारा की गई कार्यवाही–

1. दिनांक 18–10–06 को पुलिस थाना मनोहरपुर में एफ.आई.आर.नं. 212/06 दर्ज करवाई
2. दिनांक 28–10–06 को दलित पीडित रमेश चन्द रैगर ने थाना अधिकारी मनोहरपुर को पत्र लिखकर उसक साथ हुए अत्याचार की रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया
3. दिनांक 24–2–07 को उपखण्ड कार्यालय शाहपुरा में वाद प्रस्तुत किया गया।
4. दिनांक 14–11–07 को उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जयपुर को प्रार्थना पत्र देकर खातेदारी भूमि को जबरन जोतने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया
5. दिनांक 15–1–08 को एस.डी.एम.शाहपुरा को पत्र देकर पीडितों ने थाना इंचार्ज द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाने का निवेदन किया जिस पर एस.डी.एम.ने 19–3–08 को वृताधिकारी शाहपुरा को कार्यवाही करने का आदेश दिया
6. दिनांक 7–2–08 को पुलिस पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एफ.आई.आर. दर्ज करवाने का निवेदन किया
7. दिनांक 17–3–8 को सभी समाचार पत्रों मे सूचना दी गई कि पीडितों को न्याय नहीमिला तो 20 मार्च 2008 को विधानसभा के सामने दिलत परिवार सामूहिक आत्मदाह करेगा।
8. दिनांक 18–3–08 विधानसभा के सामने परिवार सहित धरना दिया गया
9. दिनांक 18–3–08 को जिला कलेक्टर जयपुर को पत्र लिखकर आरोपियों द्वारा फसल काट ले जाने तथा जमीन को हडपने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया जिस पर एस.डी.ओ. शाहपुरा को कार्यवाही करने हेतु आदेश किये
10. दिनांक 19–3–08 को पुलिस थाना मनोहरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 69/08 दर्ज करवाई गई
11. दिनांक 18–3–08 को दलित अधिकार केन्द्र जयपुर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय दिलवाने का आग्रह किया

दलित अधिकार केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही–

- दिनांक 18–3–08 को विधानसभा के समक्ष धरना दे रहे दलित परिवारों को पुलिस कर्मियों द्वारा खदेडने पर केन्द्र को फोन द्वारा सूचना मिली और केन्द्र का प्रतिनिधि मण्डल पीडितों से मिला तथा पुलिस अधिकारियों से बात की जिस पर कलेकटर द्वारा कार्यवाही करवाने के लिए बात की गई
- दिनांक 19–3–08 को दलित अधिकार केन्द्र की टीम द्वारा पीडितों के गांव नयावास गेलाडेरा का दौरा कर मौका मुआयना किया गया तथा दलित परिवार, उनके गवाहो तथा आरोपियों से बात कर रिपोर्ट तैयार की गई
- दिनांक 20–3–08 को जिला कलेकटर जयपुर से मिलकर उक्त प्रकरण में आरोपी (कलेक्टर के गन मेंन) शिशुपाल सिंह के कारनामे के बारे मे बताया, जिस पर कलेक्टर ने तुरन्त उनके गनमैन लगे शिशुपाल सिंह गुर्जर को हटा दिया और लाइन हाजिर कर दिया।
- दिनांक 25–3–08 को श्री के. एस. जिला पुलिस महानिदेशक राजस्थान, श्री मेहताब सिंह पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, श्री अखिल अरोडा जिला कलेकटर जयपुर, माननीय सरदार बूटा सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र बाबू, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन अध्यक्ष राजस्थान राज्य मनवाधिकार को फैक्ट फाइंडिग रिपोर्ट संलग्न कर पीडित दलितों को न्याय दिलवने हेतु पत्र प्रेषित किये गये
- दिनांक 18–3–08 को श्री मेहताब सिंह पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, श्री अखिल अरोडा जिला कलेकटर जयपुर, को अन्तरिम रिपोर्ट तैयार कर भिजवाया गया तथा पीडित व गवाहों को सुरक्षा व्यवस्था दिलवाने का आग्रह किया गया
- दिनांक 16–6–09 को सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.एन. माथुर आयोग को पत्र प्रेषित कर प्रकरण में जांच हेतु लिखा गया

वर्तमान स्थिति–

वर्तमान मे पीडितों द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आईआर.को पुलिस ने झूंठा मानकर एफ.आर.दे दी है जिसमें प्रोटेस्ट पिटीशन सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। पीडित दलित के खेत से पत्थर हटा लिये गये हें तथा कब्जा शुदा जमीन से कब्जा हटा लिया है परन्तु दलित के खेत की मेड को तोड कर उसका कुछ हिस्सा आरोपियों ने अपने खेत में मिला लिया है पीडितों को प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की आथिक सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है।

विचारणीय तथ्य–

- जिला कलेक्टर का गनमैन होने पर होने पर व्यक्ति अपने आप को खास आदमी समझने लगता है और इसी भी धौंस में वह कुछ भी अवैध काम करने को तत्पर हो जाता है। इस प्रकरण में कलेक्टर के गनमैन शिशुपाल सिंह गुर्जर ने दलितों के साथ भी धौंस जमाकर उनके खातेदारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया।
- पीड़ित दलित अपनी व्यथा को हर स्तर पर व्यक्त करते रहे परन्तु जब राज्य विधान सभा पर धरना दिया गया तो पुलिस प्रशासन की आंखे खुली। क्या हर व्यक्ति विधान सभा पर धरना देकर ही न्याय प्राप्त कर सकता है? क्या प्रशासन तभी सुनता है जब विधान सभा पर आत्म हत्या करने की चेतावनी दी जाये ? ये सभी प्रश्न पुलिस और प्रशासन के साथ–साथ सरकार के लिए भी विचारणीय हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और भारत के सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसका तात्पर्य बताते हुए फैसला दिया है कि *"न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ मानवीय सम्मान व आदर के साथ जीने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार एवं जीवन के सभी पहलू, जिनसे मनुष्य का जीवन पूर्ण एवं जीने योग्य बनता है जीवन के अधिकार का हिस्सा बने रहेगें।"* (समथा बनाम आन्ध्रपदेश राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3297: 1997(6) जे.टी. 499)

◆◆◆

उपरोक्त प्रकरणों के निष्कर्ष के आधार पर निम्नलिखित मांग है–

1. राज्य दलितों की भूमि के कब्जे, अधिग्रहण और छीनने के मामलों को देखने के लिए प्रथक कमेटी का गठन करे। यह कमेटी निश्चित समय के भीतर उपयुक्त कार्यवाही करे। उच्च अधिकारी गैरजिम्मेदार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्यवाही करे। कमेटी संवेदनशील और जिम्मेदार हो।
2. आंध्रप्रदेश की तरह राजस्थान में भी दलितो को आवासिय भूमि आंवटित की जावें।
3. दलित अधिकार केन्द्र अन्य दलित और मानवाधिकार संस्थानों के साथ मिलकर राजस्थान के प्रत्येक जिले में दो माह में एक बार जन न्यायाधिकरण के गठन के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाये। इन न्यायाधिकरणों के माध्यम से दलितो, महिलाओं और अन्य हाशिये के समुदायों की समस्याओं को उठाया जाये।
4. राज्य दलितो और महिलाओं की जमीन और आजीविका की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे।
5. राज्य के कार्यक्रमों जैसे नरेगा और मध्यान्त भोजन में भष्टाचार और दुराचार के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारियो के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावे जो इन कार्यक्रमों के कियान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
6. राज्य के साथ प्रभावी पेरवी करने के लिए दलित अधिकारों पर कार्य कर रहे अनेक संगठनों और स्वंयसेवी दलो के साथ लामबन्दी बढायी जाये।
7. ग्राम/ब्लाक/तहसील स्तर की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कारका कार्य वातावरण बनाने के लिए जोडे।
8. अपना कार्य करने में असफल रहने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जावे और उनके खिलाफ विधिनुसार अभियोग लगाया जाऐ।
9. राज्य के द्वारा मानवाधिकार हनन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाये जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता भी सदस्य हो। तथ्यों को इक्कठा कर एक रिपोर्ट तैयार की जावे और पीडितों को न्याय दिलाने के लिए विधिक कार्यवाही की जावे।
10. राज्य दलितो की समस्याओ के निराकरण के लिए जन सुनवाईयो का आयोजन करे और आरोपियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करे।
11. राज्य सरकार गंभीर मामलों के अन्वेषण के लिए प्रथक से अन्वेषण अधिकारी की नियुक्ति करे।
12. उच्च अधिकारी आरोपियो का पक्ष लेने वाले और पीडितो को समझोता करने के लिए मजबुर करने वाले पुलिस अधिकारियो और लोकसेवको से कठोरता से व्यवहार करे।
13. अन्वेषण अधिकारी बिना किसी राजनैतिक दबाव के अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामले का निष्पक्ष अन्वेषण करे।
14. लोक अभियोजक दलितो के प्रकरणों की ईमानदारी से पैरवी करे।
15. ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है तुरन्त विधिक कार्यवाही की जाऐ।
16. पक्षपाती और उपेक्षावान लोकसेवको के खिलाफ भी विधिक कार्यवाही की जावे और ऐसी स्थितियों में भी गंभीर कार्यवाही की जावे जबकि विधि का प्रयोग अपराधियों को सहयोग करने के लिए किया जा रहा हो।
17. दलित संवादो में नागर समाज संस्थाओं को भी जोडा जाऐ और ऐसे आयोजन जिला और तहसील स्तर पर भी किये जाए ताकि अधिक से अधिक दलितों तक पहुंच को बढ सके।
18. दलित मुद्दों पर सामाजिक लामबन्दी और सकारात्मक प्रभावों को बढाने के लिए अन्य नागर समाज संस्थानो के साथ एकता और मैत्री बढायें।
19. उन सभी प्रकरणों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिनमें दलित अपनी जमीन और आजीविका से वंचित कर दिये गये है।
20. राज्य सरकार 'राज्य भूमि सुधार के भूसम्बन्धी मामलो और अपूर्ण कार्य के गठित कमेटी' की सिफारिशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाऐ।
21. दलितों को रिहायशी तथा कृषि योग्य भूमि आवंटित की जाये तथा उनको मौके पर भौतिक कब्जा भी सम्भलवाया जाये।
22. दलितों की पुश्तैनी, आवंटित तथा खरीदी हुई भूमि पर जिन दबंग व प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उनका गैर कानूनी अतिक्रमण विशेष अभियान चलाकर हटवाया जाये तथा पुलिस–प्रशासन यह भी सुनिश्चित करें कि दलित का कब्जा बरकरार बना रहे।
23. जिन दलितों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है उन अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 सी के तहत तहसीलदार स्वयं अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये तथा उन्हें मौका पर जाकर भौतिक रूप से कब्जा दिलवाये।
24. दलित भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(IV)(V) में दर्ज किये गये प्रकरणों में आरोपियों के विरूद्ध सिविल नेचर का केस मानकर अन्तिम रिपोर्ट नहीं लगाई जावे बल्कि जांच अधिकारी आपराधिक प्रकरण बनाकर सम्बन्धित कोर्ट में चालान पेश करे।
25. राज्य सरकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी में संशोधन करें जिसमें तहसीलदार द्वारा इस धारा के तहत सुने गये प्रकरणों को नियमित वाद की श्रेणी का क्षेत्राधिकार दिया जाये ताकि 183 बी के तहत की गई कार्यवाही प्रभावी हो सके।
26. राज्य सरकार, यू.पी.ए. सरकार द्वारा वर्ष 2008–2009 में भूमि सुधारों पर गठित की गई कमेटी "राज्य कृषियों की भू–सुधारों से सम्बन्धित मामलों पर अपूर्ण कार्य समिति" द्वारा की गई सिफारिशों पर अविलम्ब क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
27. राज्य सरकार अविलम्ब कृषि भूमि योग्य भूमि का सर्वे करवाया जाये ताकि यह पता चल सके कि सरप्लस भूमि कितनी है तथा दलितों के पास कितनी भूमि है।

◆◆◆

Public Tribunal

on

"Land, Housing and Livelihood Rights of Dalits"

CENTRE FOR DALIT RIGHTS

C-56, First Floor, Siwar Area, Bapu Nagar, Jaipur- 15

Telefax : 0141-2703736, 2703923

Email : cdrjaipur@gmail.com Website : www.cdrjaipur.org

अधिवक्ता

दलित दरबार

दुर्गापुरा, जयपुर

दलित दरबार
अधिवक्ता

Public Tribunal

on

"Land, Housing and Livelihood Rights of Dalits"

Date : October 25, 2009

Place : Samagra Seva Sangh, Durgapura, Jaipur

CENTRE FOR DALIT RIGHTS, JAIPUR

C- 56, First Floor, Siwar Area, Bapu Nagar, Jaipur 302015,
Telefax- 0141 2703923, 2703736
e-mail-cdrjaipur@gmail,com
website- www.cdrjaipur.org

Public Tribunal on "Land, Housing and Livelihood Rights of Dalits"

Pioneer of CDR : **P L Mimroth**

Convinced by : **R K Ankodia**

Report Prapred By : **Toshita Verma & Gopal Ram Verma**

Edited by : **Satish Kumar**

Published by : **Centre for Dalit Rights**
Dalit Manavadhikar Kendra Samiti
C- 56, First Floor, Siwar Area, Bapu Nagar, Jaipur- 302015,
Telefax- 0141 2703736, 2703923
e-mail-cdrjaipur@gmail.com
website-www.cdrjaipur.org

Supported by :

October, 2009

Printed by : **Kalpana Offset, Sanganer-Jaipur**

CONTENTS

- Executive Summery 4
- Inaugural Session 6
- Case Presentation 9
- Final Comments of Jury Members 42
- Recommendations 45
- Concluding Session 46
- Introduction of Jury members 46
- Associated Advocates 48

Executive Summery

P L Mimroth
Chief Patron

R K Ankodia
Chairperson

Satish Kumar
Director

Caste system is still very strong in Rajasthan; there is a clear division between the upper and lower castes, where upper castes are more socially and economically powerful groups in the local hierarchy. Dominated castes are denied access to basic amenities of life. Undue restrictions in their general social behavior and violence as backlash on assertion, is the current situation of caste system. Exclusion does not only exclude dominated castes socially but it also economically excludes them. Denial of civil engagement, denial of access to social goods and denial of opportunity to participate are common social exclusions while segmented labour market, income inequality, discrimination in access to employment, higher rate of unemployment and lower labour market participation are common ways to exclude economically.

Land is a key resource in ensuring shelter, water, livelihood and all facets of right to life of all people. The grabbing of Dalits' land by dominant caste forces in Rajasthan has gone on without any resistance. Such land-grabbing has been going on totally unjust and unjustified means and in disproportionate measures. The history of India is a long history of the Dalits losing their land to dominant forces in India. So in the case in Rajasthan 80% of Dalit people are either landless or marginal land holders in Rajasthan. This violates the spirit and letter of the Constitution of India viz. Article 15 where no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition. Article 17 under which "Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden and punishable under law. Subsequently, casteism through Dalits/ Untouchables has denied access to and control over the land to Dalits.

Land is considered to be the symbol of status, power and prestige in the caste hierarchy and it is one of the most important reasons for major caste atrocities in India. Lack of political wills, bureaucratic lethargy and judicial impunity deprive Dalits from Constitutional mandates. Adversely, a substantial proportion of even land distribution to Dalits is not actually, owing to encroachment by powerful non-Dalits and land distribution is done only on paper. Actual possession of land, based on the measurement done at the site, is not given effect. Because of these reasons Rajasthan has been on the apex of the list of States topping the chart of atrocities on dalits by the upper castes. As per the National Human Rights Commission, the State is top to second in committing dalits' human rights violations. The Commission strongly believes that in spite of the presence of strong laws against untouchability and human rights violations, the condition of Dalits is the worst in Rajasthan. Rajasthan has a dismal record of offences against the Dalits especially on Dalit women.

This is focus various aspects i.e. legal provision related to land rights, types of case studies, and reccomadations for State and National Governments to provide land rights to Dalits. This also reflects various gaps to implement land related laws by the Revenue Authorities, Judicairy and Administration. And also use a toll for advocacy purpose with just to protect Dalit land rights.

We would like to thanks Ms. Toshita Verma, State Coordinator Dalit Mahila Manch, Sh. Gopal Ram Verma, State Coordinator, Ms. Arti Verma Intern NCAS, Chanda Lal Bairwa Programme Coordinator, Babulal, Kiroriwal and other head office and field team members who took part of this process and commitment to taking it forward the cause land reforms in Rajasthan by orginising the Dalit Darbar.

◆◆◆

Inaugural Session

Welcome Address

Mr. R.K Ankodia, Chairperson, Centre for Dalit Rights, Rajasthan in his welcome note Welcomed to all jury members in the first ever Dalit Darbar organized by CDR in Rajasthan. He said that it is an opportunity for CDR to have our eminent jury members in Dalit Darbar. He further added that CDR has monitored 563 cases of Dalit land & livelihood rights violation and out of these 563 Dalit land & livelihood rights violation cases (in which CDR is intervening) we are presenting selected 20 cases before the Jury. He also welcomed all the participants, survivors and advocates who was attending this Public Tribunal.

Purpose of Organizing Dalit Darbar

Mr. P.L Mimroth, Chief Patron, Centre for Dalit Rights, Rajasthan stressing on the purpose behind organizing Public Tribunal, stated that since last 7 years experience of working with dalit community, we felt that land related matters have been the single largest factor responsible for crime & violence against Scheduled Castes in rural areas. Members of the Scheduled Caste community have been fighting for ownership rights over the land cultivated by them and seeking possession over the land already distributed to them by the government. They have also been demanding allotment of land under the relevant reforms programmes under which they have been assigned priority by the government in distribution of land. However, the poor implementation of land reforms, particularly in states, where Scheduled Castes constitute a large percentage of population has deprived from accessing this asset to improve their economic position and reduced their vulnerability.

There is extensive discrimination and abuse of Dalits in all parts of Rajasthan. These abuses include name-calling, prohibiting Dalit women from using footwear in the main village, denial of such services as even that of the barber's, segregation of schoolchildren, forcing Dalits to sit at the back of the classroom, prohibition of rituals such as riding a horse during weddings, and gross inequality in access to water and other common resources like pastures and wastelands. There is systematic discrimination in State-run employment generation programmes. According to 'National Crime Records Bureau, Crime in India in 2001', 33,501 criminal cases against Scheduled Castes were registered in 2001 as compared to 25,455 cases in 2000, with Rajasthan alone accounting for 14.6% of the crimes.

Field investigations in various districts have revealed that the owing land is connected with person's identity, dignity, security, livelihood and overall development. Landlessness leads to Poverty & Hunger in fact force people to migration, homelessness and various forms of other discrimination. Dalit should have equal rights over land, agricultural land, forest land, common land, land under water, sea land. Observing these experiences Centre for Dalit Rights endeavoring to reveal the actual condition of dalit's ownership on land, to emphasize the intensity of violence faced by dalits particularly dalit women. Even Civil society groups in the State are not strong enough to exert pressure on political parties, administration and police to protect Dalits.

It will be the sole responsibility of the District Collector and the Revenue Board to remove any hurdles-such as legal setbacks, lack of co-operation among various departments, financial problems etc. that may have affected the implementation during the review. Authoritative provisions should be applied in the cases of re-encroachment that require penalty or punishment and stringent decisions should be taken in the cases of illegal transfer. But in exercise all these provision are at stake. All the concerned authorities are callously breaching the laws. Adversely, dalit are paying its price with loosing their possession from land. Courageously, if somebody had tried to bring matter in authorities notice they turned a deaf ear and in most of the cases police and higher authorities due to upper caste and political pressure forced dalit victims for compromise.

Keeping this in view, it has become necessary to highlight the problem and make state authority accountable to take appropriate action to ensure land & livelihood rights of Dalits.

He further introduced the Jury members. Public Tribunal had a jury of five members of very eminent national public figures–

1. Former Justice Mr. K. Ramaswami, Supreme Court, New Delhi
2. Mr. K.B. Saxena, Retired I.A.S, New Delhi
3. Mr. Nikhil Dey, Activist, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Bheelwada, Rajasthan
4. Mr. R.K Saxena, Former I.G, Prison, Jaipur
5. Mr. Sharad Joshi, CECOEDECON, Rajasthan.

The Jury at the Public Tribunal, headed by the former Chief Justice K. Ramaswami, heard the testimonies of 20 cases of violation of Dalit's Land and Livelihood Rights subjected to humiliation, land grabbing problems, discrimination in government run livelihood programme and schemes and Untouchability practices.

Introduction of CDR activities

Mr. Satish Kumar, Director, Centre for Dalit Rights, Rajasthan explained about the activities of Centre for Dalit Rights. He gave a brief introduction of CDR and said that CDR is an initiative seeks to defend, protect and promote the right of the poor, particularly the Dalits who are the most discriminated, vulnerable and underprivileged and exploited sections of the society. To achieve the said goal, CDR organizes various capacity building programmes for Dalit activists, women activists, grass-root workers, Dalit organisations, and advocates providing them social and legal support as enshrined in the Constitution of India. The Core of the CDR activities is to demystify the law and enable poor people to fight for their human rights. To this end, CDR endeavors to eliminate all forms of political, social and economical discrimination and oppressions particularly of caste based discrimination.

Lamp lighting and Garlanding

To formally start the programme, jury members laid garland to Dr. Ambedkar's photo and lit the lamp. After inaugural **Ms. Toshita Verma, State Coordinator, Dalit Mahila Manch, Rajasthan,** gave a round of introduction of advocates associated with CDR and who came from various districts of Rajasthan, and are constantly doing efforts to provide justice to dalit victims.

Inaugural Speech

Justice K. Ramaswami, Former Judge, Supreme Court of India, delivered the inaugural speech and said that land is a glaring issue over the nation. A number of land reform schemes have come and implemented with lack of will and results are there in front of us that they have failed to serve their purpose. Even today one man has thousand acre of land and on the other hand one doesn't have to live. The disparity in distribution of resources can be seen every where in India which is against democracy. If democracy define in its literal meaning that advocate for equal distribution of all available resources to all its citizens irrespective to their caste, class, gender, religion or race which is not followed.

It is a well known fact that crime against Dalits are increasing day by day and all preventive measures are failed to serve their purpose. Reports of various commissions i.e National Human Rights Commission, National Commission for Scheduled Caste and National Crime Record Bureau reports are also support the said fact. Beside the fact on the other hand there is a silent agitation growing that the SC/ ST (PoA) Act is been misused or more then 90% cases, registered under the act are false but no body talks about the reason of the failure. It is true that the cases are failing and not ending in conviction. Since there are various reasons of the failure i.e. Police don't provide protection to the victims or his witnesses, acute poverty, century long deprivation and bias attitude of local police etc.

However, number of schemes and policies are there for the upliftment of Dalits but these is lack of proper implementation and monitoring machenism that to not reaching to the neediest person. Poor become poorer and rich become richer day by day.

He further added that these kinds of efforts should be taken up to address Dalit issues. He also said that we will hear all 20 cases and try to make this Public Tribunal fruitful to ensure Dalits land & livelihood rights.

❑❑❑

Case Presentation before the Jury

In the supervision of **Mr. Gopal Ram Verma, Centre for Dalit Rights, Rajasthan,** all the survivors of 20 cases narrated their unheard voices before the honorable Jury.

Case No.-1

The case of land grabbing by the son of former Chief Minister of Rajasthan

Name and address of the victim

- *Mavasi s/o Dhani ram koli*
- *Viri singh s/o Dhani ram koli*
- *Karan singh s/o Dhani ram koli*
- *Mahaveer s/o Dhani ram koli*
- *Rameshwar s/o Dhani ram koli*
- *Peetam singh s/o Dhani ram koli*

All resident of village- Sunderpur, PS- Mania, District –Dholpur

Name & Address of the accused

- Dushyant Singh(Member of Parliament) and s/o Hemant Kumar Singh (His Highness, Dholpur Estate) Caste- Rajput , Dholpur Palace , Dholpur
- Dhrendra Kathmar, OSD of Former Chief Minister, Caste- Rajput, District - Dholpur

Case in brief

The victims purchased 25 bigha of land from Hemant Kumar Singh (His Highness, Dholpur Estate) in the year 1991. This land was in name of Khuswant Singh Jat in the Revenue Record. The Power of Attorney was with Hemant Singh. Later on the revenue record was opened mutation in name of 13 people (Present Victims). But on 1996, Dushyant Singh filed a case (FIR No -41/1996) against these victims alleging them for stealing the crop from land. They also snatched the crops from these families using police power. Viri singh filed petition in rajasthan high court in year 1996 (Petition no – 981/96). In 1997 the Rajasthan High Court ordered Dushyant Singh to return the crop to the victims. On 2003 when Vasundhara Raje came in power, Dushyant Singh forcibly grabbed the land and started growing crops on the land. Since then, these families are starving for land and livelihood

Action taken by Centre for Dalit Rights, Rajasthan

When the case came to notice of CDR, then CDR constituted a state level fact finding team and went for fact finding of the case. CDR also issued various complaint letters to District and State level stakeholders to draw their attention on this issue. CDR did a state level media coverage on this case and also preparing the case to forward it to National level Dalitright platforms so that positive action can be taken on this case.

Present Status

At present the case is pending before the court and the land is under the possession of the accused. The victims are scared and living under strenuous situation. However they have faith on the sovereign government and also on the judicial system of India. ◆

Case No.-2

The case of Untouchability practice in Mid Day Meal program.

Name of the victim

- Kailash Chand Bairwa s/o Shri Mangal Ram Bairwa

  Resident of Village kholada, Gram Panchayat Suwalia, Police Station Nainwa, District -Bundi

Name of the accused:

- Radha kishan Meena s/o Har Chand
- Laduram Meena s/o Ramnath Meena and others

  Resident of Village kholada, Gram Panchayat Suwalia, Police Station Nanwa, District Bundi

Crime details:

- FIR No – 260/09
- Date of FIR – August 28, 2009
- Police Station- Nanwa, Bundi
- Section applied- 143, 353, 341 IPC

Case in brief:

A Dalit boy, Kailash Chandra Bairwa s/o Mangla Bairwa, student of class 8th in Govt. Higher Secondary School kolada village, Nainwa Police Station District Bundi Rajasthan. On 27th August 2009, he served mid day meal to students as directed by the school Principal. The students of non Dalit families refused to eat mid day meal served by a Dalit boy and chucked the served plates. After few hours this news spread in the whole village. Next morning on 28th August 2009, when school Principal Mr. Surajbhan Jat and teacher Ghasilal Bairwa were on the way to school; some anti social elements blocked their way; misbehaved and abused them. After a while a group of 40-50 villagers from Meena (Schedule Tribe) community entered in the school and started resisting for yesterday's incidence; resist upshots as villagers locked the school to demonstrate their protest.

Subsequently Principal Mr. Surajbhan informed Additional Block Education Officer Mr. Satya Narayan. As soon as Block Education Officer received the information, he visited the concerned school and met the affected victims. Block Education Officer tried his best to reopen the school but failed. Afterward, school Principal lodged FIR under section 143, 341, 353 of IPC. On 29th August 2009, school reopened with the interference of Tehsildar Mr. Hazarilal Meena, Development Officer and Additional Block Education Officer.

Action taken by CDR:

1. On August 31, 2009, CDR visited the village, did Fact Finding and collected the facts related to the case. After the Fact Finding CDR team gave a demand letter to District Collector and SP and demanded to add the sections of Protection of Civil Rights Act 1955 in the case and to provide security to the victims.
2. On September 2, 2009, letters were sent to the District Collector, SP, DGP, Education Minister and NHRC.
3. Again letters sent to the high level officials to provide security to the school principal due to threatening by local people.

Present status:

Police has arrested all the accused but Charge sheet is not yet filed in the case and police officials haven't added any sections of Protection of Civil Rights Act in the case.

◆

Case No.-3

The case of land grabbing

Name & Address of the victims:

- Mrs. Badam Bairwa/o Late Shri Bhanwar Lal Mahawar
- Lakhraj s/o Shri Bhanwar Lal Mahawar
- Chandra Prakash s/o Shri Bhanwar Lal Mahawar
- Bhagwan Das s/o Shri Bhanwar Lal Mahawar
- Mohan Lal s/o Shri Khem Chand Mahawar, Mayor, Muncipal Corporation, Kota

  All resident of Ladpura, Kolipada, Kota, Rajasthan

Name of the accused:

- Bhuvneshwar Sharma, Residing At H.No. 41 Behind, Gurudwara, Dadabadi, Kota
- Ram Narayan Paliwal S/o Ram Karan, 19, Dadabadi
- Mrs. Shakuntala W/o Om Prakesh, Residing At J-9, Jawaher Nagar
- Ganesh Lal Mewar S/o Devilal, Residing At 151,Pratap Nagar, Dadabadi
- Krishna Gopal Maheshwari S/o Radha Ballabh, Residing At 390, Dadabadi
- Shyam Lal Soni S/o Devi Lal Soni, Residing At 762, Dadabadi

- Mrs. Meena Khendelwal W/o S.N Khendelwal, Residing At J-7, Jawahar Nagar
- Hemant Khendelwal S/o Mohan Lal, Residing At 29/305, Kotari, Gordhanpura.
- Prakash Chandra Bhargav S/o Babulal, Residing At 790, Dadabadi, Kota
- Pradeep Sharma S/o R.S Khandilya, Residing At 5-K-18, Mahavir Nagar-3
- Jaswant Singh S/o Ratan Singh, Residing At 276, Shastri Nagar
- Bittal Singh S/o Bhajan Singh, Residing At 4-B2, Dadabadi, Vistar Yojana
- P.K Sharma S/o G.D.Sharma, Residing At 328, Shastri Nagar
- Prakash Rajora S/o S.R. Rajora, Residing At 1043, Shri Nathpuram
- Jagdish Shrangi S/o Durga Lal, Residing At 315, Shastri Nagar
- C.L Arora S/o Girdhari Lal, Residing At 425, Shastri Nagar
- Mrs. Beena W/o Heera Lal, Residing At 425, Shastri Nagar
- Sunil Kumar S/o Baldev Raj, Residing At 1-C-38, Mahavir Nagar
- Mrs. Shanti Gambhir W/o Rajendra, Residing At 421, Dadabadi
- Om Prakesh S/o Lal Rathore, Residing At 58, Mahavir Nagar-1
- Laxmi Chand Sharma S/o Mangal Sharma, Residing At 404, Dadabadi
- Bihari Lal S/o Banshi Lal, Residing At 57-A, Mahavir Nagar-1
- Rameshwar Pokhra S/o Ghanshyam, Residing At 344, Shastri Nagar
- Mrs. Sushila Devi W/o Arun, Residing At D-10-A, Mahavir Nagar-1
- Shiv Kumar S/o Durga Das, Residing At P.N.B Colony, Dadabadi
- Devendra Chaturvedi S/o Durga Prasad, Residing At Dhokda Walw Veer Hanuman Mandir
- Pawan Singh S/o N.B Singh, Residing At 273, Shastri Nagar, Kota
- Pawan Soni S/o Shyam Lal, Residing At 762, Dadabadi
- Yogendra Chaturvedi, Residing At Dadabadi, Kota
- Vinod Kumar S/o Ramesh Chand, Residing At 255, Shastri Nagar, Kota
- Kamal Jain, Residing At In front of Bharat Vikas Parishad, Dadabadi, Kota
- Sunni S/o Chandra Prakesh Joshi, Residing At Shastri Nagar, Kota
- Hemant Malav S/o Brij Mohan, Residing At 5-I, Jawahar Nagar
- Rakesh Sharma , Residing At Behind Gurudwara, Dadabadi, Kota

Crime details:

- FIR No – 48/2008
- Date of FIR – January 9th , 2008
- Police Station- Dadabadi, Kota
- Section Applied- 341, 323, 427 And 120 (b) Of Indian Penal Code
- Section 2 (1) (5) and (10) Of SC/ST (Po A) Act, 1989

Case in brief:

On 18th Feb. 1985 late Bhanwar Lal Mahawar, the husband of Mrs. Badami Davi (Sister in law of the Mayor) purchased two pieces of land (60*80) from Mrs. Shanti Devi w/o late Rameshwar Prasad Sharma and others in Rs. 45,000 and get registered the said land in the name of her wife Mrs. Badami Devi. The said land was mentioned in the land record as *khasra* No- 57 and 58. Later some piece of land (320 square feet) was acquired by the Govt. in expansion of the sewerage lane and in account of that 425 square feet land was allocated to her in another area. Further, victim constructed a boundary wall around her new allocated land.

In 14-08-2006 so called Religious Committee called *'Shri Dhokery Walay Veer Hanuman Sewa Samiti'* fraudulently registered the said land in the name of their committee and builds a small Lord Shiva Temple over the land. When it came into the notice to the victim, she approached to the accused to resolve the matter but instead of talking to them the accused beaten them and denied to vacate the land. Mrs. Badami Devi went to the police station to register the FIR against the accused but the local police called the accused at the police station and made both of them to come into the compromise. The accused accepted to come into the compromise in front of the police officials, but later he refused to follow the compromise. Looking all that, Mrs. Badami Devi registered an FIR on 9th Jan. 2008 through court intervention under section 156(3) but the investigation officers filed FR in the case. From that day onwards she is approaching to all the concern officials to get her land back.

Action taken by CDR:

On October 12, 2009, CDR sent letter to District Collector, Kota, Mrs Neeraj K. Pawan, Divisional Commissioner, Kota, Mr. Ashok Gehlot, Chief Minister, Mr. Shanti Dhariwal, Home Minister, Ms. Kushal Singh, Chief Secretary, Rajasthan, S.P, Kota, Mr. Harish Chandra Meena, D.G.P, Rajasthan to take action against the accused and take out the encroachment from her land.

Present status:

Currently members of *Shri Dhokde Wale Veer Hanuman Mandir Sewa Smiti* have grabbed that land and making money from that temple. Even, the victim is sister in law of the Mayor of the City but is not getting any support from the police administration.

◆

Case No.-4

The case of land grabbing

Name & address of the victim

- Shri. Moolchand Mahawar , S/o Mohanlal , Caste- Koli , Age- 33

  And Other 21 Victims of Koli community

  Residence- Village- Rajpura Patalwas, PS- Bassi, District –Jaipur

Name & address of the accused

- Hanuman Sharma S/o Ramkuwar Sharma,

  and 12 Others of Brahmin community,

  Residence- Village- Tekchandpura, PS- Bassi, District – Jaipur

Crime Details

- Police Station – Bassi, District –Jaipur
- FIR No: 353/2006
- Under section – 453, 427 IPC, and 3 (1) (V) SC/ST (PoA) Act 1989

Case in brief:

In the year 1990, 22 Dalit families belong to Koli caste applied for residential land (patta) to the Gram Panchayat. On 23rd March 1991, the Gram Panchayat through Proposal No 4 approved their request. On 2nd november 1991 the Block Development Officer of Bassi allotted them the land in village Tekchandpura (Land *Khasra* No – 120/ 1 *Rakba* 4 *Bigha* and 15 *Biswa* under which each family was allotted 150 square feet land and 2 *bigha* land from the allotted land was again allotted in name of Government Primary School Tekchandpura. But then, the former Sarpanch Madan Lal Sharma asked for bribe of Rs. 2000 each family of Dalit community for issuing (patta) of the land. When the Dalit families refused to give money to him, he did not issue the patta. Looking to the situation, all Dalit families complained to the block development officer and the BDO himself came to the village and issued the land to the victims in December 1991 and also took 15 rupess per family as contribution for village development and receipt was later on provided to the victims.

After this, the victims put 20 tractor trolleys stone chips on their allotted land. Some families took approval from RFC for handicraft promotion work. But on 26th December 1992 when the victims started construction over their land, the perpetrators belonging to the dominant caste came their and threaten them to vacate the land. They also took away all the stone chips with them. The victim later, complained to all concerned stakeholders like, BDO and other public representatives but no action was taken by them.

On 2005, the victims again went to get the possession over the land but again 50 -60 dominant caste people chased them and dispossessed them. On 26th August 2006, they again complained to the Sub Divisional Magistrate, Bassi. The SDM ordered the Station House Officer of Bassi to investigate and submit a report. On 2006, as a consequence of the incidence, the influencial people physically abused one of the victims Chitarmal Koli and set fire to his house. The local Police lodged FIR (353/06) U/s 453,427 IPC and 3(1)(v) SC/ST (PoA) Act 1989 but like earlier no action was taken on it. On 13th September the District Magistrate Jaipur ordered the SDM to investigate the case and to submit a report (Letter No – sama/2006/4212) and also the Divisional Commissioner order the SDM to submit a report on the incidence (Letter No – bhu.a /06/104/3606 dated- 4/12/06) but no action was taken again.

Meanwhile the perpetrators along with the Principal of Government Primary School Techchanpura village started constructing wall around the allotted land to the Dalit community that complaint was made by the victims to the panchayat. On 4th April 2008, the panchayat officer made a spot visit and ordered to stop the construction and asked the principal to be present in the panchayat office with documents. But then also the construction work was not stopped. Again the panchayat officer on 8th April 2008 issued a show cause letter No- p.a /08/352 to the principal to narrate the casue within three days. Similarly the SDM issued a letter to Block Devlopment Officer (Letter No - RA /08/48) to re-investigate the case and to submit a report. But till now no action has been taken yet.

Action taken by CDR

When the case was brought to CDR, it constituted a three member team and did an intensive fact finding to the case. After that, complaint letters was written to the concerned officials for intervention in the case and provides justice to the victims.

Present status of the case

Presently the dominant caste people with political influence are forcing the local Administration to cancel the *(pattas)* of land allotted to Dalit community referring to the point 8 of land allotment letter (if the land owner of the land within two years does not construct any establishment then the concerned authority reserve rights to cancel the allotment . However in special circumstances, the allotment officer can extend the tenure for two more years).

◆

Case No.-5

The case of beaten to a Dalit women while working under NREGA scheme

Name of the victim:

- Mrs. Bhuri W/o Shripat Jatav
- Shripat S/o Totaram Jatav

Village Gadhi Harjupura, Police Station and Tehsil Basedi, District Dholpur

Name of the accused:

- Dharmendra S/o Anar Singh Thakur

  Vill. Gadhi Harjupura, Police Station and Tehsil Basedi District Dholpur

Crime details:

- FIR No – 366/2008
- Date Of FIR– October 20th, 2008
- Police Station- Basedi, Dholpur
- Section Applied- 323, 341 Of Indian Penal Code
- Section 3 (1) (10) Of SC/ST (Po A) Act 1989

Case in brief:

On June 19, 2008, in Harjupura village the construction work of graval road under NREGA was going on. After lunch, victim Mrs. Bhori and her husband Shripati who belong to Dalit community restricted their work. After few moments Dharmendra s/o Anar Singh Thakur, from Rajput caste, Mate (Supervision Authority at the site) came their and forced them to do work of his share and also talked with them in a very abusive language. Both, Bhori and her husband Shripati refused to do his share of work. Then angrily, Mate Dharmendra Singh fired them from the work and warned them not to come again for the work. Then Bhori and her husband Shripati stopped their work. When they were going to their home Mate Dharmendra came there and started fighting with Shripati. During fight, Bhori came to rescue her husband; Dharmendra Singh thrashed and assaulted her too. Other workers from the site came and rescue them from Dharmendra.

Subsequently, they decided to file an FIR against Dharmendra, the moment when they were on the way to police station, people from *Thakur* and *Kachi* community to make pressure on them followed them. To save their lives Bhori and Shripati went to Dalit *Jatav* house. After some time, when Thakurs and Kanchis went from that place, they went to the Police Station Basedi and gave written complaint to SHO. After listening to them the SHO told them to report their FIR to Circle Officer of police, and then they waited till 10 pm in the night but their police official didn't lodge their FIR. Next day, on October 20th, 2008, vistims went to meet S.P, Dhoulpur and after S.P order their Police lodged FIR under section 323, 341 of the Indian Penal Code and Section 3 (1) (10) of SC/ST (Po A) Act 1989. After FIR, Investigation officer is CO Mr. Rajwardhan Singh.

After the FIR now victims are in constant under pressure to do compromise.

Action taken by CDR

1. On October 26th, 2008, CDR team conducted Fact Finding of the case.

2. On October 31st, 2008, letters sent to Chief Justice Mr. Rajendra Babu, Chairperson, National Human Rights Commission, New Delhi, Sardar Buta Singh, ChairPerson, Natioanl Scheduled Caste Commission, Delhi, Mr. Anand Srivastava, S.P, Ajmer, Mr. K.S Bans, D.G, Rajasthan, Mr. T.L. Meena, I G , Rajasthan and Mr. Ashutosh A.T. Panikkar, District Collector, Dholpur, Mr. Vikas Kumar, S.P, Dholpur to arrest the accused and provide relief to the victim.

Present status

Because of CDR intervention Charge sheet has filed in the court under sections 323, 341 of Indian Penal Code and section 3 (1) (10) of SC/ ST (Po A) Act 1989. Case is in court proceeding. ◆

Case No.-6

The case of Land grabbing

Name of the victim:

- Mrs. Sohni Devi W/o Badri Lal Bairwa

  Residing At Agency Area Deoli, District Tonk

Name of the accused:

- Gopal S/o Jodha Mali
- Ram Swaroop S/o Jodha Mali
- Khemraj S/o Gopal Mali

  Residing At Vill. Uncha, Police Station Hanuman Nagar, Tehsil Jahajpur, District Bhilwara

Crime Details:

1. **FIR No – 69/2003**

   Date of FIR – February 13th , 2003

   Section applied- 447, 427, 143 Indian Penal Code

   Section 3 (1) (5) and (10) of SC/ST (Po A) Act 1989

2 **FIR No – 475/2004 {through Complaint Filed Under Section 156 (3)}**

   Date of FIR – December 21st , 2004

   Section applied- 447 Of Indian Penal Code

   Section 3 (1) (5) Of Sc St (Po A) Act 1989

3. **FIR No – 02/2005**

   Date of FIR –January 18th , 2005

   Section applied- 447 Of Indian Penal Code

4. **FIR No – 26/2007**

   Date of FIR – September 26th , 2007

   Section applied- 341, 323, 325, 34 of Indian Penal Code

5. **Chalan No. 197/2007**

   Date of Chalan: September 26th , 2007

   Section Applied- 341, 323, 325, 34 Of Indian Penal Code

Case in brief:

On 24th July 1999 Mr. Badri Lal Bairwa purchased & registered a *khatedari* land *Aaraji Khasra* no- 1325 and 750 (total *rakba- 1 bigha and 18 biswa*) in the name of her wife Mrs. Sohani Devi. After some time influential people namely Gopal S/o Jodha Mali, Ram Swroop S/o Jodha Mali, Khem Raj S/o Gopal Mali resident of village- Uncha, Tehsil-Jahajpur, District- Bhilwara illegally grabbed and constructed a hotel over the land. When it came into the knowledge of the victim, he approached to the accused and prey him to vacate the land but the accused brutally beaten him and abused him in the name of caste. On 13-02-03 the victim filed an FIR No- 63/03 under section 447,427, 143 IPC and 3 (i)(v) & (x) ST/ST Act but due to the influence of the accused and political pressure the local police filed FR in the case.

On 7th June 2004 the victim opposed to the accused when he was digging to construct foundation over the land of the victim, again accused brutally beaten him and abused him in the name of caste. This incident was reported through filing complaint before the court. The investigation officer filed positive report in the case but to no result.

The victim also filed a complaint 5/04 and 02/07 twice before the Tehsildar, Jahajpur under section 183 (b), and Rajasthan Tenancy Act 1955. The Tehsildar pronounced the judgment in the favour of the victim and directed to *Bhu Abhilekh Nirikshak and Patwari* to repossess the victim over his land. In the First complaint noting was done in the favour of the victim but in the next complaint, on 26th may 07 the police asked victim to come at his land to provide possession but the executing officer tried took his signature over the sheet without providing the physical possession.

On 26th September 2007 the victim and her family members were brutally beaten by the accused when they went to look after their land. The case was registered against the accused and with in three days wrong final report was submitted before the court.

Action taken by CDR:

1. On October 13th , 2007, CDR wrote a letter to Mr. Mohan Singh, S.P, Bhilwara to add the Sections of SC/ST (PoA) Act in the FIR No. 297/2007 and wrote a letter to Mr. Hemant Gera,District Collector, Bhilwara and Tehsildar, Jahajpur to provide police protection and support to the victim to get possession over his land.

2. On November 16th , 2007, letters sent to Chief Justice Mr. Rajendra Babu, Chair Person NHRC, Sardar Buta Singh, Chair Person, National S C Commission, Mr. T.L Meena, I.G Police (Human Rights), Mr. K.S Bans, D.G.P,Rajasthan, Mr. Hemant Gera, District Collector, Bhilwara, Mr. Mohan Singh, S.P, Bhilwara, Mr. V.S.Singh, Home Secretary, Mrs. Vasundhara Raje, Chief Minister, Rajasthan, Mr. N.K Jain, Chair Person, SHRC, Rajasthan to provide the justice to the victims.

3. On November 19, 2007, in regards to the case CDR organized a Press Conference at Bhilwara and media published the news with the title "open challenge to supreme court orders".

4. On November 19, 2007, CDR team met District Collector, Bhilwara and presented a memorandum.

5. On January 1, 2008, letters were sent to District Collector and SP, Bhilwara to provide security to the victim.

6. On February 21, 2008, again letters sent to district collector and s.p, Bhilwara to provide security to the victim.

7. On April 24, 2008, again letters sent to district collector and s.p, Bhilwara to provide security to the victim.

8. On May 5, 2008, letters sent to Chief Justice Mr. Rajendra Babu, Chair Person NHRC, Mrs. Meera Kumar, Cabinet Minister, Department Of Social Justice and Welfare, Mr. D.C Sawant, Chief Secretary, Mr. K.S Bans, D.G.P,Rajasthan, Mr. Hemant Gera, District Collector, Bhilwara, Mr. Mohan Singh, S.P, Bhilwara, Mr. V.S.Singh, Home Secretary, Mrs. Vasundhara Raje, Chief Minister, Mr. N.K Jain, Chair Person, SHRC, Rajasthan

9. On February 22, 2008, letters were sent to Mr. Narpat Singh, Minister of Health, Mr. Gulab Chand Kataria, Home Minister, Rajasthan, Mrs. Vasundhara Raje, Chief Minister, Rajasthan, to stop transfer of victim Badri bairwa.

10. On February 4, 2009, letters were sent to District Collector, Detha and Mr. V.K Singh, S.P, to provide protection to the victim.

11. On June 16, 2009, letters were sent to Secretary and NHRC Chief Justice S.N Mathur to provide justice to the victim.

Present status:

At present disputed land is under the possession of the accused. As Sohini Devi w/o Badri Prasad is illiterate, on papers land possession is been given to the victim and accused bound her under section but in actually accused have possession over the land. Victim's husband is a fourth class employee in medical department and administration of the department is planning transfer him in far distance. ◆

Case No.-7

The case of land grabbing of Dalit families

Name & address of the victim

- Mrs. Dhapa Devi, Sarpanch, Village Panchyat- Bewai
- And Other Dalit Families Of the Village

All Resident of Village- Biwai, Tehsil- Baswa, Police Station- Bandikui, District- Dausa

Name & address of the accused

- Land Allotment Committee
- Sub Divisional Officer, Bandikui, Dausa
- Deen Dayal Sharma, Vice Sarpanch, Bewai

All Resident of Village- Biwai, Tehsil- Baswa, Police Station- Bandikui, District- Dausa

Case in brief

In this instance case the surplus land of the Biwai village under District Dausa in Rajasthan has been fraudulently and illegally allotted to non eligible rich and non Dalitpersons in contravention of the standard norms of the allotment rules under which landless dalits of the local panchyat should get priority in the matter of allotment of surplus land of the village panchyat. The village Panchyat Pradhan is also a Dalitwoman who was deliberately kept out of this allotment process by the local patwari, tehsildar and sub divisional magistrate and even the local MLA was also ignored who was supposed to be associated with allotment process. Ignoring all the staturtory rules and norms the surplus land earmarked for dalits and other landless population of the local village was illegally and fraudulently allotted to the non eligible persons who were financially well off and some of the allottees were also not the resident of panchyat jurisdiction. Even the driver and peon of the SDM, Bandikui (Chairman of the Land allotment committee) were also allotted the said surplus land.

Action taken by CDR

When this scam was brought into the notice of CDR through local Dalit Sarpanch of the village, the matter was immediately brought into the notice of the top officials of the Governmrnt including Collector. All top officials

including collector of Dausa expressed their inability to take action in this matter. Finally CDR filed a petition before the Court of the District Collector of Dausa and contested the case against all odds and the influential approach of the opposite party for couple of months. As result of CDR's efforts and alertness, all the 22 land titles of the surplus land that had been allotted to the non eligible persons were cancelled by the District collector in the month of October, 2008

Present status of the case

All the 22 land titles of the surplus land that had been allotted to the non eligible persons were cancelled by the District collector in the month of October, 2008 but still nothing has been done in favour of dalits. Even today Dalit woman sarpanch is been continuously harassed by the local dominant caste people.

Case No.-8

The case of demolishing the house of Dalit to grab his land

Name of the victim:

- Ramesh Kumar S/O Manaram Balai
- Banwari S/O Manguram Balai

Village Bidar, Police Station Shahpura, District Jaipur

Name of the accused:

- Kanharam Sharma Resident of Bishangarh
- Sugan Cjand Yadav, Teacher Resident of Dhani Dolyawali
- Ramnarayan Yadav, Former Sarpanch, Bidara
- Madanlal Meena Resident of Nathawala
- Kaluram Bunkar Resident of Jaipur and Others

Crime Details:

- FIR No. 190/08
- Date of FIR- April 5, 2009
- Police Station- Shahpura
- Section Applied- 143, 427,448, 504 Of Indian Penal Code
- Section 3 (1) (5) Of Sc/St (Po A) Act 1989

Case in brief:

Mr. Ramesh kumar, the resident of village bidara constructed a house over his residential land *khasra* No-852. His land is situated little away from the Delhi Highway. Some land mafia namely Kana Ram Sharma others purchased 35 acre land in the name of Kalu Ram Bunkar S/o Baksha Ram Bunkar resident of 10, Ganesh Nagar, Third Murlipura Scheme, Jaipur behind his house to develop a residential colony. They were suppose to construct a road connecting the colony direct to delhi highway and village Bidara and the house of ramesh was coming in between the road. The land mafias talked to ramesh to vacate the land but ramesh denied vacating the land. As a result of one day on 5-4-09 at 12:30 am the accused Kana ram with his companions and 150 other people with jcb. They demolished the house of Ramesh.

The police station is hardly 1 k.m. away from the house of Ramesh and he timely informed the local police but they came there after an hour. A case no- 190/2008 under Section 143, 448, 427 and 504 IPC and 3(i)(v) SC/ST Act 1989 was registered against the accused but since they are the land mafias that the local police not doing anything against them.

Action taken by CDR:

1. On May 9, 2009, letters sent to Mr. P.K Tiwari, D.G.P, Rajasthan, Mrs. Kushal Singh, Chief Secretary, Rajasthan, Mr. S.N. Thanvi, Secretary (Home), Mr. Anand Srivastava, S.P (Rural), Jaipur, Mr. Kuldeep Ranka, Collector, Jaipur to take strict actions against the perpetrators who ruptured the home's of the victims and abused them on the name of caste.

2. On September 10, 2009, letters sent to Mrs. Kiran Soni, Divisional Officer, Jaipur, Mr. Shanti Dhariwal Home Minister, Rajasthan, Mr. Ashok Gehlot, Chief Minister, Rajasthan, Chief Justice Mr. N.K Jain, Chair Person, SHRC, Rajasthan, Chief Justice G.P Mathur, Chair Person, NHRC, Mr. Anand Srivastava, S.P (Rural), Jaipur, Mr. Kuldeep Ranka, Collector, Jaipur, Mrs. Kushal Singh, Chief Secretary, Rajasthan, Mr. S.N. Thanvi, Chief Administration Secretary (Home), Mr. T.L Meena, D.G.P, Rajasthan, Mr. Vipin Pandey, S.P Rural, District Collector, Jaipur to take strict action against the land mafias and provide security to the victims.

Present status:

Police hasn't taken any action in the case. Earlier S.P Mr. V.K Gaur was investigating the case but due to the influence investigation officer has changed and now Mr. Mool Singh Rana, Dy. S.P. is appointed for investigation. But yet investigation is pending.

◆

Case No.-9

The case of beaten to a Dalit.

Name of the victim:

- Ogadram S/O Panchuram Raigar

  Village Kherda Devgarh, Police Station Jaitaran, District Pali

Name of the accused:

- Bagadaram s/o Lumbaram Sirwi
- Ogadram s/o Pemaram Gurjar
- Omraram s/o Bhanwar Lal Gurjar
- Ogadaram s/o Bhagaram Gurjar
- Ogadaram s/o Udaram Gurjar
- Ramlal s/o Hamelaram Gurjar
- Bagdaram s/o Hamelaram Gurjar
- Narayanlal s/o Dhannaram Gurjar

  All resident of Village Kherda Devgarh, Police Station Jaitaran, District Pali

Crime details:

1. **FIR No – 154/09**

   Date of FIR – May 19, 2009

   Police Station- Nanwa, Bundi

   Section Applied- 143, 423, and 461 Of Indian Penal Code

   Section 3 (1) (10) Of Sc/St (Po A) Act 1989

   Chalan No. 123

   Date of Chalan: July 29, 2009

   Section Applied- 143, 427 Of Indian Penal Code

   Section 3 (1) (10) Of Sc/St (Po A) Act 1989

2. **FIR No – 291/09**

   Date of FIR – October 1, 2009

   Police Station- Nanwa, Bundi

   Section Applied- 143,323, 447, 427, 341, 307 Of Indian Penal Code

   Section 3 (1) (10) Of Sc/St (Po A) Act 1989

Case in brief:

Dalit victim Ogad Ram has been running a grocery shop for 12 years in the village of Kherda Dev Garh. In the summer session he used to sell some soft drinks and all the villagers used to come to his shop to buy goods and have soft drink and this was not tolerable by the dominant caste people. On 19th May 09 at 10:00 am, the accused Ram Lal, Bagra Ram, Chatura Ram, Ogad Ram1, Ogad Ram 2 , Ogad Ram3, Bagra Ram, Narayan Lal, all by caste Gurjar beaten the victim and destroyed his wooden shop and looted goods from his shop. They also destroyed the freeze of his shop.

Action taken by CDR:

1. On July 17, 2009, CDR did fact finding of the case.
2. On July 22, 2009, letters sent to District Collector, S.P., Pali and Mr. Harish Chandra Meena, D.G.P., Rajasthan, to file chalan in the case and provide compensation to the victims.

Present status:

Case is under trial in the court. Victims haven't got any compensation yet. ◆

Case No.-10

The case of Arisen of the houses of Dalits

Name & address of the victim

- Mrs. Ganga Devi w/o Late Amra Ram Meghwal
- Mrs. Suvati Devi w/o Late Rapidan Rai
- Mr. Chuna Ram s/oLakhu Ram Meghwal
- Mr. Sunda Ram s/o Pancha Ram Megwal

All Resident Of Village- Bayar, Police Station- Gotan, Tehsil- Merta, District- Nagore, Rajasthan

Name & address of accused

- Mr. Baksa Ram s/o Jala Ram
- Mr. Harish Chandra s/o Narayan Lal Jat
- Mr. Ram Niwas s/o Hakidan Ram Jat
- Mr. Ram Dev s/o Gheesa Ram Jat
- Mr. Swroop Ram s/o Bhanwara Ram Jat

All Resident Of Village- Bayar, Police Station- Gotan, Tehsil- Merta, District- Nagore, Rajasthan

Crime Details

- FIR No- 154/09
- Dated – 19th May 09
- Sections Applied 143, 423, 461 IPC and 3(I)(X) SC/ST Act
- Charge Sheet No- 123/09
- Sections Applied 143, 427 IPC and 3(I)(X) SC/ST Act

Case in brief

The residential land where Dalit families have been allotted by the development officer of Merta City. The residential land of Dalits is situated in- front of the houses of Jat community. This was not tolerable was Jat and that is why on Holi when all dalits were drunken and enjoying the festival, they put Fire in the houses of Dalits. Next day all Dalit families went to the police station to register the FIR but the local police denied to register the FIR of the victims and asked them to come next day.

At last they went to the Superintendent of Police and then their case FIR No- 56/02 under section 143, 447, 436 IPC and 3(i)(iv) of the SC/ST Act was register through court intervention. The investigation officer Mr. Vishan Ram Vishnoi found the case true under his investigation but further due to some pressure the investigation officer was changed and Mr. P. P. Tak declared the case false.

Due to the controversial report submitted by different investigation officer, the case was reinvestigated by Mr. Nathu Lal Morya who submitted his report to the SP, Nagore in favour of the victims.

But in between that Revenue Minister Mr. Ram Narayan Dudi intervene in the case since he is the relative of the accused and an order to re-investigate the case was passed by home minister mr. Gulab Chand Kataria but the same report following the observation of first investigation officer was submitted.

Seeing that Mr. Ram Narayan Dudi intervene in the case to rescue his relative through Additional DIG (CID, CB) Rajasthan who asked SP, Nagore to forward the original investigation report and call the investigation officer who submitted the negative report (against dalits).

Further the CID (CB), Rajasthan ordered to arrest the accused but local police had shown their inability to arrest the accused. Later on due to political pressure on 25th August 2006 FR 18/06 was filed before the court of Merta City.

Action taken by CDR

On 15th September 2009 complaint letters to Mr. S.N. Thanvi, Home Secretary, Justice N.K.Jain, State Human Rights Commission, Justice J.P.Mathur, Acting Chairperson, National Human Rights Commission, Mr. Ashok Gahlot, Chief Minister, Rajasthan, Mr. Shanti Dhariwal, Home Minister, Rajasthan Govt, Mr. Atul Sharma, Regional Commission, Ajmer, Mr. Harish Chand Meena, Dgp, Rajasthan and Mr. Ram Phool Singh, IGP, Ajmer range to re-open the case and to take action against the negligent officials.

Present status

The local police filed FR in the case but the court did not accept it and resent the case for reinvestigation. Dalitfamilies are living under threats and they have been denied to vote in Lok Sabha elections.

Case No.-11

The case of reselling the land of Dalit by the land mafias

Name of the Victims:

- Devaram s/o Rugaram Meghwal

  Near Hanuman dewara, Bagadi Nagar, Tehsil Sojat, District Pali

Name of the accused:

- Mohammad Hanif s/o Pholshah, Resident of Sai, Bagadi Nagar
- Uttam Chand s/o Kanhaiyalal Surana, Resident of Dhal ka vaas, Bagadinagar
- Mrs. Munni Devi w/o Nemaram Sirvi former Sarpanch Resident of Bera Badla, Bagadi nagar
- Mr. Chandulal s/o Kanhaiyalal Shrimal former Group Sachiv, Resident of Sojat road, Bagadi Nagar
- Mr. Ramlal s/o Lummaram Sirvi, Ward Panch, Resident of Bera Dholai, Bagadi Nagar
- Mr. Krishna s/o Bhanwarlal Nai Ward Panch, Resident of Bagadi Nagar
- Moh. Aslam s/o Abdul Mahin Kharadi, former Ward Panch, Resident of Bagadi Nagar
- Mr. Kaluram s/o Jogaram Sirvi Resident of Padasla, Bagdi Nagar
- Mr. Bhanwarlal s/o Khemaram Dhobi Resident of Bagadi Nagar
- Mr. Nenaram s/o Chaturaram Sirvi, former Sarpanch Pati Resident of Berabadla, Bagad Nagar
- Mr. Jabbar Singh s/o Badri Singh Ravana Rajput, (Peon gram panchayat, Bagadi) Bagadi Nagar
- Mr. Baluram s/o Motiram Sirvi former Sarpanch, Resident Hameda ka pipalia, Bagadi Nagar

Crime Details:

None

Case in brief

On 24th April 2007 Deva Ram purchased a residential land (1494 square feet) from Mrs. Rasal Bai w/o Manmal Baradia Jain through her attrony Mr. Mohan Lal Nai. The said land is under the possession and also he has the Patta issued by Jodhpur Government.

Further Mrs. Rasal Devi delegated all rights over the land to Mr. Mohan Lal Sain who later sold the same land to Deva Ram Saga Ram Meghwal @ 30,000 square feet and get registered in the office of Sub Registrar, Sojat, District Pali.

Action taken by CDR:

1. On September 17, 2009, Fact Finding team was constituted by the CDR, which visited the village and collected facts from the victims, witnesses and officials.

2. On September 22, 2009, sent complaint letters to Chief Justice Mr. Rajendra, Chairperson, National Human Rights Commission, New Delhi, Sardar Buta Singh, Chair Person, Natioanl Sc/ST Commission, Delhi, Mr. Harish Chandra Meena, D.G.P, Rajasthan, Chief Justice MR. J.P Mathur, Chair Person, SHRC, Mr. B.L Meena, S.P, Pali, Mr. Shanti Dhariwal, Home Minister, Rajasthan, I.G. (Human Rights), Rajasthan, Mr. Prithviraj, District Collector, Pali, Mr. Ashok Gehlot, Chief Minister, Rajasthan and demand to take strist actions against land mafias and provide protection to dalits.

3. Advocate from CDR has given application in the court to add the Section 3 (1) (4) (5) of SC/ST (Po A) Act 1989 in the case.

4. On September 24, 2009, a delegation from CDR went to meet District Collector and S.P, Pali and gave Memorandum to him with a request to provide justice to the victims.

Present Status:

Currently the victim has the possession on the disputed land but the accused not allowing him to do construction work. Whenever he tried to start some construction work, he is threatened by them and local police is not protecting the victim and supporting the accused. ◆

Case No.-12

Name of the victims

- ❑ Poonam Chand s/o Shri Ganeshi Ram Bhandvi
- ❑ Ramesh Chandra s/o Shri Ganeshi Ram Bhandvi
- ❑ Phool Chand s/o Ganeshi Ram Bhandvi
- ❑ Mrs. Chanda w/o Shri Ramesh Chand Bhanbi

Village Tabiji Police Station Mangaliawas Tehsil Peesangan District Ajmer

Name of the accused

- ❑ Ramesh s/o Kanharam Jat
- ❑ Nauratan s/o Shri Sannu Balmiki
- ❑ Sukhpal s/o Shri Narayan Jakhad (Jat)
- ❑ Gopi s/o Shri Kanharam Jat

- Moti s/o Shri Kanharam Jat
- Rameshwar s/o Shri Kanharam Jat

Village Tabiji Police Station Mangaliawas Tehsil Peesangan District Ajmer

Crime Details:

- FIR No – 72/08
- Date of FIR – May 23, 2008
- Police Station- mangaliawas
- Section applied- 302, 323 and 34 of Indian Penal Code
- Section 3 (2) (5) of SC/ST (PoA) Act 1989

Case in brief:

In 1985, Dalit Ganeshi Lal husband of Mrs. Narayani Devi purchased a land Khasra No. 926, (Total Rakba 4 Bigha 11 Biswa) from Ram Swaroop, Gopal, Chagan and Rajendra but on the other hand the mother of Gopal Mrs. Khumani Devi in collusion with the accused Sukh Pal Jakhad sold the said land to Shyam Sundar Chauhan, caste Bhambi with the help of fabricated documents. During that the accused Sukh Pal Jakhad was jailed in some murder case but when he came out form jail, he wished to grab the land of late Ganshi Lal which was under the possession of Gheshi Lal family member. One day find Mr. Poonam Chand s/o Ganeshi Lal alone passing through his puppets Noratan and Rameshwar Valmiki. Poonam Chand tried to file a FIR against the accused but local police did not register the case.

When it came into the notice of the accused that the victim tried to register a FIR against him, he became angry and rushed to his home with his supporters at 10:30 pm and started stoning over his house. They had started beating Phool Chand, brother of Poonam Chand with iron sticks when he came out to his house. Mrs. Narayani Devi struggled to rescue his son and lay upon him; the accused strike over her head and soon she became unconscious. Later she died because of grave injury caused because of the said beatings.

Actions taken by Centre for Dalit Rights:

1. On May 25, 2008, did Fact Finding based on information received from local newspaper.
2. On may 27, 2008, letters sent by district coordinator to Mr. Navin Mahajan, District Collector, Ajmer, Mrs. Neena singh, I.G. Ajmer, Chief Justice Mr. Rajendra, Chairperson, National Human Rights Commission, New Delhi to provide security to the family of the victim's, immediate arrest of accused and add sections 3 (2) (5) of SC/ST (Po A) Act 1989.
3. On June 2, 2008, again letter sent to Mrs. Neena singh, D.G, Ajmer.

4. On June 4, 2008, letters sent by Chief Patron P.L Mimroth to Chief Justice Mr. Rajendra, Chairperson, National Human Rights Commission, New Delhi, Mr. Navin Mahajan, District Collector, Ajmer, Mr. Anand Srivastava, S.P, Ajmer, Mr. K.S Bans, D.G, Rajasthan, Mr. T.L Meena, I.G. (Human Rights) and Sardar Buta Singh, Chairperson, National SC/ST Commission to provide some financial support and security to the family of the victim's, and add sections 3 (2) (5) of SC/ST (Po A) Act 1989.

5. On June 16, 2008, sent letter to Chief Justice Mr. S.N Mathur, Secretary, Rajasthan to take action against the irresponsible behavior of concerned administrative authorities' of this case.

Present status:

Victim families received Rs. 75,000.00 under Section 12 (4) of SC/ST (PoA) Act 1989 and rules 1995. Case is under trial in special court. Accused are on bail. During this one of the victim Poonam Chand Bhanbi murdered and murderer thrown his dead body in Anasagar Lake and police called it a suspected death. Rests of the victims are under severe terror and so they haven't lodge the FIR of Poonam Chand's murder. ◆

Case No.-13

The case of dispossessing Dalits from their own land

Name of the victim

- All Datlit families of Village Agawani, Tehsil Mundawar, Alwar

Name of the accused

- Tehsil administration, Mundawar, Alwar

Crime details

None

Case in brief

Dalit families have been living in the Village Agwani since its foundation. Under the Revenue records of Sanvant 2012 the Khasra No- 202, 275, 276, 277 and 278 are registered as residential land for dalits and Khasra No- 176 as a graveyard land but in Sanvant 2029 during settlement again the Dalits residential land Khasra No was changed and graveyard land Khasra No. was changed to Khasra No- 374 and 330. But on 29-01-09 the Tehsildar of Tehsil Mundawar served a notice under Section 91 of land revenue act 1956 to all Dalit families that they have made an encroachment over the land Khasra No- 374. But it is to be mentioned there that the said land which was said be under encroachment of Dalits is in their possession since long and there they have some houses, wall, temple etc. Earlier no notice has been served about the encroachment to them. On 11-2-09 they appeared before the Tehsildar and communicate their arguments but later they were not informed to present and produce evidences and one day the judgment was pronounced

against dalits and they were declared encroachers and ordered to vacate the land. On 18-03-09 filed a suit before the Sub Divisional Officer, Mundawar to process the records that is still pending but on 29-07-09 the Tehsildar unexpectedly went to Village Agwani and gave an ultimatum to dalits to vacate the land within 20 days.

Action taken by CDR

On Feburary 3, 2009, letters were sent to Mr. S.N. Thanvi, Chief Secretary (Home), Chief Justice Mr. N.K Jain, Chair Person, SHRC, Mr. Kunji Lal Meena, Collector, Alwar, Mr. Biju George Joseph, S.P, Alwar and Mr. K.S Bans, D.G.P, Rajasthan to provide ownership of land to Dalit victims and to maintain the records of land by the administration.

Present status

At present victim's got stay on the disputed land and are residing on that disputed land. Sub Divisional Officer has filed case in the court for the maintenance of records and the case is pending before the court. ◆

Case No.-14

The case of land grabbing

Name & address of the victim

- Mr. Ram Khiladi s/o Khoobi Ram Jatav
- Mr. Shar Singh Jatav s/o Ram Khiladi Jatav
- Mr. Ganga Ram s/o Khoobi Ram Jatav
- Mrs. Lakshmi w/o Ganga Ram Jatav
- Mrs. Bhagwati w/o Virendra Jatav
- Mrs. Virendra s/o Khoobi Ram Jatav

All resident of Village- Naiwada, Police Station- Hailana, Tehsil- Vair, District-Bharatpur

Name & address of the accused

- Ratan Singh s/o Khilli Jat
- Raju s/o Ratan Singh Jat
- Om Veer s/o Ratan Singh Jat
- Yadu Ver s/o Ratan Singh Jat
- Timan Sngh s/o Tej Singh Jat

- Gopal s/o Rinku Jat
- Ranno s/o Khilli Jat
- Ashok s/o Sahab Singh Jat

All resident of Village- Naiwada, Police Station- Hailana, Tehsil- Vair, District-Bharatpur

Crime Details

1. **FIR No- 142/08**

   Dated 27th September 2008

   Under Section- 143, 447, 379 Indian Penal Code 1860 and Section 3(I) (V) SC/ST Act

   Police Station- Hailana, Tehsil- Vair, District- Bharatpur

   Investigation Officer- Sant Kumar, IPS, Superintendent of Police, SC/ST Cell, Bharatpur

2. **FIR No- 20/09**

   Dated 12th February 2009

   Under Section- 143, 447, 379 Indian Penal Code and Section 3(i) (v) SC/ST Act 1989

   Police Station- Hailana

   Final Report No- 11/09 dated 31st March 2009

Case in brief

The victim Khoobi Ram Jatav worked as a labourer for Khilli Jat. He borrowed some money time to time when needed from Khilli Jat. When loan amount raised, the accused made the Khoobi Ram his bonded labour and deviously registered his Khasra No- 88/1 (3 bigha land and 10 biswa) land in the name of his washer man namely Chetari Dhobi, resident of Village- Sukhawali, Tehsil- Saivar, District- Bhartpur. Further the Sarpanch of the village denied to open the Mutation in the name of Chetaria Dhobi since the land was under the possession of Khoobi Ram Jatav.

Khoobi Ram Jatav and his family member continued their possession over the land and sow various crops time to time but in 2009 when they sow millet crop, the accused hacked his crop and took with him. This incident was reported to the police and the local police registered their case 142/09 but the local police removed the sections of SC/ST act while presenting charge sheet against the accused. Whilst, the victim filed a case against the accused before the revenue appellate authority that case is still pending.

Again on 8th February 2009, the accused and his family members brutally had beaten the victim and his family members when they were working in their field. A FIR was 20/09 dated 12th Feb 2009 but the local filed FIR in the case.

Action taken by CDR

On 15th October 2008, a team of fact finding was constituted by CDR and sends to visit the place of incident and met to the victim and her family, prepared an interim report and demanded for providing safety and security to the victim and other witnesses.

Complaint letters dated 17th oct 08, 19th dec. 08 and 12th feb 09 were sent to the concerned authorities namely Mr. Hament Gera, District Collector, Bharatpur, Mr. B.L. Yogesh, I.G, Range, Bharatpur, Mr.Harish Chand Meena, D.G.P, Rajasthan, Sardar Buta Singh, Chairperson, National Commission for SCs etc.

Present status of the case

The victim and his family are not allowed to use their land. They are continuously threatened by the accused and his supporter not to pursue the case. ◆

Case No.-15

The case of dispossessing Dalits from their own land

Name & address of the victim

- 85 Dalit families

  Resident of Village- Machi, Tehsil & District- Karauli, Rajasthan

Name & address of the perpetrators

- Administrative officials of District Karauli, Rajasthan

Case in brief

Village Machi is consisting 85 Dalit families who have been living there for centuries. Most of the Dalit families left the residential area of the village and shifted to farms in the village. Now a day few (2-3) families are living in the village. In 1980 their farming land was declared under water area and they had been provided compensation for their agricultural lands at the rate of Rs. 500 for waste land, 1000 for barani land and Rs. 2100 for irrigated land per bigha but no compensation has been given for housing land. Now the administration is harassing them to make them to vacate the land since they assume that the compensation for their land has been given to them and all Dalit families are leaving there illegally. Every year, a notice issued under section 91 Land Revenue Act. Under the provision of the said section all Dalit poor families are paying penalty up to 50% and in case of non payment of the penaly their crops are being auctioned. There is no electricity, water hand pump and roads even. Further dalits can't construct another hut to live and full family whatever number of members are they, they have to live in a single hut even a married couple have to have sleep in a single hut with their in-laws and other family members.

Action taken by CDR

A complaint letter consisting the demands of the poor Dalits presented to the District Collector.

Present status

All Dalit families are in the possession over their lands. They can't construct new hut there and running a very degrading life. ◆

Case No.-16

Name and address of the victim:

- Sadaram s/o Benaram Meghwal

  Meghwalo ka Dhora, Village Rampura Police Station and Tehsil Sayla, District Jalore

Name and address of the accused:

- Khet Singh s/o Kan Singh Rajput
- Balwant Singh s/o Kan Singh Rajput
- Mal Singh s/o Kan Singh Rajput
- Laduram s/o Ukaji Jat
- Lokaram s/o Khuba Ji Meghwal

  Village Rampura Police Station and Tehsil Sayla, District Jalore

Crime Details:

- FIR No. 151/09
- Date of FIR- August 11, 2009
- Police Station- Sayla
- Section applied- 467, 468, 420, 471, 120 (b) of Indian Penal Code
- Section 3 (1) (5) of SC/ST (PoA) Act 1989

Case in brief

On 25th June 1967 Panchyat Samiti, Syala, Jalore allotted 6678 Square feel residential land and issued the Patta in favour of Mr. Sada Ram S/o Bena Ram Meghwal out of which Sada Ram sold ¼ part of the land to Khuba Ram Meghwal. The sold land was registered in the name of Khuba Ram.

On 21st Feb 2002 land mafias namely Khet Singh, Balwant Singh, Mal Singh, Ladu Ram and Loka Ram with common object had produce Masaria brother of Sada Ram as a Mangi Lal the son of Sada Ram and get registered the land in his name as Mangi Lal alias Masaria.

On 9th August 09, Sada Ram Meghwal came to know about that illegal transaction when he went to apply for the connection of water. Soon he went to the police station and registers an FIR against the accused.

Action taken by CDR:

1. On September 12, 2009, CDR did a fact finding of the case. After fact finding CDR requested to Mr. Umesh Ojha, Dy S.P, Jalore to give protection to the victim and to arrest accused as soon as possible.
2. On September 15, 2009 sent letters with attached fact finding reports of the case to District Collector and S.P to take strict action against land grabbers.

Present status:

Mr. Umesh Ojha, Dy S.P, Jalore is investigating the case. Victim has possession on his land but he is constantly receiving threatening to leave the land. ◆

Case No.-17

A Dalit woman was brutally beaten when she was working in nrega scheme at Bharatpur district

Name & address of the victim

- Mrs. Geeta Devi w/o Prem Singh Jatav

  Resident of Village- Barbara, Tehsil & Police Station- Roopwas, District- Bharatpur (Rajasthan)

Name & address of the accused

- Mr. Narendra s/o Latoor Singh Thakur
- Mr. Suresh Chand s/o Latoor Singh Thakur
- Mr. Khushnveer s/o Latoor Singh Thakur

  All resident of Village- Barbara, Tehsil & Police Station- Roopwas, District- Bharatpur (Rajasthan)

Crime Details

- FIR No- 272/09
- Date of FIR – 01-09-09
- Medical Report no- 206/09 dated 31st August 2009, Community Hospital, Roopwas, Bharatpur

Case in brief

On 30th August 2009, at 7:00 am some men and women of Jatav community were going to work under NREGA scheme. The accused namely Narendra Singh Thakur was also passing through since he also worked under the scheme. He told Mrs. Geeta Devi "you are going Chamaria". He put his spade and mattock over her head and again abused her in the name of caste. Mrs. Geeta Devi said that 'why do i carry your spade, you your self carry your tools. Listening to that the accused became angry and started beating her brutally. The helpless lady could not protest against the illegal act of the accused and went on working. She came back at her home at 2:00 pm but the accused again came at her home and beaten her.

On 31st August 2009 around 50 people had been working under NREGA scheme and constructing Gravel Road from Barbaar road to Oodala Gaddi. Geeta Devi was working at Cheka Mapa with two other namely Rammurti and Virma. While working there the accused and some of his friends came there with a stick and strike on the left leg of the victim. He brutally beaten her unto she lost her conscious and went away. Some of the other workers informed the police when the accused went away from there. The police sent Geeta Devi to the hospital and registered a case against the accused 272/09 dated 01-09-09 under section 323,341, 354 Indian Penal Code and section 3 (i) (x) of the SC/ST Act.

Action taken by CDR

On 31st August 2009 a team of fact finding was constituted by CDR and sends to visit the place of incident and met to the victim and her family. Fact finding also met to the Dy.S.P Mr. Rajesh Choudhary and demanded for providing safety and security to the victim and other witnesses.

Complaint letters were sent to the concerned authorities namely Mr. Hament Gera, District Collector, Bharatpur, Mr. B.L. Yogesh, I.G, Range, Bharatpur, Dr. Girja Vyas, Chairperson, National Women Commission, Mr. Harish Chand Meena, D.G.P, Rajasthan, Sardar Buta Singh, Chairperson, National Commission for SCs etc.

Present status of the case

The poor lady discontinued working under NREGA scheme. The investigation officer found two accused innocent out of three. The main accused Narendra Thakur was not yet arrested. ◆

Case No.-18

The case of forcedly grabbing the land of Dalit to build police station

Name & address of the victim/s

- ❑ Mr. Ramji Lal s/o Govind Ram Bairwa
- ❑ Mr. Ramu s/o Dhanna Raigar
- ❑ Mr. Sita Ram s/o Dhanna Ram Raigar

- Mr. Babu s/o Dhanna Ram Raigar
- Mr. Jagdish s/o Dhanna Ram Raigar

All resident of village- Nagla Rajavatan, Plice Station- Nagla Rajavatan, Tehsil & District- Dausa

Name & address of the accused

- Mr. Tej Ram, Former SHO

And staff of the Nagla Rajavatan, District- Dausa

Case in brief

Dalit victims are primordially in possession over the land Khasra no- 434/0.57, 435/0.21, total rakba .78 acre land. They applied to allocation committee to allote the said land to them and on 18th may1989 it was allotted to them in the camp Pyarwasi, District Dausa after discussing with the committee. Being in the possession all Dalit families constructed kaccha houses over the said land.

Earlier to year 2000, the office of Nagla Rajavatan police was coordinated from rented office but in 2000, the land Khasra no- 426, 432, 434 and 435 near about 1.50 acre land allotted to for the Nagla Rajavatan Police Station the local police along with their allocated land grabbed the land of Dalit families that was situated adjoining to their land and soon the construction work of boundary wall was started. Destroyed the kaccha houses of Dalit families situated over the land that has been allotted for the police station and dispossess the poor Dalit families. The local police also threatened them for dire consequences if they will go to the legal action. From that day onwards, poor Dalit families bagged for their legally occupied land in-front of all concerned authorities but to no result.

Poor Dalit families loose their faith in law and justice but expecting some hope from Former District Collector, on 15th October 1994; they approached to him and requested to repossess them over their land.

Dalit families keep struggling for their land and again on approached to the authorities in revenue camp organized in Village Lawana, District- Dausa where they presented their application. The local authorities asked to Halka Patwari to present his report. The Halka Patwari also submitted his report on 25th march 08 in favour of Dalit families but that report was chucked in and no action was taken in favour of dalits. Years have gone; Dalit families kept on fighting and their efforts brought into shine with the repossession of their land after 17 years when Mr. Joga Ram became the District Collector of Dausa.

Action taken by CDR

1. A team for fact finding was constituted and sent to visit the place of incident and to collect the reliable facts related to the incident.
2. On the basis of the report complaint letters were sent to the district collector Mr. Rajesh Yadav, Superintendent of Police, Mr. P. Ramji and Director General of Police Mr. A. S. Gill.

Action taken by the commissions

1. On 21st Feb. 2008, State Human Rights Commission directed the District Collector to look into the matter.
2. On 8.4.08 letters were sent by the Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes to District Collector and Superintendent of Police to take appropriate action in the case.

Present status of the case

The possession over the land was given to the Dalit families but on the other hand a letter in writing was obtained by the local police from Dalit families in regards to not take any legal action against the police officials who had violated their rights and harassed them till 17 years. ◆

Case No.-19

The case of land grabbing and made Dalit family to leave the village

Name of the victim:

- Nami Chand s/o Ganpat, age- 26 years, Caste – Bairwa (SC)
- Ganpat s/o Gyarsa Bairwa, age- 60 years, Caste- Bairwa (SC)
- Mrs. Sukh Dai w/o Ganpat, age- 55 years, Caste- Bairwa (SC)

All resident of Village- Gari Khempura, Police Station- Nadoti, Distt- Karauli (Rajasthan) (Present residence address- Kazi colony, Gangapur city, Distt- Sawai Madhopur)

Name & address of perpetrators:

- Kailash s/o Gyarsi Lal, Caste- Brahamin
- Gopal s/o Gyarsi Lal, Caste- Brahamin
- Vishnu s/o Gyarsi Lal, Caste- Brahamin
- Suresh s/o Gyarsi Lal, Caste- Brahamin

Crime Details:

1. **FIR No - 132/07**

   Dated - 5-08-07

   Sections applied - 341, 323, 324, 34 Indian Penal Code and section 3(1) (x) of SC/ST (PoA) Act 1989 Charge Sheet no- 106/07 and 31-08-07

2. **FIR No- 132/08**

   Dated - 15-2-08

   Sections applied - 341, 323, 506, and 34 Indian Penal Code, and section 3(1) (x) of SC/ST (PoA) Act 1989

3. **FIR No- 182/08**

   Dated - 13-9-08

   Sections applied - 143, 341, 323, and 447 Indian Penal Code, and section 3(1) (v) of SC/ST (PoA) Act 1989

   Status – under investigation

   Police Station: Nadoti, District- Sawai Madhopur

Case in brief:

On 21st September 2008, Mrs. Sukh Dai was going to fill water from the public hand whilst the accused namely Kailash was there. Coincidently the water pot of Sukh Dai touched to Kailash and he became angry on it. He destroy her water pot and brutally beaten her. After this incident Sukh Dai reached to her home and narrated the whole incident to her son Nami Chand & husband Gyarsa. Nami Chand and Gyarasa went to the house of the accused but that time he was not there so they came back to their home. When Kailash came back his home and her family members told him that Nami Chand and Gyarasa had come to scold him, Kailsh and other male members of his family became angry and rushed to the home of the victim equipped with sharp weapons. The movement accused arrived to the home of the victim; they were alone that time; the accused Kailash and his three brothers namely Gopal, Vishnu and Suresh brutally beaten to Nami Chand and his father that caught fracture to the hand of nami chand. Nami Chand reported this case to the local police but the local police denied register his case.

The humiliation was not end here but strangely on 31st July 2007 again Sukh Dai was beaten with blowing stick. That time the poor family succeeded to register his FIR 132/07 (date 5-08-07)under sections : 341, 323, 324, 34 Indian Penal Code, and section 3(1) (x) of SC/ST (PoA) Act 1989 through court intervention and soon on 31st september 2008 police filed challan 106/07 against the accused. The accused and his family got afraid with and started creating pressure over the family of the victim to come into compromise.

The accused and his family had applied all means to compelled victim's family to come into compromise but failed to do so. On the other hand due to terror of the accused and subsequent pressure, Nami Chand and his family left the village and moved to Gangapur city at Sawai Madhopur District. Where as the accused did not give up his ill will and one day on 15-2-08 he caught Nami Chand when he was going to his work place and started beaten him and threaten him either come into compromise or be ready for dire consequences. Here again Nami Chand filed FIR 132/08 under section 341, 323, 506, 34 Indian Penal Code, and section 3(1) (x) of SC/ST (PoA) Act 1989 against the accused but local police filed FIR no – 108/08 in the case. On 11-9-08, again, when Nami Chand and his father were sowing on his Khatadari land at Gram Gari Khenopura (Khasra no- 140), the accused namely Kailash, Gopal, Vishnu and Suresh arrived there on tractor and yoke the field of the victim; beaten and abused them in the name of caste. Nami Chand again lodged FIR against them on 13th Sep. 2008 under section 143, 341, 323, 447 Indian Penal code and section 3 (1) (v) of SC/ST Act.

Present Status

Nami Chand and his family have been living in Gangapur city and case is under investigation. ◆

Case No.-20

The case of land grabbing

Name of the victims:

- Mrs. Sunderi Devi w/o Gopiram Raigar
- Ramesh s/o Gopiram Raigar
- Mr. Rajendra Prasad s/o Gopiram Raigar
- Mr. Puranmal s/o Gopiram Raigar
- Hemraj s/o Gopiram Raigar
- Mrs. Premdevi s/o Rudhmal Raigar

Village Nayabas Geladera, Police Station Manoharpur, Tehsil Shahpura District Jaipur

Name of the accused:

- Shishupal Gurjar s/o Baluram Gurjar
- Omprakesh Gurjar s/o Baluram Gurjar
- Roshanlal Gurjar s/o Baluram Gurjar

Village Nayabas Geladera, Police Station Manoharpur, Tehsil Shahpura District Jaipur

Crime Details:

1. **FIR No. 69/08**

   Date of FIR- March 19, 2008

   Police Station- Manoharpur

   Section Applied- 427, 447 of Indian Penal Code

   Section 3 (1) (5) (10) of SC/ST (Po A) Act 1989

2. **FIR No. 212/06**

   Date of FIR- October 18, 2006

   Police Station- Manoharpur

   Section Applied- 341, 323, 435, 447, 427 of Indian Penal Code

   Section 3 (1) (5) of SC/ST (Po A) Act 1989

Case in brief

In the Village Nayabas Geladera Dalit family owned 180 ayar land out of which 145 ayer land was registered in the name of Gopi Ram and after his death same was registered in the name of his wife Mrs. Sundari Devi under the Revenue records and rest 35 ayer land 17.5 ayer was registered in the name of Mrs. Sundari Devi and 17.5 ayer was

registered in the name of Mrs. Prabhati Devi w/o Bheema Ram Balai, Village- Ghatajaldhari, PS- Chandwazi, Tehsil-Jamvaramgarh, District- Jaipur through false docuements by hanuman master and others. The land of Mrs. Sundari Devi is located near the land of Shishu Pal Gurjar who was the gun man of the former Collector of Jaipur. The accused was in mood to grab the land of the victim and that to he used to create trouble to them and threaten them with his power.

On 17th October 2006, around 12:00 mid night, the hut of the poor family situated at the agricultural land of the victim was blazed by the accused Shishu Pal Gurjar. The case 812/06 under section 341, 323, 335, 447, 427 IPC and 3 (i)(v) SC/ST Act 1989 was registered against the accused but no action was taken by the police.

On 28th October 2007 again the accused came at their land with 25 men lased with arms and brutally beaten the family members of the victim and disgrace the modesty of the women family members. The local police also didn't register their case due to the pressure of the accused. At last on 18th march 2008, the poor Dalit victim family organized a sit-in in front of the Collactrate. The Collector ensured them to take action against the accused but did nothing. Later due to intervention of CDR, they have been re-possessed over their land.

Action taken by CDR:

1. On March 18, 2008, delegation from CDR went to meet victims and police officials and District Collector assured CDR to take action in the case.
2. On March 19, 2008 visited to village, talked with victims, witnesses and accused and prepared a report based on the facts.
3. On March 20, 2008, CDR members met district collector and told me about the incident done by his security gunman shishupal and as action taken by the collector accused apo from his work.
4. On March 25, 2008, sent letters and attached fact finding report of the case to Chief Justice Mr. Rajendra, Chairperson, National Human Rights Commission, New Delhi, Mr. Akhil Arora, District Collector, Jaipur, Rural, Mr. Mehtab Şingh, S.P, Jaipur (Rural), Sardar Buta Singh, Chair Person, Natioanl Sc/St Commission, Delhi, Chief Justice N.K Jain, Chair Person SHRC, Rajasthan to give justice to the victims.
5. On March, 18, 2008, CDR sent an interim report of the case to Mr. Mehtab Singh, SP, Jaipur (Rural), Mr. Akhil Arora, District Collector, Jaipur, Rural to provide security to the victims and witnesses.
6. On June 16, 2009, wrote letter to Chief Justice Mr. S.N. Mathur Commission to investigate the case.

Present status:

Police considered the victim's case 'a fake case' and submitted the FR. The Protest petition has been filed by the victim. Yet victim not received any compensation.

◆◆◆

Final comments of the Jury members

Shri Sharad Joshi, Secretary, CECOEDECON:

Shri Sharad Joshi said that after listening to all the cases presented in Dalit Darbar, one thing that has emerged is that there is complete lack of sensitivity on the part of Police and administration towards dalits. All the cases reflect a conspiracy on the part of powerful sections in the society to target on the livelihood of dalits and this attack on dalit livelihood will have severe consequences for the society.

Shri Sharad Joshi was of the view that action should also be taken against Government officials who were biased against dalits and were not discharging their duties and responsibilities as per law and rules. He suggested an involvement of civil society organizations be solicited in such Dalit dialogues. He also made a useful suggestion of taking such dialogues nearer to the grassroots by organizing them also at District and Tehsil levels that would ensure boradbasing of the dialogue and lead to greater dalit mobilization.

Shri R.K.Saxena, Former I.G.P (Prisons):

Shri R.K.Saxena called for a separate commission to be constituted for resolution of such dalit issues. He also emphasized on disposing of such cases in a time bound manner. He also informed the audience that there is an existing provision in the law for action to be taken against those Governmnent officials who were interfering in the implementation of SC/ST Act and that one has to use these provisions effectively to ensure justice to dalit victims.

He was of the view that when the law is used to promote and support criminals then serious action needs to be taken by the Government.

Shri Nikhil Dey, MKSS:

Shri Nikhil Dey, from grassroots movement MKSS and a well known activist on RTI, commented on the varied cases that were presented in Dalit Darbar and said that all 20 diverse cases on land, house and livelihood reflect an attack by powerful sections on the very existence of dalits. He was of the view that his long association with public hearings and social audit has convinced him that public hearing was an effective medium in tackling issues of the masses as it has to be viewed as an open house for all where any person can come and ask questions. The important question for him though was how long a dialogue like this would continue.

Shri Nikhil Dey emphasized on the need to reach to the masses and building of environment in Rajasthan to countervail the other kind of vitiating environment. He was of the view that Law should involve people and people's contribution in making of law would enable enactment of effective laws in the country. In this context, he cited the example of Right to Information Act where people had an important role to play in its enactment.

He further emphasized on the need to Pressurizing the Government and that people's pressure can play an important role in effective discharge of Govt's functioning. He suggested that Govt. should themselves organize such public hearings on a monthly basis keeping a focus on women and dalit women in particular. He cited the example of NREGA Samvad, a mechanism whereby an open house to review functioning of NREGA programme is organized by Govt every month. He was of the view that it is the Govt's duty to take notice of the feedback and suggestions that are made in such public hearings.

Finally, He asked every one to pledge to work towards solving the 20 cases that were presented in the Dalit Darbar as that was the least one need to do in view of hundreds of cases that CDR receives pertaining to dalit atrocities.

Shri K.B.Saxena, Former Chief Secretary, Bihar:

In his opening remarks Shri K.B.Saxena praised the commendable work being done by CDR in organizing such Dalit dialogue. He also commended the organizers for keeping the focus on dalit land and livelihood. He was of the view that Rajasthan situation appeared worse than the national picture on dalit issues after listening to the cases than were presented in Dalit Darbar. According to Shri K.B.Saxena the land and livelihood are critical factors in a rural scenario and that powerful sections tend to target the land of dalits not just for physical resource but also to attack on the dignity of dalits.

He mentioned three ways earlier explained by Justice Ramaswamy, about the law being used-

Use, disuse and misuse of law and endorsed the view of Justice Ramaswamy that misuse of law was an ultimate crime. He reiterated the view of other jury members that there was a complete lack of sensibility and accountability on the part of all the three arms of the Government i.e. Executive, Judiciary and Legislature.

Shri K.B.Saxena felt that there was a failure of democracy after listening to the cases presented at Dalit darbar. He also saw it as a failure of Governance in Rajasthan the way dalit victims were being denied justice. He was surprised to find that no poltical parties were actively taking up issues of dalit interests.

He exhorted that there is need to build solidarity and alliance with other Civil Society Organizations working on dalit issues in order to promote social mobilization on the issue and maximize our effectiveness and impact. He also emphasized on need for a 'back up support' to such a movement.

Shri Saxena emphasized the importance of solving all the 20 cases that were presented in Dalit Darbar. He also suggested a strategic networking with other actors working on dalit issues as there was a need for local dalit organizations working on mobilization to forge alliance and build collective forces to ensure justice to dalits.

Finally, Shri K.B.Saxena mentioned the 20 cases presented to be just a 'drop in the ocean' and the challenge before us is huge. He expressed his satisfaction that through this dalit darbar a consciousness has been formed in the minds of the people towards dalit issues.

Justice Shri K.Ramaswamy, Former Judge Supreme Court of India:

Honourable Justice Shri K.Ramaswamy opened his comments by pleading ignorance to local laws and thus he was unable to comment on them. He shared his view that all the cases presented before the jury in Dalit Darbar came under the ambit of SC/ST atrocities Act and as such the act was applicable to all the cases.

Justice Ramaswamy was of the view that all the three wings of the Governance the Executive, the Judiciary and the Legislature seem to have failed. While discussing the cases he observed that in two of the cases the politically motivated executives interfered in the judicial process.

He expressed his surprise that in many cases no action was taken up and no arrests warrants were issued. While in some cases Police has failed to take any action against the culprits. Justice Ramaswamy strongly felt that the law alone was not enough and that there was a need to bring public pressure for effective and just redressal.

Further, He underscored the importance of land and livelihood issues, the theme of the Dalit Darbar, as according to him India lives in villages and livelihood of majority of the people is still dependent on agriculture.

Finally, he called for a unity among the victims of atrocities. He also assured the audience that he would share his experiences and advise the Planning commission where he is member of a sub-committee.

Observations of Jury Members

Mr. Sharad Joshi: State is entirely denying the Right to Life of Dalit community. Nevertheless, Administrative authorities are not performing their responsibilities; playing with the laws, misusing and mollifying it as their interest.

Complete lack of sensitivity on the part of Police and administration towards dalits.

All the cases reflect a conspiracy on the part of powerful sections in the society to target on the livelihood of dalits and this attack on dalit livelihood will have severe consequences for the society.

Mr. R.K. Saxena: Most of the administrative authorities and public servants are misusing the laws against dalits.

Mr. Nikhil Dey: All the cases presented in front of Jury are of heinous crimes against dalits. Now require is to organize more public hearings to provide a platform to bring people's problems in outer world. These hearings are a good tool to provide space to marginalize who are not in a situation to speak about their problems. We should try to promote these tribunals to support victims to share their problems with senior administrative authorities. Then, he stressed on the peculiar difference between the courts and public tribunals.

Focusing on the difference he told that, in courts all the case proceedings done inside close door where only few representatives of case present in front of the judge but Public Tribunals always dispose in open places. Such hearings are especially useful for people living in the rural areas who do not have easy access to courts. These people can avail the opportunity of being heard through the mechanism of public hearing, which definitely provides for speedy justice and instant resolution of problems. It is a way of giving powers to the public to ask any questions in effect making the government or the authority answerable in such hearings.

Mr. K.B Saxena: India is known for its Democratic system in the world in which Judiciary, Executive and Legislature are called as three pillars of Indian Democracy. In Rajasthan if we view their functions all the pillars are making mockery of Democratic system. There is no rule of law in Rajasthan. Considering the failure of the democracy and governance, these should be raise as a political agenda.

Situation of Rajasthan appeared worse than the national picture on dalit issues.

The land and livelihood are critical factors in a rural scenario and that powerful sections tend to target the land of dalits not just for physical resource but also to attack on the dignity of dalits.

There is a failure of democracy and Governance in Rajasthan the way dalit victims are being denied justice and any poltical party is actively taking up issues of dalit interests.

Justic K. Ramaswami: Judiciary, Legislature and Executive all are responsible to maintain rule of law in State but here all have failed to execute their responsibilities. In all the cases I observed that:

- Police has failed to do fair investigation
- Judiciary was not capable to provide justice to the victims.
- Political pressure is a major problem in relation to issue of dalits

◆◆◆

Recommendations given by the Jury

1. [illegible] take austere action against irresponsible Police and administrative authorities. The commissions should be sensitize and should be accountable.
2. Dalit should be allotted residential plots free of cost on the Andhra Pradesh pattern.
3. CDR should lobby with other dalit and human rights organizations to pressurize the State government to arrange a public tribunal in every two months in each District of Rajasthan. Through theses tribunals our focus should be to highlight the problems of dalits, women and other marginalized communities.
4. State should focus separately on the matters of land and livelihood of dalit women.
5. In reference to the corruption and misconducts in Government programmes like NREGA and Mid Day Meal; there should be some action mechanism against concerned Government officials indulge in misdeed in such programmes. These offences must consider as coining obstacles in the procedure of programmes.
6. Need to widen our mobilization among various organizations, voluntary groups working on Dalit Rights to strengthen solidarity network and for efficient advocacy with State and other stakeholders.
7. Collate with Village/ Block/ Tehsil level political party representatives to create conducive environment for work.
8. An administrative action should initiate against the Police officials who failed to perform their duty and prosecute them under law.
9. State should constitute a committee (in which Human Rights activist should be members) to know the exact situation of violations of Human Rights, collect the facts and present a report to judiciary for redressal of the victims.
10. State should organize regular Public Hearings by the Government officers at the district level to settle the grievances of Dalits and take prompt action against those harassing Dalits.
11. State government should appoint separate Investigation officer for grave incidences on dalits.
12. A Higher administrative authority should sternly deal with Police officials and Public servants who taking side of offenders and forcing the victims to reach a compromise.
13. Investigation officers should not come under political pressure and execute fair investigation of cases filed under SC/ST (PoA) Act 1989.
14. Government lawyer should honestly prosecute the case.
15. Involvement of the police in such activities should be promptly investigated by an independent judicial body and prosecution instigated accordingly.
16. Action should also be taken against Government officials who are biased/ negligen and serious action needs to be taken by the Government when the law is used to promote and support criminals
17. Involvement of civil society organizations be solicited in such Dalit dialogues and bring such dialogues nearer to the grassroots by organizing them also at District and Tehsil levels that would ensure borad basing of the dialogue and lead to greater dalit mobilization.
18. Build solidarity and alliance with other Civil Society Organizations working on dalit issues in order to promote social mobilization on the issue and maximize our effectiveness and impact.
19. In addition Jury members recommended an honest and impartial investigation into all cases of Dalits being driven out of their lands and deprived of their livelihood.
20. The State Government should run a special campaign to remove the illegal encroachment over the Ancestral, allotted or purchased land of Dalit which have been grabbed by the dominant caste people, and that land also should retain with them.
21. The legal action under section 183-C of the Rajasthan Tenancy Act 1955 should be taken against the encroachers, who have made encroachment over the land of Dalits. The Tehsildar himself should register a FIR against the land grabbers and give physical possession to Dalits.
22. The cases registered under Section 3(1)(IV) & (V) of SC/ST (PoA) Act are the cases of criminal nature and the Investigation Officer should not file Final Report (F/R) considering them a case of civil nature.
23. The State Government must amend in Rajasthan Tenancy Act 1955, the provision of application filed under section 183-B of Rajasthan Tenancy Act 1955 for removing illegal encroachment over the land of Dalits should be consider as a regular Revenue Suit under original jurisdiction of Tehsildar/Sub divisional Officer.
24. The recommendations made by the Committee on "State Agrarian Relations and the Unfinished Task in Land Reforms 2008-09" constituted by UPA Govt. should be implemented as soon as possible.
25. The State Govt. should organise the Survey of the agriculture land to get the data about the Surplus land adding with how many dalits having agriculture land.

◆◆◆

Concluding Session

Presentation of Momentous to the Jury members

Coming to last of the programme in concluding session all Jury members greeted with momentos.

Vote of thanks

At the end of the programme Ms. Toshita Verma expressed her gratitude to all the Jury members, guests from Rajasthan and other states and especially showed honor to the survivors for their continuous struggle.

Around 500 people from various organization viz. Dalit Foundation, National Dalit Movement for Justice, PWESCR, PRIA, Jaipur, Vividha, Mahila Jan Adhikar Samiti, CFAR, Jaipur, UGRIAWAS, Prayas, Society for Human Dignity & Rights, All India Dalit Mahila Adhikar Manch, Adarsh Jan Jagriti Seva Samiti, Grameen Vikas Sansthan, Swastik Sewa Sansthan, Jaisalmer, Nirmul Dhara Sansthan, Anand Vidhya Nikaten Sansthan, Saharia Samaz Vikas Sansthan, Gandhi Vikas Samiti, Dalit Kasth Niwaran Samiti, SURE Sansthan, Ambedkar Sansthan, Sikar, People's Watch, Sasweeka, Dr. Bheem Rao Ambedkar Samiti, MJMS, Ajmer, Safai Karamchari Andolan, Dan Church Aid from Delhi and number of organisations from the Districts of Sirohi, Pali, Alwar, Ajmer, Sawai Madhopur, Bharatpur, Jalore, Bheelwada, Rajsamand, Jodhpur, Dungarpur, Jaisalmer, Badmer, Kota, Tonk and Nagaur participated in the programme.

Introduction of Jury members

Justice K. Ramaswami, Former Judge, Supreme Court of India

Mr. Justice K. Rmaswamy, Born on 13.7.1932, Graduated from W.G.B. College, Bhimavaram, West Godavari Distt. Took Law Degree from Andhra University Law College. Enrolled as an Advocate on 9.7.1962. Practiced in Civil & Criminal cases. Worked as Additional Public Prosecutor December, 1972 to October, 1974. Worked as Govt. Pleader on October, 1974 in the High Court of Andhra Pradesh. Appointed Sr. Standing Counsel for Andhra Pradesh State Electricity Board during 1981-82. Appointed as Addl. Judge of Andhra Pradesh High Court on 29.9.1982 and as permanent Judge of the same High Court on 26.11.1982. Vice-President, International Jurists Organization (ASIA) from September, 1989. Elevated to the Bench of Supreme Court of India on 6.10.1989. Retired on 12.7.1997. Mr. Ramaswami was also remained a proactive member of National Human Rights Commission adn after retirement. He is devoting his time and energy in protecting human rights.

Mr. Justice K. Ramaswamy
H. No.1043, "SHYAMALA SADAN", Domalguda,
Advocate colony, Street No.14, Hyderabad-550 029. Phone 040-27631235

Mr. R.K Saxena, Former I.G Prison, Jaipur

Mr. R.K. Saxena *elevated as a I.G. Prison. He is very eminant human rights activist and presently he is the Vice President of People's Union for Civil Liberty and Consultant of Common Wealth Human Rights Initiative. He is known for his writings for Jail reform and human rights of prisoners. He is one of those who really mean the rights of every individual and that to heartly devoting his knowledge and skills for protection and promotion of rights of deprived section.*

Mr. R.K Saxena
P- 27' Madhuban Colony
Kisan Marg, West Second
Near Tonk Phatak
Jaipur , Rajasthan
Phone No- 2711725

Mr. K.B. Saxena, Retired I.A.S, New Delhi

Mr. K. B. Saxena is a Retd. IAS Officer. He served the Govt. of Bihar, Govt. of India and Planning Commission by holding very important post. While serving uner Planning Commission and other important departments, he brought his thoughts and asperation in practice. He had been the advisor of National Human Rights Commission. His various reports on Status of Dalits reflect his serious concern about Dalits. He is considered a very prominant human rights activist,

Nikhil Dey, Activist

Mr. Nikhil Day is esteemed and well known Social Activist who had made great efforts to bring Right to Information Act. He is associated with Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Bhilwara, Rajasthan and focusing on NREGA schems. His dedication to the cause of rural poor, Dalits, women and other deprived groups is well known across the contry.

Nikhil Dey
Mazdoor Kisan Shakti Sangathan,
Dev Doongari, Raj Samand, Rajasthan

Mr. Sharad Joshi, CECOEDECON, Rajasthan.

Mr. Sharad Joshi is a founder member of the CECOEDECON organization, and has been engaged in diversified social development activities at various levels for more than two decades. He also contributes to the effectively of the agency by planning, organizing, leading and controlling the strategic directions, administrative policy and procedures in consonance with its mission and vision, while encouraging decentralized decision making. He represent CECOEDECON for establishing linkages with the government entities and others including the media, to enhance agency's image and to optimize marketing and funding opportunities, both with in country and from out side sources such as through international organizations. His deep concern for the upliftment of Dalits, Tribal, women and other marginalised people is highly appriciable.

Mr. Sharad Joshi, CECOEDECON
'Swaraj' F- 159-160
Sitapura Institutional Area
Jaipur - 302022

◆◆◆

Advocates

(Who associated in the cases presented before the Jury)

1. Ms. Toshita Verma, Jaipur
2. Mr. Pokhar Mal Parihar, Pali
3. Mr. Dheeraj Sangat, Tonk
4. Mr. Manoj Jajoria, Ajmer
5. Ms. Ajay Bharti Singh, Dholpur
6. Mrs. Gyatri Valia, Ajmer
7. Mr. Vijaya Singh, Bharatpur
8. Mr. Prakash Chnad Sagar, Alwar
9. Mr. Narendra Jaith, Vair, Bharatpur
10. Mr. Hari Lal, Sawai Madhopur
11. Mr. Keshav Singh Jeria, Karauli
12. Mr. Nimba Ram Dangi, Jalore
13. Mr. Ram Prasad Singaria, Bheenmal, Jalore
14. Mr. Chandragupt Chauhan, Pali
15. Mr. Girdhari Lal Bairwa, Kumher, Bharatpur
16. Mr. Indrajeet Kundara, Bandikui, Dausa
17. Mr. Virendra Chauhan, Sirohi
18. Mr. Jag Jeevan Ram, Dausa
19. Mr. Grdhari Lal, Pali
20. Mr. Rati Ram, Dholpur
21. Mr. Mukesh khanna, Dholpur
22. Mr. Suresh, Dholpur
23. Mr. Mishri Lal Bairwa, Dausa
24. Mr. Kamlesh Kumar Verma, Sawai Madhopur
25. Mr. Vishram Jatav, Alwar
26. Ms. Poonam Rani, Alwar
27. Mr. Prati Pal, Ajmer
28. Mr. Lakhan Lal, Sikrai, Dausa
29. Mr. Om Prakash Kundara, Mahua, Dausa
30. Mrs. Moti Mani, Ajmer
31. Mr. Nand Ram Bairwa, Todabheem, Karauli
32. Mrs. Vimal Kumari, Jaipur

Media Coverage

THE HINDU • MONDAY, OCTOBER 26, 2009

Tribunal shocked at 'victimisation' of Dalits

Land grabbing case by Raje's son gets special attention

- Recommends an honest and impartial investigation into all such cases
- Suggests a separate Commission for hearing the cases relating to Dalits' lands

दैनिक भास्कर
जयपुर | सोमवार | 26 अक्टूबर 2009

'दलितों की नहीं होती सुनवाई'

दलित दरबार : 13 जिलों से आए लोगों ने सुनाई व्यथा

डेली न्यूज़
जयपुर, सोमवार
26 अक्टूबर, 2009

दलित दरबार में हुई पीड़ितों की सुनवाई

राजस्थान पत्रिका
जयपुर, सोमवार, 26 अक्टूबर 2009

दलित दरबार में भूमि विवाद मामलों की सुनवाई

दैनिक भास्कर जयपुर, सोमवार, 26 अक्टूबर 2009

नांगल राजावतान में दलित की भूमि पर थाना

जयपुर में दरबार पीड़ित ने जूरी के सामने पेश किए दस्तावेज, जूरी ने मामले को गंभीर माना

20 मामलों की सुनवाई

विवाद सरपंच ने भी लगाई गुहार

जूरी की सिफारिशों में क्या-क्या